

मुकदमों का विवरण

लोम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम.

उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (2022 की मध्यस्थता याचिका संख्या 43)

6 नवंबर, 2023

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, सीजेआई, जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे.] हेडनोट्स विचार के लिए विषय: क्या आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड के मामले में निर्धारित उक्ति को तत्काल मामले में लागू किया जा सकता है, जब अनुबंध की सामान्य शर्तों का खंड 55 मध्यस्थता खंड को लागू करने के उद्देश्य से कुल दावे का 7 प्रतिशत पूर्व-जमा करने का प्रावधान करता है; क्या एस. के. में इस न्यायालय के फैसलों के बीच कोई प्रत्यक्ष टकराव है। जैन का मामला और आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड का मामला; क्या इस न्यायालय ने एक याचिका पर निर्णय लेते समय यू/एस का नेतृत्व किया। 11(6) एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा यह अभिनिर्धारित कर सकती है कि अनुबंध में दिए गए मध्यस्थता खंड में निर्धारित पूर्व-जमा की शर्त संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। और क्या प्रधान सचिव/सचिव (सिंचाई) को अपनी पसंद का मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार देने वाले अनुबंध का मध्यस्थता खंड संख्या 55 इस निर्णय के साथ मेल खाता है।

पर्किन्स ईस्टमैन के मामले में अदालत।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, **1996**-मध्यस्थता समझौता-मध्यस्थता खंड-कुल दावे के **7** प्रतिशत की पूर्व-जमा के लिए अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड **55** का आह्वान-की वैधता:

आयोजित किया गया: जहां तक 7 प्रतिशत पूर्व-जमा शर्त का संबंध है, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है कि 7 प्रतिशत की इस राशि को अंततः मध्यस्थता कार्यवाही के अंत में कैसे समायोजित किया जाना है-खंड 3 और 4 क्रमशः निष्पादन और वापसी के लिए प्रतिभूति जमा से संबंधित हैं, जिसका जीसीसी के खंड 55 में निर्धारित 7 प्रतिशत की पूर्व-जमा राशि के साथ कोई संबंध नहीं है-जैसे कि 944

943

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

कुल दावे के 7 प्रतिशत पूर्व-जमा की अस्पष्ट और अस्पष्ट स्थिति इसे मनमानेपन के लिए अधिक संवेदनशील बनाती है जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है-इस प्रकार, जीसीसी के

खंड 55 में निहित शर्तों, जो दावा की गई कुल राशि के 7 प्रतिशत जमा से संबंधित हैं, को नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए।[पैरा 66,68]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, **1996**-मध्यस्थता समझौता-जमा-पूर्व खंड-एस. के. जैन का मामला और आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड का मामला जहां जमा-पूर्व खंड को ठोस चुनौती दी गई है, यदि इस न्यायालय के उक्त निर्णयों के बीच कोई प्रत्यक्ष टकराव होता है:

आयोजित किया गया:एस. के. जैन के मामले और आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड के मामले के बीच कोई टकराव नहीं है, क्योंकि दोनों मामलों में इस न्यायालय के विचार के लिए प्रासंगिक मध्यस्थता खंड पूरी तरह से अलग-अलग आधार पर थे।[पैरा 61]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, **1996** -धारा **11 (6)**-मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए याचिका-मध्यस्थता खंड में निहित पूर्व-जमा शर्त की वैधता-यदि इसे याचिका में संविधान के अनुच्छेद **14** के प्रावधान पर देखा और निर्णय लिया जा सकता है:

आयोजित किया गया:यह नहीं कहा जा सकता है कि यह न्यायालय यू/एस के आवेदन पर विचार करते समय 11(6) क्योंकि मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर मध्यस्थता खंड में निर्धारित शर्तों की वैधता या तर्कसंगतता का परीक्षण नहीं करना चाहिए-यह कहना बहुत अधिक होगा कि यह केवल अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका में रिट अदालत है जो इस बात पर विचार कर सकती है कि क्या मध्यस्थता खंड में एक विशेष शर्त मनमाना है-"पार्टी स्वायत्तता" की अवधारणा को उस हद तक नहीं बढ़ाया जा सकता है जहां यह संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है-एक मध्यस्थता खंड के कानूनी रूप से बाध्यकारी होने के लिए इसे "कानून के संचालन" के अनुरूप होना चाहिए जिसमें ग्रंडनोर्म-संविधान शामिल है-कानून के खिलाफ कोई सहमति नहीं हो सकती है और मौलिक अधिकारों की कोई छूट नहीं हो सकती है। [पैरा 70,71,84,85]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, **1996** -धारा **11 (6)**-मध्यस्थ की नियुक्ति-अनुबंध का मध्यस्थता खंड जो प्रधान सचिव/सचिव (सिंचाई) को अपनी पसंद का मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार देता है, यदि पर्किन्स ईस्टमैन के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के दायरे में आता है:

आयोजित किया गया:यदि मनोनीत व्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में न्यायसंगत संदेह पैदा करने वाली परिस्थितियाँ मौजूद हैं या यदि अन्य **945**

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड।

परिस्थितियों में निर्धारित प्रक्रिया की अनदेखी करके एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति की आवश्यकता होती है, मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित व्यक्ति, दर्ज किए जाने वाले कारणों से नामित मध्यस्थ की अनदेखी कर सकता है और किसी और को नियुक्त कर सकता है-तथ्यों पर,

जीसीसी के खंड 55 में निहित शर्त के संबंध में उत्तराखंड सरकार के प्रधान सचिव (सिंचाई) को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार देने की शर्त को नजरअंदाज कर दिया जाता है और एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए आगे बढ़ाया जाता है।[पैरा 87,102]

एस।12(5) - मध्यस्थों की तटस्थता:

आयोजित किया गया:उपयोग की जाने वाली "तटस्थता" किसी भी पक्ष के प्रति किसी भी पूर्वाग्रह के बिना मध्यस्थों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता से संबंधित है-धाराओं की उप-धारा (5)।12 यह निर्धारित करता है कि इसके विपरीत किसी भी पूर्व समझौते के बावजूद, कोई भी व्यक्ति जिसका पक्षकारों या वकील या विवाद के विषय-वस्तु के साथ संबंध सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट श्रेणियों में से किसी के तहत आता है, वह मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा-ऐसी स्थिति में, जब मध्यस्थता खंड संशोधित प्रावधानों के साथ खिलवाड़ करता है, तो मध्यस्थ की नियुक्ति मध्यस्थता समझौते के दायरे से परे होगी, जिससे अदालत को ऐसे मध्यस्थ (ओं) को नियुक्त करने का अधिकार होगा जो अनुमेय हो-यह धाराओं में निहित अबाधित खंड का प्रभाव होगा।12(5) और दूसरा पक्ष मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में मध्यस्थ की नियुक्ति पर जोर नहीं दे सकता है।[पैरा 90,91]

न्यायशास्त्र-मूल मानदंड पर केल्सन का कानून का शुद्ध सिद्धांत-भारत में "ग्रंडनोर्म" का अनुप्रयोग:

आयोजित किया गया:मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में, केल्सन के सिद्धांत के अनुसार ग्रंडनोर्म की परतें निम्नलिखित पदानुक्रम में होंगी-भारत का संविधान; मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और कोई अन्य केंद्रीय/राज्य कानून; और एस के आलोक में पक्षों द्वारा किया गया मध्यस्थता समझौता।7 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-इस प्रकार, मध्यस्थता समझौते को निम्नलिखित की आवश्यकताओं का पालन करना होगा और एस का उल्लंघन नहीं हो सकता है।7 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम; मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 996 और केंद्रीय/राज्य कानून के किसी भी अन्य प्रावधान; और भारत का संविधान-मध्यस्थता राशन और सुलह अधिनियम, 1996-भारत का संविधान।[पारस 78,81,82]

सिद्धांत/सिद्धांत-असहनीयता का सिद्धांत-चर्चा की गई।

[पैरा 95-101]

946 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डी. पी. सी. और एक अन्य बनाम एच. एस. सी. सी. (इंडिया) लिमिटेड (2020) 20 एस. सी. सी. 760; आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य जल आपूर्ति और

सीवरेज बोर्ड और दूसरा (2019) 4 एस. सी. सी. 401:[2019] 2 एससीआर 984; आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनामतिवारी रोड लाइन्स (2007) 5 एससीसी 703:[2007] 6 एससीआर 156;

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और एक अन्य बनाम भूमिहिवे डीडीबी लिमिटेड।

(जेवी) और अन्य (2006) 10 एससीसी 763:[2006] 6 पूरक।एससीआर 586; यश के साथ कंस्ट्रक्शंस (पी) लिमिटेड बनामसिम्प्लेक्स कंक्रीट पाइल्स इंडिया लिमिटेड और एक अन्य (2006) 6 एससीसी 204:[2006] 3 पूरक।एससीआर 96; एस. के. जैन बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य (2009) 4 एस. सी. सी. 357:[2009] 2 एस. सी. आर. 1080; पश्चिम बंगाल राज्य

और अन्य बनाम संबद्ध ठेकेदार (2015) 1 एस. सी. सी. 32:[2014] 10 एस. सी. आर. 426; ड्यूरो फेलगुएरा, एस. ए. बनाम.गंगावरम पोर्ट लिमिटेड (2017) 9 एस. सी. सी. 729:[2017] 10 एस. सी. आर. 285; विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम दुर्गा व्यापार निगम

(2021) 2 एससीसी 1:[2020] 11 एससीआर 1001; प्रवीण इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

v. गैलेक्सी इन्फ्रा एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड (2021) 5 एससीसी 671:[2021] 1 एससीआर 1162; संजीव प्रकाश बनाम सीमा कुकरेजा और अन्य (2021) 9 एससीसी 732; इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एनसीसी लिमिटेड (2023) 2 एससीसी 539; भारत संचार निगम लिमिटेड और एक अन्य बनाम नॉर्टेल नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट

लिमिटेड (2021) 5 एससीसी 738:[2021] 2 एस. सी. आर. 644; सिकंदराबाद छावनी

बोर्ड बनाम बी. रामचंद्रैया एंड संस (2021) 5 एससीसी 705:[2021] 3 एससीआर 68; बी और टी एजी बनाम रक्षा मंत्रालय 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 657; नगर निगम।, जबलपुर एंड अदर्स वी. राजेश कंस्ट्रक्शन कंपनी (2007) 5 एससीसी 344:[2007] 5 एससीआर 137; लाइट बाईट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड बनामविमानपत्तन प्राधिकरण

भारत ने 2020 में एस. सी. सी. ऑनलाइन केर 4736, द आसन को-ऑप में रिपोर्ट किया। एल एंड सी

सोसायटी बनाम हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, एआरबी-127-2019 (अनुभाग)

11 याचिका); सीडब्ल्यूपी-13539-2021 (सिविल रिट याचिका); गर्ग एंड कंपनी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, सीडब्ल्यूपी सं। 2020 का 21840,2020 का 21857 और

21858 2020 (ओ एंड एम); बृज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा. लि. लिमिटेड वी.हरियाणा

शहरी विकास प्राधिकरण, सीडब्ल्यूपी-14587-2022 (ओ एंड एम); बठिंडा रेलवे हस्तांतरण सहकारी एल एंड सी सोसायटी लिमिटेड बनाम पंजाब मंडी बोर्ड और अन्य, 2019 की सिविल रिट याचिका संख्या 28981 (ओ एंड एम); भारत के अद्भुत ठेकेदार प्रा. लि. बनाम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अन्य ने 2023 में एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 1704, 2022 के सी. ओ. 66 में सूचना दी; ए. एल. कालरा बनाम परियोजना और उपकरण

भारतीय निगम लिमिटेड (1984) 3 एस. सी. सी. 316; [1984] 3 एससीआर 646; टीआरएफ लिमिटेड

v. एनर्जी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (2017) 8 एस. सी. सी. 377; [2017] 7 एस. सी. आर. 409; वायस्टाल्पाइन शियनन जी. एम. बी. एच. बनाम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 947

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड।

(2017) 4 एससीसी 665; [2017] 1 एससीआर 798; स्कवाइन लीडर एच. एस. कुलश्रेष्ठ बनाम भारत संघ 1999 एस. सी. सी. ऑनलाइन सभी 270; अब्दुर सुकुर और एक अन्य बनाम राज्य

पश्चिम बंगाल और अन्य 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 5455; ओम प्रकाश गुप्ता

बनाम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ए. एन. आर. 2009 एस. सी. सी. ऑनलाइन राज 1381; सुनील बनाम एम. पी. राज्य और एक अन्य 2016 में एस. सी. सी. ऑनलाइन एम. पी. 8551; आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य बनाम श्रीमती। पी. लक्ष्मी देवी (2008) 4 एससीसी 720; [2008] 3 एस. सी. आर. 330; ओल्गा टेलिस और अन्य बनाम बॉम्बे नगरपालिका

निगम और अन्य (1985) 3 एस. सी. सी. 545; [1985] 2 पूरक।एससीआर 51; दातार

स्विचगियर्स लिमिटेड बनाम.टाटा फाइनेंस लिमिटेड (2000) 8 एस. सी. सी. 151; पुंज लॉयड लिमिटेड बनाम.पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड (2006) 2 एससीसी 638; भारत संघ बनाम भारत बैटरी

एम. एफ. जी. कं. (पी) लिमिटेड (2007) 7 एससीसी 684; [2007] 8 एस. सी. आर. 993; डीप ट्रेडिंग कं.इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन।(2013) 4 एससीसी 35; [2013] 2 एस. सी. आर. 470; भारत संघ बनाम सिंह बिल्डर्स सिंडिकेट (2009) 4 एस. सी. सी. 523; [2009] 3 एससीआर 563; उत्तर

पूर्वी रेलवे बनाम ट्रिपले इंग।कार्य (2014) 9 एस. सी. सी. 288:[2014] 6 एस. सी. आर. 1143; भारत संघ और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य पुल निगम

लिमिटेड (2015) 2 एससीसी 52:[2014] 13 एस. सी. आर. 1180-संदर्भित।

उबर टेक्नोलॉजीज इंक., उबर कनाडा इंक., उबर बी. वी. और रेसियर

ऑपरेशन बी. वी. बनाम डेविड हेलर 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैन एस. सी. 13; पैटरसन

v. आई. टी. टी. उपभोक्ता वित्तीय निगम ने 18 कैल में सूचना दी। आरपीटीआर।2 डी 563 (कैल। सीटी. ऐप। 1993); वेगटर बनाम पूर्वानुमान वित्तीय निगम में रिपोर्ट किया गया

2007 डब्ल्यू. एल. 4178947-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

नागरिक मूल न्यायनिर्णय:2022 की मध्यस्थता याचिका No.43।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (12) के साथ पठित धारा 11 (6) के तहत याचिका।

रूप:

सिद्धांत गोयल, मोहित गोयल, सुश्री गरिमा बजाज, शुभम सक्सेना, अभिषेक कोटनाला, कर्मण्य देव शर्मा, अधिवक्ता।याचिकाकर्ता के लिए।अमित आनंद तिवारी, के. के. सिन्हा, सुश्री देवयानी गुप्ता, सुश्री तन्वी आनंद, सुश्री सौश्रीया हवेलिया, अनिरुद्ध सिंह, सुश्री आरजू रावत, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

948 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

जे. बी. पारदीवाला, जे.

1. यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में, "अधिनियम 1996") की धारा 11 (6) के तहत एक याचिका है जिसका नेतृत्व स्विट्जरलैंड में स्थित एक कंपनी ने किया और याचिकाकर्ता और प्रतिवादी यानी उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड (उत्तराखंड सरकार का एक पूर्ण स्वामित्व वाला निगम) के बीच किए गए अनुबंध से उत्पन्न विवादों और दावों के निर्णय के लिए एक मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने वाले डिजाइन परामर्श के व्यवसाय में लगी हुई है।

फैक्ट मैट्रिक्स

2. याचिकाकर्ता स्विट्जरलैंड में स्थित एक डिजाइन परामर्श एजेंसी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय वाया डेल टिग्लियो 2, पीओ बॉक्स 934, सीएच 934, सीएच 6512, बेलिन्ज़ोना-गुइबियास्को,

स्विट्जरलैंड में है और स्थानीय भारतीय पता बी 3/61, पहली मंजिल, सफदरजंग एन्क्लेव, दिल्ली-110029 पर है।

3. प्रत्यर्थी उत्तराखंड सरकार का एक पूर्ण स्वामित्व वाला निगम है जिसका पंजीकृत कार्यालय महारानी बाग, जी. एम. एस. रोड, देहरादून, उत्तराखंड, भारत में है और वह उत्तराखंड राज्य में पनबिजली संयंत्रों के संचालन के व्यवसाय में लगा हुआ है।

4. याचिकाकर्ता ने उत्तराखंड परियोजना विकास और निर्माण निगम लिमिटेड (इसके बाद "यू. पी. डी. सी. सी." के रूप में संदर्भित) के साथ "परामर्श सेवाएं प्रदान करने और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पाबर नदी पर अराकोट तिउनी पनबिजली परियोजना की संशोधित व्यापक और बैंक योग्य विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने" के लिए एक अनुबंध किया। 2019 (निविदा संदर्भ सं. 01/डी. जी. एम./यू. पी. डी. सी. सी./2018-19) (इसके बाद 'अनुबंध' या 'परियोजना' के रूप में संदर्भित)। इस परियोजना का मूल्य रु। 1,39,45,000/- (केवल एक करोड़ उनतालीस लाख पैंतालीस हजार रुपये) (इसके बाद "अनुबंध मूल्य" के रूप में संदर्भित)। याचिकाकर्ता को अनुबंध के निष्पादन की तारीख यानी 25.10.2019 पर काम शुरू करना था और 24 महीने के भीतर, यानी 25.09.2021 तक काम पूरा करना था।

949

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 950 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

5. अनुबंध की विशेष शर्तों (एस. सी. सी.) की अनुसूची ए से खंड 5 (जिसे इसके बाद "अनुसूची ए" के रूप में संदर्भित किया गया है) में उन सभी कार्यों के पूरा होने की अवधि का प्रावधान किया गया है जिन्हें याचिकाकर्ता को परियोजना के तहत पूरा करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, एस. सी. सी. की अनुसूची बी से खंड 5 (जिसे इसके बाद "अनुसूची बी" के रूप में संदर्भित किया गया है) में उस भुगतान का प्रावधान किया गया है जिसे काम के प्रत्येक चरण के पूरा होने पर याचिकाकर्ता को जारी किया जाना था। 6. उत्तरदाता ने उत्तराखंड सरकार द्वारा पारित एक आदेश के अनुसार यूपीडीसीसी से उक्त परियोजना को अपने हाथ में ले लिया, जिसमें निर्देश दिया गया था कि परियोजना को यूपीडीसीसी से उत्तरदाता को हस्तांतरित किया जाए। परियोजना का अधिग्रहण दिनांक 1 (इसके बाद "त्रिपक्षीय समझौते" के रूप में संदर्भित) के एक त्रिपक्षीय समझौते के आधार पर किया गया था, जिसके तहत अनुबंध को इस हद तक नया बनाया गया था कि प्रतिवादी ने यूपीडीसीसी के स्थान पर कदम रखा और अनुबंध के तहत सभी दायित्वों को संभाल लिया।

7. अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 55 के साथ पठित खंड 53 (जिसे इसके बाद "जी. सी. सी." के रूप में संदर्भित किया गया है), जो याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच अनुबंध का हिस्सा है, मध्यस्थता समझौते को निर्धारित करता है। उक्त खंड संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

“वर्ग-53: दावों के लिए प्रक्रिया:

53.1 यदि इस कार्य के निष्पादन के लिए अनुबंध के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले नियोक्ता और ठेकेदार के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, चाहे वह कार्य के निष्पादन के दौरान हो या उनके पूरा होने के बाद और अनुबंध के निराकरण या समाप्ति से पहले या बाद में, जिसमें किसी भी कार्रवाई, निष्क्रियता, राय, निर्देश निर्धारण, प्रमाणन या इंजीनियर के मूल्यांकन के साथ किसी भी पक्ष द्वारा कोई असहमति शामिल है, तो विवादग्रस्त मामले को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों या किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के अनुसार संदर्भित किया जाएगा और मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगा।

53.2 ठेकेदार अपने दावों का विवरण लिखित रूप में प्रस्तुत करेगा जिसमें शामिल हैं:

(i) उन घटनाओं से संबंधित विवरण जिन पर दावा आधारित है; (ii) दावे के लिए कानूनी आधार, चाहे वह अनुबंध की अवधि पर आधारित हो या अन्यथा, और यदि अनुबंध की अवधि पर आधारित हो, तो स्पष्ट रूप से विशिष्ट सी अवधि की पहचान करना;

vii) सत्यापन की अनुमति देने के लिए दावे के समर्थन में पर्याप्त विस्तार से तथ्यों पर भरोसा किया गया; और

viii) दावा की गई राशि का विवरण और इसकी गणना कैसे की गई है।एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

वर्ग-55:आर्बिट्रेशन:

(क) यहाँ विनिर्दिष्ट अभिकल्पना, आरेखण और निर्देशों के अर्थ से संबंधित सभी प्रश्न और विवाद और कार्य पर उपयोग की जाने वाली कारीगरी या सामग्री की गुणवत्ता के बारे में या किसी अन्य प्रश्न के दावे, अधिकार, पदार्थ या चीज के बारे में, जो भी किसी भी तरह से अनुबंध, अभिकल्पना, रेखाचित्र, विनिर्दिष्ट अभिकल्प, निर्देश, आदेश या इन शर्तों से उत्पन्न या संबंधित है या अन्यथा कार्यों या निष्पादन या उसे निष्पादित करने में विफलता से संबंधित है, चाहे वह कार्य की प्रगति के दौरान या उसके रद्द होने, समाप्ति, समापन या परित्याग के बाद उत्पन्न हो, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों या किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन के अनुसार संचालित किया जाएगा।हालाँकि, मध्यस्थता दावा शुरू करने वाले पक्ष को मध्यस्थता दावे का 7 प्रतिशत निश्चित जमा रसीद के रूप में प्रतिभूति जमा के रूप में जमा करना होगा।

(ख) दावा प्रस्तुत करने पर मध्यस्थ की नियुक्ति निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी:

I) 1 करोड़ रुपये तक की दावा राशि के लिए, मामले को प्रधान सचिव/सचिव (सिंचाई), भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा।

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 952 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

8. पक्षकारों के बीच उत्पन्न विभिन्न विवादों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता ने इसमें दिनांक 06.05.2022 पर मध्यस्थता का एक नोटिस जारी किया, जिसमें प्रतिवादी से ऊपर निर्दिष्ट GCC में निहित मध्यस्थता खंड के संदर्भ में एक मध्यस्थ नियुक्त करने का आह्वान किया गया। मध्यस्थता सूचना का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

“26. इसलिए, दावेदार के बकाया का भुगतान करने में प्रतिवादी की विफलता, दावेदार के कुल 1,04 रुपये के दावों के निपटारे के लिए जी. सी. सी. के 53 और 55 में निहित मध्यस्थता खंड को लागू करने का हकदार बनाती है। 86/- (भारतीय रुपया एक करोड़ चार लाख बत्तीस हजार छह सौ छियासठ और आठवें-छह पैसे केवल), यानी आई. एन. आर. 32,91,020- (भारतीय रुपया बत्तीस लाख इकानबे हजार और बीस केवल) 27 जुलाई 2020 के बिल और आई. एन. आर. के लिए। 71, 41, 644.86- (भारतीय रुपया इकत्तर लाख इकतालीस हजार छह सौ चौंतीस और छियासठ पैसे केवल) प्रत्यर्थी द्वारा अनुबंध के परित्याग के कारण दावेदार द्वारा किए गए वित्तीय नुकसान के लिए। यह सूचना दावेदार के अपने दावे के समर्थन में उसके संज्ञान में आने वाले किसी भी अन्य अतिरिक्त साक्ष्य/तथ्य को सुधारने/संशोधित करने/जोड़ने के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है, जो स्पष्ट रूप से अधिकार सुरक्षित हैं।

27. चूंकि दावेदार का दावा 10 करोड़ रुपये से कम राशि के लिए है, इसलिए जीसीसी के खंड 55 (बी) (I) के तहत, उत्तराखंड सरकार के प्रधान सचिव/सचिव (सिंचाई) द्वारा एक एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की जानी है। पूर्वगामी के बावजूद, दावेदार प्रस्तुत करता है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में हाल के संशोधनों और पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डी. पी. सी. और एक अन्य बनाम एच. एस. सी. सी. (इंडिया) लिमिटेड [(2020) 20 एस. सी. सी. 760] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रचलित कानून के आलोक में, अनुबंध के तहत प्रतिवादी को दी गई नियुक्ति का एकतरफा अधिकार, आज तक लागू नहीं है। इसलिए, दावेदार इस सूचना में प्रतिवादी द्वारा विचार और नियुक्ति के लिए एक मध्यस्थ का नाम प्रस्तावित करेगा। दावेदार श्री एस. के. सरवरिया, जिला और सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त), मोबाइल संख्या 9910384642 को दावेदार द्वारा उठाए गए दावों के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव करता है। प्रत्यर्थी से अनुरोध है कि वह उपरोक्त नामित व्यक्ति के लिए अपने आश्वासन की सूचना दे या एल. डी. की नियुक्ति के लिए एक वैकल्पिक नाम प्रदान करे। एकमात्र मध्यस्थ, जिसे दावेदार की लिखित मंजूरी के बाद ही आपसी सहमति से नियुक्त किया जाएगा।

28. प्रत्यर्थी से अनुरोध है कि वह इस सूचना की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर दावेदार द्वारा प्रस्तावित नामित व्यक्ति को अपनी मंजूरी के बारे में सूचित करे, जिसमें विफल रहने पर दावेदार मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने के लिए लागू कानून के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।”

9. यह याचिकाकर्ता का मामला है कि मध्यस्थता के उपरोक्त नोटिस का उचित जवाब देने के बजाय, प्रतिवादी ने 09.05.2022 दिनांकित एक पत्र जारी किया, जिसमें काम का पालन न करने और संविदात्मक दायित्व को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए अनुबंध को समाप्त कर दिया गया।

10. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने अधिनियम 1996 की धारा 11 (6) को लागू करते हुए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए वर्तमान आवेदन को प्राथमिकता दी है।

याचिकाकर्ता के स्वयं के बारे में निवेदन

11. याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील श्री सिद्धांत गोयल ने कहा कि यह मामला अधिनियम 1996 की धारा 2 (च) के अर्थ में "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" में से एक है क्योंकि उनके मुवक्किल को भारत के बाहर शामिल किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिनियम 1996 की धारा 11 (12) (ए) के तहत, इस न्यायालय के पास अधिनियम 1996 की धारा 11 (6) के तहत एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए आवश्यक अधिकार क्षेत्र है क्योंकि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का है। 12. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अनुबंध का खंड 55.1 (बी) (I) जो प्रधान सचिव/सचिव (सिंचाई), उत्तराखंड सरकार द्वारा एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति का प्रावधान करता है,

पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डी. पी. सी. और एक अन्य मामले में इस न्यायालय का निर्णय बनाम एच. एस. सी. सी. (इंडिया) लिमिटेड ने (2020) 20 एस. सी. सी. 760 में रिपोर्ट किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अनुबंध के तहत प्रतिवादी को मध्यस्थ की नियुक्ति का एकतरफा अधिकार आज तक अप्रवर्तनीय है।

13. विद्वान वकील ने आगे कहा कि अनुबंध के खंड 55.1 (बी) (आई) के अनुसार मध्यस्थता शुरू करने के लिए दावा की गई राशि का 7 प्रतिशत पहले जमा करने की शर्त इस निर्णय के विपरीत है।

आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड और एक अन्य मामले में अदालत ने (2019) 4 एस. सी. सी. 401 में रिपोर्ट दी।

14. यह तर्क दिया गया था कि इस तरह के खंड को अनुचित होने के अर्थ में संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला मनमाना कहा जा सकता है और 953

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 954

अन्यायपूर्ण। यह भी तर्क दिया गया कि अनुबंध में ऐसे खंडों का ऐसे दावों के निर्धारण में किसी भी तुच्छ या परेशान करने वाले दावों को रोकने में कोई संबंध नहीं है।

15. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि इस याचिका में योग्यता होने के कारण इसकी अनुमति दी जा सकती है और पक्षों के बीच विवादों को हल करने के लिए एक एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया जा सकता है।

स्वयं जवाबदेह के बारे में सुझाव

16. प्रत्यर्थी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री अमित आनंद तिवारी ने जोरदार ढंग से कहा कि वर्तमान याचिका पूरी तरह से खारिज होने योग्य है क्योंकि याचिकाकर्ता दो पूर्व शर्तों का पालन करने में विफल रहा है: (i) दावा की गई राशि का 7 प्रतिशत पूर्व जमा करना और (ii) याचिकाकर्ता की ओर से अनुबंध के खंड 55 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रधान सचिव/सचिव (सिंचाई), उत्तराखंड सरकार से संपर्क करने में विफलता।

17. उपरोक्त संदर्भ में, उन्होंने इस निर्णय पर दृढ़ता से भरोसा किया

आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के मामलों में न्यायालय बनाम तिवारी रोड लाइन्स ने (2007) 5 एस. सी. सी. 703, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और एक अन्य बनाम भूमिहिवे डी. डी. बी. लिमिटेड (जे. वी.) और अन्य ने (2006) 10 एस. सी. सी. 763 और यशविथ कंस्ट्रक्शंस (पी) लिमिटेड बनाम सिम्प्लेक्स कंक्रीट पाइल्स इंडिया लिमिटेड

और एक अन्य ने (2006) 6 एस. सी. सी. 204 में रिपोर्ट किया। 18. उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यकतानुसार कार्य करने में विफल नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ का ध्यान एस. के. जैन बनाम हरियाणा राज्य और (2009) 4 एस. सी. सी. 357 में रिपोर्ट किए गए एक अन्य मामले में एक निर्णय की ओर आकर्षित किया, जिसमें दावा राशि के निश्चित प्रतिशत की प्रतिभूति जमा करने की आवश्यकता वाले समान खंड को वैध माना गया था। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता पूरी तरह से गलत है क्योंकि इसमें प्रासंगिक मध्यस्थता खंड में प्रदान किए गए पूर्व-जमा खंड की तुलना में काफी अलग शब्द थे।

एस. के. जैन (ऊपर) का मामला।

19. उन्होंने प्रस्तुत किया कि इसके विपरीत किसी भी खंड के अभाव में, प्रतिभूति जमा केवल "प्रतिभूति" के लिए जमा होने के कारण वापसी योग्य है। इस तरह के खंड का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पार्टियों द्वारा केवल वैध और प्रामाणिक दावे किए जाएं, और यह कि परियोजना तुच्छ से बाधित न हो।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और निराधार दावे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एस. के. जैन (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पूर्व-जमा का प्रावधान करने वाले खंड को तार्किक पाया और इसमें तुच्छ और बढ़ा-चढ़ाकर किए गए दावों को रोकने के लिए एक संतुलन कारक था। एस. के. जैन (उपरोक्त) में प्रासंगिक खंड में प्रावधान किया गया है कि मध्यस्थता कार्यवाही की समाप्ति पर, राशि को मध्यस्थ द्वारा दिए गए खर्चों के खिलाफ समायोजित किया जाएगा और शेष राशि वापस कर दी जाएगी। आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड (उपरोक्त) में, अनुबंध में स्पष्ट रूप से प्रतिभूति जमा को जब्त करने का प्रावधान किया गया है, यहां तक कि पुरस्कार जमा करने वाले पक्ष के पक्ष में जाने की स्थिति में भी। ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने इस तरह के खंड को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला मनमाना माना। वर्तमान मामले में, अनुबंध में खंड 55 के तहत ऐसी किसी भी जब्ती का प्रावधान नहीं है और उपयोग की गई शब्दावली के आधार पर, राशि को "प्रतिभूति" के रूप में जमा किया जाना है। यह प्रस्तुत किया गया था कि पक्षों के बीच कार्यवाही पूरी होने पर इसे वापसी योग्य समझा जाना चाहिए। यह तर्क दिया गया था कि किसी भी मामले में, जी. सी. सी. के खंड 4 में निर्धारित किया गया है कि दोष देयता अवधि की समाप्ति के 14 दिनों के बाद, मांग पर ठेकेदार को प्रतिभूति जमा राशि वापस की जानी है। यह खंड 55 के तहत की गई प्रतिभूति जमा को इसके दायरे से बाहर नहीं करता है।

20. उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिका में जमा-पूर्व खंड को कोई चुनौती नहीं है और अधिनियम 1996 की धारा 11 (6) के तहत वर्तमान याचिका केवल मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए है। याचिकाकर्ता की ओर से एस. के. जैन (ऊपर) और आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड (ऊपर) के निर्णय संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष रिट याचिकाओं से उत्पन्न अपीलों में दिए गए थे, जहां जमा-पूर्व खंड को ठोस चुनौती दी गई थी।

21. यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता को पूर्व-जमा खंड के लिए सहमति देने के बाद उस स्तर पर उसकी वैधता पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जब अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत एक याचिका पर विचार किया जा रहा है, जिससे "पक्ष की स्वायत्तता" के सिद्धांत को दरकिनार किया जा रहा है। 22. अंतिम में, यह तर्क दिया गया कि अधिनियम 1996 की धारा 11 (6) के तहत इस न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश को पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम संबद्ध ठेकेदारों (2015) 1 एस. सी. सी. 32 में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए एक बाध्यकारी मिसाल के रूप में नहीं माना जा सकता है।

23. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि याचिका में कोई योग्यता नहीं होने के कारण इसे खारिज कर दिया जाए।

24. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, निम्नलिखित मुद्दे इस न्यायालय के विचार के लिए आते हैं:

(i) क्या आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्धारित उक्ति को हाथ में लिए गए मामले पर लागू किया जा सकता है, विशेष रूप से जब अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 55 में मध्यस्थता खंड को लागू करने के उद्देश्य से कुल दावे का 7 प्रतिशत पूर्व-जमा करने का प्रावधान है?

((ii) क्या इसके निर्णयों के बीच कोई सीधा टकराव है।

एस. के. जैन (ऊपर) और आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड (ऊपर) में अदालत?

(iii) क्या यह न्यायालय एकल मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अधिनियम 1996 की धारा 11 (6) के तहत एक याचिका पर निर्णय लेते समय यह मान सकता है कि मध्यस्थता खंड में निर्धारित पूर्व-जमा की शर्त जैसा कि अनुबंध में प्रदान किया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का स्पष्ट रूप से मनमाना होने का उल्लंघन है?

(iv) क्या उत्तराखंड राज्य के प्रधान सचिव/सचिव (सिंचाई) को अपनी पसंद का मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार देने वाले अनुबंध का मध्यस्थता खंड संख्या 55 पर्किन्स ईस्टमैन (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के साथ मेल खाता है?

अधिनियम **1996** की धारा **11 (6)** के तहत न्यायालय का न्यायनिर्णयन

25. इस न्यायालय के कुछ निर्णयों के मद्देनजर, विधायिका ने मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 (जिसे इसके बाद "संशोधन 2015" के रूप में संदर्भित किया गया है) के माध्यम से अधिनियम 1996 की धारा 11 में उप धारा (6 ए) जोड़ने पर विचार किया। वही इस प्रकार पढ़ता है:

“(6 क) उच्चतम न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय, उप-धारा (4) या उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के तहत किसी भी आवेदन पर विचार करते समय, किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद, मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच को स्वीकार नहीं करेगा।”

(जोर दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

26. विधायी परिवर्तन का संज्ञान लेते हुए, ड्यूरो में यह न्यायालय

फेलगुएरा, एस. ए. बनाम गंगावरम पोर्ट लिमिटेड ने (2017) 9 एस. सी. सी. 729 में सूचित किया,

यह उल्लेख किया गया कि 2015 के संशोधन के बाद, अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत अदालत का अधिकार क्षेत्र इस बात की जांच करने तक सीमित है कि क्या पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौता मौजूद है-"कुछ भी अधिक नहीं, कुछ भी कम नहीं"।²⁷ इस विषय पर पूरे मामले के कानून पर तीन लोगों द्वारा विचार किया गया -

विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम दुर्गा ट्रेडिंग मामले में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ

निगम ने (2021) 2 एस. सी. सी. 1 में रिपोर्ट किया, और अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत पूर्व-संदर्भित अधिकार क्षेत्र के संबंध में एक व्यापक सिद्धांत निर्धारित किया गया था। निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"153. तदनुसार, हमारा मानना है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 में "मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व" अभिव्यक्ति में मध्यस्थता समझौते की वैधता का पहलू शामिल होगा, हालांकि रेफरल स्तर पर अदालत इस निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर प्रथम दृष्टया परीक्षण लागू करेगी। बहस योग्य और विवादास्पद तथ्यों और उचित तर्क योग्य मामले आदि के मामलों में, अदालत पक्षों को मध्यस्थता समझौते का पालन करने के लिए मजबूर करेगी क्योंकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र और गैर-मध्यस्थता के सवाल सहित विवादों को तय करने का प्राथमिक अधिकार क्षेत्र और अधिकार है। 154. "मध्यस्थता कौन तय करता है?" शीर्षक के तहत चर्चा।" इसे निम्नानुसार क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है:

154.1. पटेल इंग में निर्णय का अनुपात। लिमिटेड [एस. बी. पी. एंड कंपनी बनाम. पटेल

इंग. लिमिटेड, (2005) 8 एस. सी. सी. 618] मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 या 11 के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेते समय अदालत द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे में, 2016 के अधिनियम 3 द्वारा संशोधनों के बाद (23-10-2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ) और यहां तक कि 2019 के अधिनियम 33 द्वारा संशोधनों के बाद (9-8-2019 से प्रभाव के साथ), अब लागू नहीं है। 154.2. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 11 के तहत न्यायालय की न्यायिक समीक्षा और क्षेत्राधिकार का दायरा समान है लेकिन बेहद सीमित और प्रतिबंधित है।

154.3. 2016 के अधिनियम 3 और 2019 के अधिनियम 33 से स्पष्ट विधायी जनादेश और पृथक्ता और क्षमता-क्षमता के सिद्धांत को देखते हुए सामान्य नियम और सिद्धांत यह है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण सभी 957 को निर्धारित करने और निर्णय लेने के लिए पसंदीदा प्रथम प्राधिकरण है।

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 958 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

गैर-मध्यस्थता के प्रश्न। न्यायालय को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (2) (ए) के उपखंड (i), (ii) या (iv) या धारा 34 (2) (बी) के उपखंड (i) के संदर्भ में निर्णय के बाद गैर-मध्यस्थता के पहलुओं पर "दूसरी बार देखने" की शक्ति प्रदान की गई है।

154.4. शायद ही कभी एक अवरोधक के रूप में न्यायालय धारा 8 या 11 के स्तर पर हस्तक्षेप कर सकता है जब यह स्पष्ट रूप से और प्रत्यक्ष रूप से निश्चित हो कि मध्यस्थता समझौता अस्तित्व में नहीं है, अमान्य है या विवाद गैर-मध्यस्थ हैं, हालांकि गैर-मध्यस्थता की प्रकृति और पहलू, कुछ हद तक, न्यायिक जांच के स्तर और प्रकृति को निर्धारित करेगा। प्रतिबंधित और सीमित समीक्षा पक्षकारों को मध्यस्थता करने के लिए मजबूर होने से रोकने और बचाने के लिए है जब मामला स्पष्ट रूप से "गैर-मध्यस्थता" है और डेडवुड को काटना है। न्यायालय स्वाभाविक रूप से मामले को तब संदर्भित करेगा जब गैर-मध्यस्थता से संबंधित दलीलें स्पष्ट रूप से बहस योग्य हों; जब संक्षिप्त कार्यवाही में विचार असंवेदनशील और अनिर्णायक हो; जब तथ्यों का विरोध किया जाता है; जब मध्यस्थता का विरोध करने वाला पक्ष विलंब की रणनीति अपनाता है या मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन को बाधित करता है। यह न्यायालय के लिए एक लघु विचारण या विस्तृत समीक्षा में प्रवेश करने का चरण नहीं है ताकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अधिकारिता को हड़प लिया जा सके, बल्कि एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता की अखंडता और प्रभावशीलता को बनाए रखा जा सके।"

(जोर दिया गया) 28. पूर्व-संदर्भित चरण में न्यायिक जांच के सीमित दायरे को प्रथम दृष्टया समीक्षा के परीक्षण के माध्यम से नेविगेट किया जाता है। इसे निम्नानुसार समझाया गया है:

"133. धारा 8 के संदर्भ में प्रथम दृष्टया मामले को पक्षकारों द्वारा रखे गए मामले के गुण-दोष के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए जिसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष स्थापित किया जाना है। यह एक वैध मध्यस्थता समझौते के तहत मुकदमे के विषय के प्रथम दृष्टया मध्यस्थ होने तक सीमित है। प्रथम दृष्टया मामले का अर्थ है कि इन पहलुओं पर दावे वास्तविक हैं। जब पृथक्करण और क्षमता-क्षमता के सिद्धांतों और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के साथ पढ़ा जाता है, तो रेफरल अदालत पक्षकारों को तब तक पालन करने के लिए मजबूर करेगी जब तक कि इसके विपरीत अच्छे और ठोस कारण न हों। 134. प्रथम दृष्टया परीक्षा पूर्ण समीक्षा नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूप से और प्रत्यक्ष रूप से गैर-मौजूद और अमान्य को समाप्त करने के लिए एक प्राथमिक प्रथम समीक्षा है।

मध्यस्थता समझौते और गैर-मध्यस्थता विवाद। संदर्भ स्तर पर प्रथम दृष्टया समीक्षा डेडवुड को काटना और सीधे मामलों में साइड शाखाओं को काटना है जहां बर्खास्तगी नंगे चेहरे और पेलुसिड है और जब तथ्यों और कानून पर मुकदमेबाजी को पहले चरण में रोकना चाहिए। केवल तभी जब न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है या विवाद/विषय-वस्तु मध्यस्थता योग्य नहीं हैं, तो धारा 8 के तहत आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। इस स्तर पर, अदालत को झंझटों में नहीं फंसना चाहिए और तथ्यों के विवादास्पद प्रश्नों का निर्णय नहीं करना चाहिए। रेफरल कार्यवाही प्रारंभिक और संक्षिप्त होती है न कि लघु परीक्षण।

XXX

XXX

138...दूसरी ओर, अनुबंध निर्माण, अस्तित्व, वैधता और गैर-मध्यस्थता से संबंधित मुद्दों को संबंधित विवादों/दावों के गुण-दोष के अंतर्निहित मुद्दों के साथ जोड़ा और जोड़ा जाएगा। वे तथ्यात्मक और विवादित होंगे और मध्यस्थ न्यायाधिकरण को निर्णय लेना होगा।

139. हम बहुत अधिक निर्देशात्मक नहीं होना चाहेंगे, यद्यपि हम यह देखते हैं कि न्यायालय वैध कारणों से, सार्वजनिक और निजी संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए, एक गहन लेकिन संक्षिप्त प्रथम दृष्टया समीक्षा करने के लिए न्यायिक विवेक का प्रयोग कर सकता है, जबकि इस बात से अवगत रहते हुए कि यह मध्यस्थता प्रक्रिया में सहायता करने के लिए है न कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अधिकारिता को हड़पने के लिए। एक विस्तृत पूर्ण समीक्षा या रेफरल स्तर पर एक लंबी समीक्षा करने से विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता की अखंडता और प्रभाव को कम करने में बाधा आएगी और देरी होगी। इसके विपरीत, यदि न्यायालय हस्तक्षेप करने के लिए बहुत अनिच्छुक हो जाता है, तो यह मध्यस्थता और न्यायालय दोनों की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकता है। कुछ ऐसे मामले हैं जहां प्रथम दृष्टया जांच के लिए गहन विचार की आवश्यकता हो सकती है। अदालत की चुनौती सही राशि और संदर्भ का पता लगाने की है जब वह प्रथम दृष्टया मामले की जांच करेगी या संयम का प्रयोग करेगी। कानूनी आदेश को रेफरल स्तर पर मध्यस्थता बाधा रणनीति से बचने और पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए मजबूर होने से बचाने के बीच एक सही संतुलन की आवश्यकता होती है जब मामला स्पष्ट रूप से गैर-मध्यस्थता योग्य होता है।

140. तदनुसार, जब यह प्रतीत होता है कि प्रथम दृष्टया समीक्षा अनिर्णायक होगी, या अपर्याप्त विचार पर क्योंकि इसके लिए विस्तृत 959 की आवश्यकता होती है।

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 960

परीक्षण, मामले को पक्षों द्वारा सहमति से चुने गए मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम निर्धारण के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। अंतर्निहित तर्क देरी या स्थगन नहीं करना और विलंब और बाधा डालने के लिए एक चाल के रूप में रेफरल कार्यवाही का उपयोग करने से पक्षों को हतोत्साहित करना है। ऐसे मामलों में इस स्तर पर अदालतों द्वारा पूरी समीक्षा मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करेगी और अदालतों और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के बीच अधिकार क्षेत्र आवंटित करने वाली विधायी योजना का उल्लंघन करेगी। मध्यस्थ न्यायाधिकरण के साथ प्राथमिक और प्रथम न्यायनिर्णायक के रूप में मुकदमे का केंद्रीकरण लाभप्रद है क्योंकि यह विवादों के त्वरित और प्रभावी समाधान में मदद करता है।”

(जोर दिया गया)

29. सामान्य नियम और निर्धारित सिद्धांत का पालन करना

विद्या द्रोलिया (ऊपर) में, यह न्यायालय लगातार यह अभिनिर्धारित करता रहा है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण गैर-मध्यस्थता के सभी प्रश्नों को निर्धारित करने और निर्णय लेने के लिए पसंदीदा प्रथम प्राधिकरण है। प्रवीण इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट में

लिमिटेड बनाम गैलेक्सी इन्फ्रा एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड (2021) 5 एस. सी. सी. 671, संजीव प्रकाश बनाम सीमा कुकरेजा और अन्य (2021) 9 एस. सी. सी. 732 और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एन. सी. सी. लिमिटेड में रिपोर्ट किए गए।

(2023) 2 एस. सी. सी. 539 में अभिलिखित, पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था, क्योंकि इनमें से प्रत्येक मामले में गैर-मध्यस्थता की आपत्ति पर प्रथम दृष्टया समीक्षा अनिर्णायक पाई गई थी। इस सामान्य सिद्धांत के अपवाद के बाद कि न्यायालय पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए तब नहीं भेज सकता जब यह स्पष्ट हो कि मामला स्पष्ट रूप से और प्रत्यक्ष रूप से गैर-मध्यस्थता योग्य है,

भारत संचार निगम लिमिटेड और एक अन्य बनाम नॉर्टेल नेटवर्क

इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने (2021) 5 एस. सी. सी. 738, सिकंदराबाद में रिपोर्ट किया

छावनी बोर्ड बनाम बी. रामचंद्रैया एंड संस ने (2021) 5 एससीसी 705 और बी एंड टी एजी बनाम रक्षा मंत्रालय ने 2023 में रिपोर्ट की।

एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 657, मध्यस्थता को अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि पक्षों के दावों को स्पष्ट रूप से समय-बाधित किया गया था।

30. वर्तमान मामले में, हम विवाद की मध्यस्थता से संबंधित मुद्दे से चिंतित नहीं हैं। यह प्रतिवादी का मामला भी नहीं है कि विवाद प्रत्यक्ष रूप से गैर-मध्यस्थ है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मामला यह है कि निश्चित रूप से एक मध्यस्थता विवाद है और इसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजा जाना चाहिए, हालांकि, याचिकाकर्ता को अनुबंध के खंड 55 का पालन करना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

31. इस मामले में, हम पहले मध्यस्थता खंड की वैधता के बारे में चिंतित हैं, जिसमें मध्यस्थता का आह्वान करने के उद्देश्य से कुल दावे का 7 प्रतिशत पूर्व-जमा करने का प्रावधान है और दूसरा, एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने का विवेकाधिकार प्रधान सचिव/सचिव (सिंचाई) के पास निहित है।

आरई:आईएसयूई एन. ओ. एस. **1** और **2**

32. इससे पहले कि हम अपने द्वारा बनाए गए मुद्दों का जवाब देने के लिए आगे बढ़ें, हमें ऊपर बताए गए कुछ निर्णयों पर ध्यान देना चाहिए।

एस. के. जैन बनाम हरियाणा राज्य

33. एस. के. जैन (उपरोक्त) में, चुनौती अपीलार्थी के नेतृत्व में एक रिट याचिका में पारित एक आदेश के लिए थी, जिसमें उसने मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष दावा की गई राशि का 7 प्रतिशत जमा करने का निर्देश देने वाले ज्ञापन को रद्द करने का अनुरोध किया था। दीवानी अपील को इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने खारिज कर दिया था और ज्ञापन को तदनुसार बरकरार रखा गया था।

34. एस. के. जैन (ऊपर) में, प्रासंगिक मध्यस्थता खंड निम्नानुसार है:

“25-ए. (7) यह भी इस अनुबंध समझौते की एक अवधि है कि जहां मध्यस्थता का आह्वान करने वाला पक्ष ठेकेदार है, मध्यस्थता के लिए कोई संदर्भ तब तक बनाए रखने योग्य नहीं होगा जब तक कि ठेकेदार काम के प्रभारी कार्यकारी अभियंता की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत नहीं करता है, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार निर्धारित राशि की प्रतिभूति जमा और इस तरह जमा की गई राशि, मध्यस्थता कार्यवाही की समाप्ति पर दावेदार पक्ष के खिलाफ मध्यस्थ द्वारा दिए गए खर्च, यदि कोई हो, के खिलाफ समायोजित की जाएगी और इस तरह के समायोजन के बाद शेष शेष राशि, ऐसी कोई लागत दिए जाने के अभाव में, पूरी राशि उसे पुरस्कार की तारीख से एक महीने के भीतर वापस कर दी जाएगी-दावे की राशि।

प्रतिभूति जमा की दर 1.10 रुपये से कम के दावों के लिए, दावा की गई राशि का 000 2% 2 है। 10, 000 रुपये के दावों के लिए और

5% दावा की गई राशि

रुपये 1,00,000 के ऊपर और नीचे और

3. रुपये 1,00,000 के दावों के लिए और

7% दावा की गई राशि "

ऊपर

(जोर दिया गया)

961

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 962 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

35. एस. के. जैन (ऊपर) में न्यायालय द्वारा की गई प्रासंगिक टिप्पणियाँ, विशेष रूप से, पैरा 14 इस प्रकार है:

“14. अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि खंड 25-ए के उपखंड (7) के संदर्भ में देय राशि में एक सीमा होनी चाहिए। यह दलील स्पष्ट रूप से आधारहीन है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह शामिल मात्रा के आधार पर संरचित है। दावा जितना अधिक होगा, शुल्क की राशि उतनी ही अधिक होगी। इसमें एक तर्क है। यह तुच्छ और बढ़े हुए दावों को

रोकने के लिए संतुलन कारक है। यदि अपीलार्थियों की याचिका स्वीकार की जाती है कि आवेदन पत्र में एक सीमा होनी चाहिए, तो एक दावेदार जो अधिक दावा कर रहा है, कम राशि का दावा करने वाले की तुलना में बेहतर आधार पर खड़ा होता है।”

नगरपालिका निगम, जबलपुर और अन्य बनाम राजेश निर्माण निगम, **(2007) 5 एस. सी. सी. 344**

36. उक्त मामले में, अपीलकर्ताओं ने सड़क के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित करने के नोटिस का उल्लंघन किया था। निविदा में निहित नियमों और शर्तों पर एक अनुबंध में प्रवेश करके कार्य का कुछ हिस्सा प्रतिवादी को दिया गया था। निविदा में विभिन्न खंड शामिल थे; उनमें से एक खंड 29 था जो पक्षों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में मध्यस्थता से संबंधित था और इस प्रकार है:

“29. सिवाय इसके कि इस अनुबंध में अन्यथा उपबंधित किया गया है, सभी प्रश्न और विवाद, जो किसी भी तरह से अनुबंध, अभिकल्पना, रेखाचित्र, विनिर्देशन, कार्यों से संबंधित अनुमानों या निष्पादन या उसे निष्पादित करने में विफलता से उत्पन्न या संबंधित हैं, चाहे वे कार्य की प्रगति के दौरान या उसके पूरा होने या छोड़ने के बाद उत्पन्न हों, ऐसी घटना के 30 दिनों की अवधि के भीतर अपने निर्णय के लिए लिखित रूप में नगर अभियंता को भेजे जाएंगे। इसके बाद नगर अभियंता इस तरह के अनुरोध के 60 दिनों की अवधि के भीतर अपने लिखित निर्देश और/या निर्णय देगा। इस अवधि को पक्षों की आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है।

निर्णयों के लिखित निर्देश प्राप्त होने पर, पक्ष बिना किसी देरी के ऐसे निर्देशों या निर्णयों का पालन करने के लिए तुरंत आगे बढ़ेंगे। यदि नगर अभियंता अपने निर्देश या निर्णय देने में विफल रहता है

60 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में या अनुरोध किए जाने के बाद पारस्परिक रूप से सहमत समय के भीतर यदि पक्षकार सी. ई. के निर्णय के खिलाफ व्यथित हैं, तो पक्षकार 30 दिनों के भीतर एम. पी. एल. कॉम की अपील को प्राथमिकता दे सकते हैं जो पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और अपनी अपील के समर्थन में सबूत पेश करेगा। एम. पी. एल. कॉम. 90 दिनों के भीतर अपना निर्णय देगी। यदि कोई पक्ष एम. पी. एल. कॉम. के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह ऐसे विवादों को मध्यस्थता के लिए निगम द्वारा गठित मध्यस्थता बोर्ड को भेज सकता है, जिसमें तीन सदस्य शामिल होंगे, जिनमें से एक को शहरी प्रशासन और विकास विभाग से संबंधित अधिकारियों में से चुना जाएगा, जो बी. ई. के पद से कम नहीं होगा, किसी भी तकनीकी विभाग का एक सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता और नगर अभियंता, नगर निगम, जबलपुर।

निम्नलिखित भी इस अनुबंध की शर्तें हैं, अर्थात्:

(क) निगम द्वारा गठित (सभी तकनीकी विभागों के मामलों को संभालने के लिए) उपरोक्त मध्यस्थता बोर्ड के अलावा कोई भी व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा और यदि किसी भी कारण से संभव नहीं है तो मामले को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जाएगा।

(ख) निगम किसी भी समय बोर्ड के कर्मियों में कोई बदलाव कर सकता है और मध्यस्थता बोर्ड में नियुक्त नए सदस्य या सदस्य अपने पूर्ववर्तियों द्वारा छोड़े गए स्तर से संदर्भ के साथ आगे बढ़ने के हकदार होंगे।

(ग) मध्यस्थता का आह्वान करने वाला पक्ष इस खंड के तहत मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किए जाने वाले विवाद या विवादों को ऐसे प्रत्येक विवाद (ओं) के संबंध में दावा की गई राशि या राशियों के साथ निर्दिष्ट करेगा।

(घ) जहां मध्यस्थता का आह्वान करने वाला पक्षकार ठेकेदार है, वहां मध्यस्थता के लिए कोई संदर्भ बनाए रखने योग्य नहीं होगा, जब तक कि ठेकेदार नीचे दी गई तालिका के अनुसार निर्धारित राशि की प्रतिभूति जमा नहीं करता है, और इस प्रकार जमा की गई राशि को मध्यस्थता कार्यवाही के निर्धारण पर, लागत के खिलाफ समायोजित किया जाएगा, यदि बोर्ड द्वारा पक्षकार के खिलाफ कोई अधिनिर्णय दिया जाता है और ऐसे समायोजन के बाद शेष शेष राशि या ऐसी लागतों के अभाव में पूरी राशि प्रदान की जाती है।

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 964 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

पुरस्कार की तारीख से एक महीने के भीतर उसे वापस कर दिया जाएगा।

दावे की राशि

प्रतिभूति जमा की दर 10 रुपये से कम के दावे के लिए, दावा की गई राशि का 000 5% 10,000 रुपये और उससे अधिक के दावे के लिए

3% आमू एन. टी. सी. एल. एम. एड

लेकिन रुपये 1,00,000 से नीचे

न्यूनतम 500 रुपये के अधीन

रुपये 1,00,000 के दावों के लिए और

2% दावा की गई राशि में से

ऊपर

न्यूनतम 3000 रुपये के अधीन "

(जोर दिया गया)

37. राजेश कंस्ट्रक्शंस कं. (उपरोक्त) में दर्ज प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

“20. खंड 29 विनिर्दिष्ट रूप से निर्धारित करता है, जैसा कि इसमें पहले संकेत दिया गया है, कि यदि पक्षों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो मध्यस्थता खंड का आह्वान करने वाला पक्ष पहले मुख्य अभियंता से संपर्क करेगा और विवाद का मध्यस्थता करने में उसकी विफलता पर, पीड़ित पक्ष एम. पी. एल. कॉम. को अपील कर सकता है, जिसमें विफल रहने पर, निगम खंड 29 में इंगित तरीके से विवादों को हल करने के लिए एक मध्यस्थता बोर्ड का गठन करेगा। हालांकि, ऐसा करने से पहले, मध्यस्थता खंड का आह्वान करने वाले पक्ष को निगम द्वारा निर्धारित राशि की प्रतिभूति प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

21. इस मामले में, यह माना जाता है कि प्रत्यर्थी द्वारा निगम को सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। वास्तव में, हमने प्रत्यर्थी की ओर से पेश श्री शर्मा से अपील की सुनवाई की तारीख पर यह पता लगाने के लिए कहा कि क्या प्रतिभूति जमा की गई थी या नहीं। निर्देश पर श्री शर्मा ने हमें सूचित किया कि ऐसी प्रतिभूति अभी तक जमा नहीं की गई है। आज भी ऐसी स्थिति होने के कारण, हमारा मानना है कि पक्षों के बीच विवादों को हल करने के लिए एक मध्यस्थता बोर्ड का गठन करने का निगम का दायित्व प्रत्यर्थी द्वारा अनुबंध के खंड 29 (डी) में परिकल्पित प्रतिभूति प्रदान करने में विफलता के कारण उत्पन्न नहीं हो सका। इसलिए, हमारी राय है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रतिभूति प्रस्तुत न करने के कारण, निगम द्वारा मध्यस्थता बोर्ड के गठन का सवाल बिल्कुल भी नहीं उठ सकता है। तदनुसार, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय न्यायसंगत नहीं था

विवादित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करना।

22. हमारे सामने यह विवादित नहीं है कि उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विद्वान मध्यस्थ ने पहले ही मध्यस्थता कार्यवाही शुरू कर दी है। निगम की ओर से श्री मुखर्जी ने निर्देश पर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया था कि जैसे ही प्रतिवादी अनुबंध के खंड 29 (डी) के संदर्भ में प्रतिभूति प्रस्तुत करता है, वे एक मध्यस्थता बोर्ड का गठन करेंगे और यदि मध्यस्थता बोर्ड को उस चरण से आगे बढ़ने का कोई निर्देश दिया जाता है जिस पर विद्वान मध्यस्थ पहले ही पहुंच चुका था, तो उस पर आपत्ति नहीं की जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि श्री मुखर्जी ने तर्क दिया कि मध्यस्थता बोर्ड को उस स्तर से मध्यस्थता कार्यवाही को अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया जा सकता है जिस स्तर पर विद्वान मध्यस्थ पहले ही पहुंच चुके थे। 23. निगम द्वारा लिया गया ऐसा रुख होने के कारण, हम प्रत्यर्थी को इस तारीख से छह सप्ताह के भीतर निगम द्वारा निर्धारित राशि की प्रतिभूति प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं और यदि निगम द्वारा निर्धारित प्रतिभूति पहले उल्लिखित समय के भीतर प्रस्तुत की जाती है, तो निगम अनुबंध के खंड 29 के अनुपालन में एक मध्यस्थता बोर्ड का गठन करेगा। यह निर्देश दिया जाता है कि मध्यस्थता बोर्ड उस स्तर से आगे बढ़ेगा जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विद्वान मध्यस्थ पहले ही पहुंच चुके थे।

24. इसके अलावा, यह ध्यान में रखना होगा कि मध्यस्थता समझौते का इस तरह से अर्थ निकालना हमेशा अदालत का कर्तव्य है ताकि इसे बरकरार रखा जा सके। इसलिए हमें यह मानना चाहिए कि उच्च न्यायालय को इस तरह से मध्यस्थ नियुक्त नहीं करना चाहिए था, जो मध्यस्थता समझौते के साथ असंगत था।”

(जोर दिया गया)

आई. सी. ओ. एम. टी. एल. लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य जल आपूर्ति और सेवा बोर्ड

38. खंड की प्रकृति: निविदा आमंत्रित करने की सूचना के खंड 25 (viii) में प्रावधान किया गया है कि:

“viii. यह इस अनुबंध की एक अनिवार्य अवधि होगी कि तुच्छ दावों से बचने के लिए मध्यस्थता का आह्वान करने वाला पक्ष 965 के तहत दावा की गई राशि को बताते हुए तथ्यों और गणनाओं के आधार पर विवाद को निर्दिष्ट करेगा।

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 966 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

प्रत्येक दावा और दावा की गई राशि के दस प्रतिशत के लिए मध्यस्थ के नाम पर एक अनुसूची बैंक पर उसके आधिकारिक पदनाम द्वारा "कॉल पर जमा" प्रस्तुत करेगा जो पुरस्कार की घोषणा तक राशि को जमा में रखेगा। दावेदार के पक्ष में निर्णय की स्थिति में, दावा की गई राशि के संदर्भ में दी गई राशि के अनुपात में उसे जमा राशि वापस कर दी जाएगी और शेष राशि, यदि कोई हो, जब्त कर ली जाएगी और दूसरे पक्ष को भुगतान कर दिया जाएगा।”

(जोर दिया गया) 39। 2008 में, पंजाब राज्य जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड, भटिंडा ने टर्नकी आधार पर उसमें उल्लिखित विभिन्न शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवरेज योजना, पंपिंग स्टेशन और सीवरेज उपचार संयंत्र के विस्तार और वृद्धि के लिए निविदा आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया। 25.09.2008 पर, अपीलकर्ता कंपनी, जो भारत में सिविल/विद्युत कार्यों में शामिल थी, को इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त पाए जाने के बाद उक्त निविदा से सम्मानित किया गया था। आई. डी. 1 पर, अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच एक औपचारिक अनुबंध किया गया था।

40. आई. डी. 1 पर, अपीलार्थी ने 2017 की सिविल रिट याचिका संख्या 4882 द्वारा मध्यस्थता खंड के इस भाग की वैधता को चुनौती देते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने केवल अपने पहले के फैसले का पालन किया और रिट याचिका को भी खारिज कर दिया। यह मामला इस अदालत में ले जाया गया था।

41. इस न्यायालय द्वारा की गई प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

“12. एस. के. जैन बनाम हरियाणा राज्य (2009) 4 एस. सी. सी. 357:(2009) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 163], इस न्यायालय ने एक समझौते में एक मध्यस्थता खंड पर विचार किया जो निम्नानुसार है:

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

13. इस तरह के खंड को बरकरार रखते हुए, इस न्यायालय ने केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम के फैसले का उल्लेख किया।[केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड वी. ब्रोजो नाथ गांगुली, (1986) 3 एससीसी 156:1986 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 429] और इस निर्णय को अलग करते हुए कहा कि असमान सौदेबाजी शक्ति की अवधारणा का वाणिज्यिक अनुबंधों के मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है।

14. यह ध्यान दिया जाएगा कि इस निर्णय में कोई याचिका नहीं थी कि मध्यस्थता खंड में निहित उपरोक्त शर्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन थी क्योंकि ऐसा खंड मनमाना है।केवल यह अनुरोध किया गया कि केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का अनुपात।[केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड वी. ब्रोजो नाथ गांगुली, (1986) 3 एससीसी 156:1986 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 429] लागू होगा और यह कि प्रतिभूति जमा के माध्यम से देय राशि में एक सीमा होनी चाहिए, दोनों याचिकाओं को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।इसके अलावा, मध्यस्थता कार्यवाही की समाप्ति पर की गई प्रतिभूति जमा को पहले दावेदार पक्ष के खिलाफ मध्यस्थ द्वारा दी गई लागत के खिलाफ समायोजित किया जाएगा, और इस तरह के समायोजन के बाद शेष राशि को जमा करने वाले पक्ष को वापस कर दिया जाएगा।यह खंड खंड 25 (viii) से भौतिक रूप से अलग है, जो, जैसा कि हमने देखा है, यह स्पष्ट करता है कि सभी मामलों में जमा दावा की गई राशि का 10 प्रतिशत होना चाहिए और यह धनवापसी केवल दावा की गई राशि के संबंध में दी गई राशि के अनुपात में हो सकती है, शेष राशि को जब्त किया जा रहा है और दूसरे पक्ष को भुगतान किया जा रहा है, भले ही वह दूसरा पक्ष मामला हार गया हो।ऐसा होने के कारण, यह निर्णय पूरी तरह से अलग करने योग्य है और वर्तमान मामले के तथ्यों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है।XXX

XXX

XXX

20. ध्यान देने योग्य पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि दावा की गई राशि का 10 प्रतिशत "कॉल पर जमा" मध्यस्थता का आह्वान करने वाले पक्ष द्वारा तुच्छ दावों से बचने के लिए है।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक तुच्छ दावे को अनुकरणीय लागत के साथ खारिज किया जा सकता है।...

21. इसलिए यह हमेशा उस पक्ष के लिए खुला है जो मध्यस्थ के समक्ष इस सिद्धांत को लागू करने के लिए सफल रहा है और यह मध्यस्थ के लिए खुला है कि वह अनुकरणीय लागतों को लागू करने पर एक दावे को तुच्छ बताकर खारिज कर दे।XXX

XXX

XXX

23. इस मामले द्वारा स्थापित महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि जब तक यह पहली बार नहीं पाया जाता है कि जो मुकदमा शुरू किया गया है वह तुच्छ है, अनुकरणीय लागत या दंडात्मक नुकसान का पालन नहीं होता है। स्पष्ट रूप से, इसलिए, दावा की गई राशि का 10 प्रतिशत "कॉल पर जमा", जो बड़ी राशि हो सकती है, स्पष्ट रूप से तुच्छ दावों के साथ किसी भी प्रत्यक्ष संबंध के बिना है, क्योंकि यह सभी दावों पर लागू होता है (तुच्छ 967)।

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 968

या अन्यथा) बहुत सीमा पर बनाया गया। किसी भी निर्धारण से पहले 10 प्रतिशत जमा करना पड़ता है कि मध्यस्थता का आह्वान करने वाले पक्ष द्वारा किया गया दावा तुच्छ है। यह भी इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे यह तय करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ऐसा खंड कुछ ऐसा होने के अर्थ में मनमाना होगा जो अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा और जिससे कोई भी उचित व्यक्ति सहमत नहीं होगा। वास्तव में, एक दावा खारिज किया जा सकता है लेकिन तुच्छ होने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि जहां तीन मध्यस्थों की नियुक्ति की जाती है, वहां बहुमत और अल्पमत पुरस्कारों के रूप में जाना जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दो संभावित या यहां तक कि प्रशंसनीय विचार भी हो सकते हैं जो इंगित करेंगे कि दावा खारिज कर दिया गया है या गुण-दोष के आधार पर अनुमति दी गई है, न कि इसलिए कि यह तुच्छ है। इसके अलावा, जहां कोई दावा न्यायसंगत और सही पाया जाता है, वहां भी जमा की गई राशि को सफल दावेदार को वापस करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए किसी अनुबंध की समाप्ति के अवैध होने और उसके परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान के आधार पर एक दावा लें। यदि दावा सफल हो जाता है और समाप्ति को अवैध होने के रूप में अलग कर दिया जाता है और एक करोड़ रुपये के हर्जाने के दावे को विद्वान मध्यस्थ द्वारा केवल दस लाख रुपये में स्वीकृत किया जाता है, तो जमा किए गए धन का केवल दसवां हिस्सा ही सफल पक्ष को वापस किया जाएगा। जो पक्ष मध्यस्थता कार्यवाही में हार गया है, वह इस तथ्य के बावजूद की गई जमा राशि का नौ-दसवां हिस्सा ज़ब्त करने का हकदार होगा कि उपरोक्त पक्ष के खिलाफ एक निर्णय है। यह पूरे खंड को पूरी तरह से मनमाना बना देगा, जो न केवल अत्यधिक या असमान है, बल्कि एक ऐसे पक्ष के पूरी तरह से अन्यायपूर्ण परिणाम की ओर ले जाएगा जिसने मध्यस्थता खो दी है और वह जमा के ऐसे हिस्से को ज़ब्त करने का हकदार है जो दावा की गई राशि की तुलना में दी गई राशि से आनुपातिक रूप से कम है।

XXX

XXX

XXX

27. मध्यस्थता के लिए किसी पक्ष को 10 प्रतिशत की पूर्व-जमा राशि द्वारा इस वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया को लागू करने से रोकना, न्यायालय प्रणाली को बाधित करने के उद्देश्य के विपरीत, मध्यस्थता को हतोत्साहित करेगा और मध्यस्थता प्रक्रिया को निष्क्रिय और महंगा बना देगा।

28. इन सभी कारणों से, हम निविदा आमंत्रित करने के नोटिस के खंड 25 (viii) को रद्द कर देते हैं।

(जोर दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

42. कानून के सिद्धांत उपरोक्त टिप्पणियों से स्पष्ट होते हैं।

आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा किए गए मामले इस प्रकार हैं:

(क) कि मध्यस्थता खंड में जमा करने से पहले की शर्त मनमाना होने के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

(ख) जब तक यह पहली बार नहीं पाया जाता है या प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं होता है कि जो मुकदमा शुरू किया गया है वह तुच्छ है, तब तक अनुकरणीय लागत या दंडात्मक नुकसान नहीं हो सकता है।

(ग) मध्यस्थता के लिए किसी पक्ष को कुछ प्रतिशत की पूर्व-जमा द्वारा वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया को लागू करने से रोकना मध्यस्थता को हतोत्साहित करेगा। यह अदालत प्रणाली को बंद करने के उद्देश्य के विपरीत होगा और मध्यस्थता प्रक्रिया को निष्क्रिय और महंगा बना देगा।

विषय पर उच्च न्यायालयों के कुछ निर्णय

43. लाइट बाईट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बताया

2020 में एस. सी. सी. ऑनलाइन केर 4736,

खंड की प्रकृति:

“ 5.15. विवाद का समाधान

....रियायत प्राप्तकर्ता एक लिखित आवेदन के माध्यम से एक मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग कर सकता है और प्राधिकरण आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर ऐसे मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा, बशर्ते कि मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए पूर्व-आवश्यकताएं पूरी की जाएं, जैसा कि यहां निर्धारित किया गया है:—

आई. प्रचलित शक्तियों के ए. ए. 1 प्रत्यायोजन के अनुसार मामले को एकमात्र मध्यस्थ को इस शर्त के अधीन भेजा जाएगा कि रियायतकर्ता को पूर्ववर्ती शर्त के रूप में विवादित राशि ए. ए. 1 के साथ जमा करनी होगी और विवाद के निर्णय के लिए मध्यस्थ को संदर्भित करने से पहले मध्यस्थ की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए रियायतकर्ता से सहमति प्राप्त करनी होगी।”

(जोर दिया गया) 44। निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

969

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 970 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

“11...आर. एफ. पी. के खंड 5,15 की शर्तें, जिसमें याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी द्वारा सुझाए गए पैनल में से एक मध्यस्थ का चयन करने की आवश्यकता होती है, साथ ही वह शर्त जो याचिकाकर्ता को मध्यस्थता का आह्वान करने की शर्त के रूप में राशि का पूर्व-जमा करने की आवश्यकता होती है, पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डी. पी. सी. बनाम एच. एस. सी. सी. (इंडिया) लिमिटेड-[2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1517] और आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड बनाम. के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून की अवहेलना होगी। पंजाब राज्य जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड-[(2019) 4 एस. सी. सी. 401]। मैं प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील के इस तर्क को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हूँ कि यह केवल आर. एफ. पी. के खंड 5,15 को इस आधार पर चुनौती देने की स्थिति में है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, कि यह न्यायालय आर. एफ. पी. में उक्त खंड को अवैध मान सकता है। 2015 में 1996 के अधिनियम के संशोधन के बाद, कानून को यह माना जाना चाहिए कि किसी समझौते में कोई भी खंड, जिसमें संविदाकारी पक्षों में से किसी एक को मध्यस्थता का आह्वान करने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में राशि जमा करने की आवश्यकता होती है, को पूरे खंड को मनमाना बनाने के रूप में देखा जाना चाहिए, जो न केवल अत्यधिक या असमान है, बल्कि मध्यस्थता कार्यवाही में पूरी तरह से अन्यायपूर्ण स्थिति की ओर ले जाता है, जिन्हें आमतौर पर अदालतों में मामलों की उच्च लंबितता और मुकदमेबाजी की लगातार बढ़ती लागत के कारण प्रोत्साहित किया जाता है। इसलिए मेरी राय है कि भले ही आर. एफ. पी. के खंड को रियायत समझौते के अनुच्छेद 22 के पूरक के रूप में माना जाना है, लेकिन ऊपर उल्लिखित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा को देखते हुए आर. एफ. पी. में समाप्ति की शर्तों को नजरअंदाज करना होगा।”

(जोर दिया गया) 45।केरल उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पर्किन्स ईस्टमैन (ऊपर) और आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णयों पर उचित विचार करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया कि समझौते में कोई भी खंड जिसमें संविदाकारी पक्षों में से किसी एक को मध्यस्थता का आह्वान करने के लिए पूर्व शर्त के रूप में राशि जमा करने की आवश्यकता होती है, उसे पूरे खंड को मनमाना बनाने के रूप में देखा जाना चाहिए जो न केवल अत्यधिक या असमान है, बल्कि कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण स्थिति का कारण बन सकता है। अंततः अधिनियम 1996 की धारा 11 (6) के तहत एक आवेदन में मध्यस्थ की नियुक्ति करते समय उसमें रियायत प्राप्तकर्ता समझौते के अनुच्छेद 22 की अनदेखी की गई।

46. द आसन को-ऑप। एल एंड सी सोसायटी बनाम हरियाणा विद्युत प्रसारन

निगम लिमिटेड, एआरबी-127-2019 (धारा 11 याचिका) और सीडब्ल्यूपी-13539-2021 (सिविल रिट याचिका)

ऑर्डर की तारीख: 03.11.2021

फोरम: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (एकल-न्यायाधीश)

खंड की प्रकृति:

“अनुबंध का खंड 25 ए (अनुलग्नक पी-1) इस प्रकार है:- “यदि कोई प्रश्न, विवाद, किसी भी पक्ष के अधिकारों, कर्तव्यों या देनदारियों के किसी भी हिस्से के अर्थ या संचालन के लिए किसी भी तरह से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाली राय की भिन्नता, जिसमें किसी भी पक्ष द्वारा अनुबंध की समाप्ति और किसी भी स्तर पर उसकी शुद्धता शामिल है, जो भी हो, एच. वी. पी. एन. एल. के एम. डी./मुख्य अभियंता या उनके नामित व्यक्ति के मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन अधीक्षण अभियंता के पद से कम नहीं है:-

XXX

XXX

XXX

7. यदि मध्यस्थता का आह्वान करने वाला पक्ष ठेकेदार है, तो मध्यस्थता के लिए संदर्भ तभी बनाए रखा जा सकता है जब ठेकेदार इंजीनियरिंग-प्रभारी की संतुष्टि के लिए उसके द्वारा दावा की गई कुल राशि का 3 प्रतिशत की दर से जमा किया गया सुरक्षा शुल्क प्रस्तुत करता है। ठेकेदार द्वारा इस प्रकार जमा की गई राशि को मध्यस्थता कार्यवाही की समाप्ति पर लागत और ठेकेदार के खिलाफ दी गई किसी भी राशि के खिलाफ समायोजित किया जाएगा। पुरस्कार की तारीख से एक महीने के भीतर ठेकेदार को शेष राशि वापस कर दी जाएगी।”

(जोर दिया गया) 47। निर्णय से संबंधित टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

“23. नतीजतन, अब पूर्व-जमा का मुद्दा पैदा होता है। याचिकाकर्ता के वकील ने मैसर्स आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड (उपरोक्त) में पारित निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया है, जिसे प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा उचित रूप से अलग किया गया है।

24. इसके बाद, 'एस. के. जैन बनाम। हरियाणा राज्य और एक अन्य', 2008 ए. आई. आर. (पंजाब) 30 की चुनौती कुल 971 के 7 प्रतिशत के खंड के लिए थी।

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 972 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

दावा की गई राशि। 'नगर निगम, जबलपुर और अन्य बनाम मेसर्स राजेश कंस्ट्रक्शन कंपनी', 2007 (5) एस. सी. सी. 344 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए रिट याचिका खारिज कर दी गई थी। उक्त निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने एस. के. जैन बनाम मामले में बरकरार रखा था। हरियाणा राज्य और एक अन्य '2009 (2) एस. सी. सी. (सिविल) 163 यह मानते हुए कि उक्त सीमा प्रदान करने में तर्क है।...

25. मेसर्स आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड (उपरोक्त) में आपत्तिजनक खंड 25 (viii) को निरस्त कर दिया गया था जो 10 प्रतिशत जमा के लिए था। दावेदार के पक्ष में एक पुरस्कार की स्थिति में, दावा की गई राशि के संबंध में दी गई राशि के अनुपात में उसे जमा राशि वापस की जानी थी और शेष राशि, यदि कोई हो, जब्त की जानी थी और दूसरे पक्ष को भुगतान किया जाना था। परिणामस्वरूप, सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मध्यस्थता कार्यवाही में हारने वाले पक्षों द्वारा जमा राशि का नौ गुना जब्त किया जा सकता है और इस तथ्य के बावजूद कि पक्ष के पास इसके खिलाफ एक निर्णय है। इस प्रकार, खंड को पूरी तरह से मनमाना माना गया।

26. इस कारण यह टिप्पणी की गई थी कि पूर्व-जमा मध्यस्थता को हतोत्साहित करेगा और उक्त खंड को एस. के. जैन (उपर्युक्त) में पारित निर्णय में अंतर करके निरस्त कर दिया गया था। ...”

(जोर दिया गया) 48। उपरोक्त निर्णय में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस न्यायालय के दोनों निर्णयों यानी एस. के. जैन (ऊपर) और आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड (ऊपर) को देखा। उच्च न्यायालय ने ऊपर निर्दिष्ट इस न्यायालय के दोनों निर्णयों में निहित प्रासंगिक मध्यस्थता खंड पर गौर किया और सोचा कि एस. के. जैन के मामले में दिए गए कथन का पालन करना तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया निर्णय है।

49. गर्ग एंड कंपनी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, सी. डब्ल्यू. पी. सं. 21840

2020 की 21857 और 2020 की 21858 (ओ एंड एम) (सिविल रिट याचिकाएं) आदेश की तिथि: 08.04.2022

खंड की प्रकृति:

“33(7).यह भी इस मध्यस्थता समझौते का एक शब्द है कि जहां मध्यस्थता का आह्वान करने वाला पक्ष ठेकेदार है, मध्यस्थ के लिए कोई संदर्भ नहीं है।

जब तक ठेकेदार कार्यपालक अभियंता की संतुष्टि के लिए कार्य निर्वाह योग्य नहीं होगा, तब तक नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार निर्धारित राशि की प्रतिभूति जमा की जाएगी और इस प्रकार जमा की गई राशि, मध्यस्थता कार्यवाही की समाप्ति पर, दावेदार पक्ष के खिलाफ मध्यस्थ द्वारा दी गई लागत, यदि कोई हो, के खिलाफ समायोजित की जाएगी और इस तरह के समायोजन के बाद शेष शेष राशि, ऐसी कोई लागत दिए जाने के अभाव में, पुरस्कार की तारीख से एक महीने के भीतर उसे पूरी राशि वापस कर दी जाएगी:

एस. आर. नहीं।	दावे की राशि	प्रतिभूति जमा की दर
आई.	रुपये से कम के दावों के लिए। 10, 000/-	2% दावा की गई राशि
ii.	रुपये के दावों के लिए। 10, 000/- और उससे अधिक लेकिन रुपये से कम। 1,00,000 -	5% दावा की गई राशि
iii.	रुपये के दावों के लिए। 1,00,000- और ऊपर	7.5% दावा की गई राशि "

(जोर दिया गया) 50।निर्णय से संबंधित टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

“याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए जाने वाले सभी प्रश्नों और आधारों का एस. के. जैन के मामले (ऊपर) पर चर्चा करते हुए मैसर्स आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड के मामले (ऊपर) में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संक्षिप्त रूप से उत्तर दिया जाता है।यह स्पष्ट है कि पूर्व-जमा खंड के प्रकार के संबंध में एक स्पष्ट अंतर किया गया है।एस. के. जैन के मामले (उपरोक्त) के फैसले की चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस तरह के खंड, जो पुरस्कार के पारित होने के बाद जमा करने वाले पक्ष को समायोजन और धनवापसी का प्रावधान करते हैं, उस खंड से भौतिक रूप से अलग हैं जिसे मैसर्स आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड के मामले (उपरोक्त) में चुनौती दी गई थी।मैसर्स आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड के मामले

(सुप्रा) के मामले में, आपत्तिजनक खंड 25 (viii) को मनमाना होने के लिए निरस्त कर दिया गया था।

यह कथित तथ्यात्मक मैट्रिक्स में है कि जमा करने से पहले मध्यस्थता को हतोत्साहित करने के खंड के संबंध में टिप्पणियां की गई थीं और एस. के. जैन के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित पहले के फैसले को अलग करते हुए उक्त खंड को निरस्त कर दिया गया था।

973

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 974 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

याचिकाकर्ता का विद्वान वकील इस बात से इनकार करने में असमर्थ है कि वर्तमान रिट याचिकाओं में समझौते का खंड 33 (7) समझौते के खंड 25 (7) के समान है, जो एस. के. जैन के मामले (उपरोक्त) में विचाराधीन था। हालांकि याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील को यह प्रस्तुत करने में कठिनाई हो रही थी कि मेसर्स आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड के मामले (उपरोक्त) के अनुपात से पता चलता है कि किसी भी प्रकार की पूर्व-जमा राशि को अलग रखा जाना चाहिए क्योंकि यह आवश्यक रूप से एक पक्ष को इस वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली को लागू करने से रोकता है और वास्तव में पूरी मध्यस्थता प्रक्रिया को निष्क्रिय बनाता है, हालांकि, एस. के. जैन के मामले (उपरोक्त) के मेसर्स आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड के मामले (उपरोक्त) में अपने फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई विशिष्ट सी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मैं विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क में किसी भी योग्यता का अनुमान नहीं लगाता हूं। इसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है क्योंकि यह स्पष्ट है कि यह न्यायालय एस. के. जैन के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से बंधा है, जिसे आज तक खारिज नहीं किया गया है।”

(जोर दिया गया) 51। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय के दोनों निर्णयों यानी आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड (ऊपर) के साथ-साथ एस. के. जैन (ऊपर) पर विचार किया गया और न्यायालय ने एस. के. जैन (ऊपर) में दिए गए कथन का पालन करने के बारे में सोचा।

52. बृज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी। प्रा. लि. बनाम हरियाणा शहरी विकास

प्रधानन, सीडब्ल्यूपी-14587-2022 (ओ एंड एम) (सिविल रिट याचिका) आदेश की तिथि: 02.08.2022

फोरम: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (एकल-न्यायाधीश)

खंड की प्रकृति:

“25(ए) (vii) यह भी इस मध्यस्थता समझौते की एक शर्त है कि जहां मध्यस्थता का आह्वान करने वाला पक्ष ठेकेदार है, मध्यस्थ के लिए कोई संदर्भ तब तक बनाए रखने योग्य नहीं होगा जब तक कि ठेकेदार, काम के प्रभारी अभियंता की संतुष्टि के लिए, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित राशि की प्रतिभूति जमा नहीं करता है और इस तरह जमा की गई राशि, मध्यस्थता कार्यवाही की समाप्ति पर, दावेदार पक्ष के खिलाफ मध्यस्थ द्वारा दी गई लागत, यदि कोई हो, और इस तरह के समायोजन या पूरी राशि के बाद शेष शेष राशि के खिलाफ समायोजित की जाएगी।

यदि ऐसी कोई लागत प्रदान नहीं की जाती है तो पुरस्कार की तारीख से एक महीने के भीतर पूरी राशि उसे वापस कर दी जाएगी।

दावों की मात्रा	सुरक्षा डिपॉजिट की दर
i) रुपये से कम के दावों के लिए। 10, 000/- दावा की गई राशि का 2 प्रतिशत	
(ii) रुपये के दावों के लिए। 10, 000/- और उससे ऊपर और उससे नीचे रु। 1,00,000 -	5% दावा की गई राशि
iii) रुपये के दावों के लिए। 1,00,000 -	7.5 % दावा की गई राशि और उससे अधिक "

53. निर्णय से संबंधित टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

“इसी तरह का विवाद सी. डब्ल्यू. पी.-21840-2020 और अन्य संबंधित रिट याचिकाओं में उठाए जाने की मांग की गई थी, जिन्हें 08.04.2022 पर खारिज कर दिया गया है।उक्त रिट याचिकाओं में निर्णय के लिए उठाया गया प्रश्न यह भी था कि क्या मध्यस्थता के आह्वान के लिए पूर्व-जमा की आवश्यकता वाला खंड अनुचित, अनुचित और अलग करने योग्य है।उपर्युक्त रिट याचिकाओं में विचाराधीन खंड तत्काल रिट याचिका में शामिल खंड 25 (ए) (vii) के समान था।रिलायंस को मेसर्स आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड (उपरोक्त) पर रखा गया था जैसा कि वर्तमान रिट याचिका में मामला है।तथापि, उठाई गई दलीलों पर विचार करते हुए और उक्त रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए, एस. के. जैन बनाम हरियाणा राज्य, (2009) 4

एस. सी. सी. 357 में माननीय उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर विधिवत विचार किया गया। यह भी देखा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं मेसर्स आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड (ऊपर) के मामले में एस. के. जैन (ऊपर) के मामले का उल्लेख किया और वास्तव में एस. के. जैन के मामले (ऊपर) में पूर्व-जमा के संबंध में खंड को बरकरार रखा।” XXX

XXX

XXX

ए. आर. बी.-127-2019 में पारित दिनांक 03.11.2020 और 2021 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 13539 में मेसर्स द आसन को-ऑप एल. एंड सी. सोसाइटी, बहादुरगढ़, जिला झज्जर बनाम के रूप में पारित निर्णय में एक समन्वय पीठ द्वारा इस तरह के पूर्व-जमा खंड के संबंध में भी इसी तरह का विचार लिया गया है। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल)। इस प्रकार, एस. के. जैन बनाम मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए। हरियाणा राज्य, 2009 (2) आर. सी. आर. (सिविल) 202, जैसा कि मेसर्स आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड (उपरोक्त) में चर्चा की गई है, दिनांकित 15.01.2022 (अनुलग्नक पी9) और दिनांकित 02.04.2022 (अनुलग्नक पी11) को सही ढंग से पारित किया गया है। यह न्यायालय स्पष्ट रूप से 975 द्वारा बाध्य है।

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 976 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

एस. के. जैन (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, जिस पर आज तक फैसला नहीं सुनाया गया है।”

(जोर दिया गया) 54। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय के दोनों निर्णयों यानी आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड (ऊपर) और एस. के. जैन (ऊपर) को ध्यान में रखा गया और अंततः, न्यायालय ने एस. के. जैन (ऊपर) में निर्धारित उक्ति का पालन किया।

55. बठिंडा रेलवे ट्रांसशिपमेंट कोऑपरेटिव एल एंड सी सोसाइटी लिमिटेड बनाम

पंजाब मंडी बोर्ड और अन्य, 2019 की सिविल रिट याचिका संख्या 28981 (ओ एंड एम) आदेश की तिथि: 27.03.2023

फोरम: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (खंड पीठ)

खंड की प्रकृति:

“8. ... 25(viii) यह इस अनुबंध की एक अनिवार्य अवधि होगी कि तुच्छ दावों से बचने के लिए, मध्यस्थता का आह्वान करने वाला पक्ष प्रत्येक दावे के तहत दावा की गई राशि को बताते हुए तथ्यों और गणनाओं के आधार पर विवादों को निर्दिष्ट करेगा और मध्यस्थता न्यायाधिकरण के मध्यस्थ/अध्यक्ष के नाम पर एक अनुसूचित बैंक पर दावा की गई राशि के दस प्रतिशत के लिए "कॉल पर जमा" प्रस्तुत करेगा, जो अपने आधिकारिक पदनाम से राशि को अधिनिर्णय की घोषणा तक जमा में रखेगा। दावेदार के पक्ष में निर्णय की स्थिति में, दावा की गई राशि के संबंध में उसे दी गई राशि के अनुपात में जमा राशि वापस कर दी जाएगी और शेष राशि, यदि कोई हो, जब्त कर ली जाएगी और दूसरे पक्ष को भुगतान कर दिया जाएगा।”

(जोर दिया गया) 56। निर्णय से संबंधित टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

“10. उपर्युक्त दो खंडों (उपर्युक्त) के अवलोकन से, अर्थात् एक जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा हमला किया गया है और दूसरा जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा संयुक्त स्थिति में रद्द कर दिया गया है, यह पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि वे समान हैं जिनमें समान शर्तें हैं। मैसर्स आईकॉम टेली लिमिटेड (उपर्युक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उक्त खंड की वैधता पर विचार करने के बाद निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

“28. इन सभी कारणों से, हम निविदा आमंत्रित करने के नोटिस के खंड 25 (viii) को रद्द कर देते हैं। यह खंड शेष खंड 25 से अलग होने के कारण खंड 25 के शेष भागों को लागू नहीं करेगा। उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और अपील की अनुमति दी जाती है।” 11. मैसर्स आईकॉम टेली लिमिटेड (उपरोक्त) में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय के आलोक में, जिसने पक्षों के बीच समझौते में निहित एक समान खंड पर विचार किया है और ऐसा करने के बाद उक्त खंड को निरस्त कर दिया है, यह इस न्यायालय यानी उच्च न्यायालय के लिए नहीं है कि वह प्रतिवादी के तर्क पर विचार करे और एक अलग दृष्टिकोण रखे क्योंकि यह न केवल इस न्यायालय के अधिकार से परे होगा, बल्कि यह एक अनुचित कार्य भी होगा। यह न्यायालय मैसर्स आईकॉम टेली लिमिटेड (उपरोक्त) में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से बंधा हुआ है और याचिकाकर्ता के नेतृत्व में वर्तमान याचिका को स्वीकार करता है और ऊपर उद्धृत निविदा शर्तों के मध्यस्थता खंड 25 (viii) को असंवैधानिक घोषित करता है और उसी तरह के आदेश पारित करता है जैसे उच्चतम न्यायालय ने मैसर्स आईकॉम टेली लिमिटेड (उपर्युक्त) में दिए गए निर्णय के पैराग्राफ-28 में पारित किए थे।”

(जोर दिया गया) 57। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में, आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड (ऊपर) के साथ-साथ एस. के. जैन (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर विचार किया गया और अंततः, न्यायालय ने आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड (ऊपर) में दिए गए कथन का पालन किया, क्योंकि उक्त मामले में प्रासंगिक मध्यस्थता खंड लगभग एक ही था।

आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड (ऊपर) में। 58. अमेजिंग इंडिया कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम हवाई अड्डा प्राधिकरण

भारत और अन्य ने 2023 में एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 1704, 2022 के सी. ओ. 66 में रिपोर्ट किया (धारा 11 याचिका)

कलकत्ता उच्च न्यायालय (एकल न्यायाधीश)

खंड की प्रकृति:

“33(iii)। इस समझौते से या किसी भी तरह से संबंधित या उससे संबंधित उत्पन्न होने वाले सभी विवाद और मतभेद (उन लोगों को छोड़कर जिनके बारे में निर्णय स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने से पहले या जिनके लिए सार्वजनिक परिसर [अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली] अधिनियम और 977

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 978 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

वहां बनाए गए नियम जिनके तहत अब लागू किए गए हैं या जो इसके बाद लागू हो सकते हैं), पहली बार में, हवाई अड्डों पर स्थापित एक विवाद समाधान समिति (डी. आर. सी.) को भेजे जाएंगे, जिसके लिए पक्ष से एक लिखित आवेदन प्राप्त किया जाना चाहिए और स्पष्ट रूप से बताए गए बिंदु। यदि विवाद संदर्भ के 45 दिनों के भीतर हल नहीं किया जाता है, तो मामला प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य द्वारा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ का निर्णय पक्षकारों के लिए अनिवार्य और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 लागू होगा। एक बार मध्यस्थता खंड लागू हो जाने के बाद डी. आर. सी. प्रक्रिया बंद हो जाएगी। यह कोई बाधा नहीं होगी कि उपरोक्त के रूप में नियुक्त मध्यस्थ प्राधिकरण का कर्मचारी है या रहा है और मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती नहीं दी जाएगी; या इस कारण से किसी भी न्यायालय में प्रश्न के लिए खुला रहेगा।”

59. निर्णय से संबंधित टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

“25. ...

पक्षकारों के बीच विवाद समाधान समिति के गठन का प्रावधान करने वाले समझौते के खंड 33 का वह भाग इस शर्त के साथ कि विवाद समाधान का लाभ उठाने से पहले विवादित राशि जमा करनी होगी, अमान्य है और एक से अधिक कारणों से कानून के विपरीत है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह याचिकाकर्ता, मध्यस्थता समझौते के एक पक्ष के मध्यस्थता का लाभ उठाने के अधिकार को बाधित करता है जो एक वैधानिक अधिकार है। [आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने (2019) 4 एस. सी. सी. 401 में रिपोर्ट दी। दूसरा, यह सबसे अस्पष्ट है। यदि याचिकाकर्ता एक दावा कर रहा है जो तब

और तब प्रतिवादी द्वारा विवादित है, तो याचिकाकर्ता को, दावेदार होने के नाते, विवादित राशि जमा करने के लिए क्यों कहा जाना चाहिए? जब याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी के खिलाफ दावा कर रहा होता है, तो वह उस समय यह जानने में असमर्थ होता है कि क्या पूरे दावे या उसके हिस्से को स्वीकार किया जाएगा, या बाद वाले द्वारा पूरे दावे को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसलिए, यह विवादित राशि का आकलन करने में असमर्थ है। यहां तक कि अगर प्रतिवादी के लिए विवादित राशि को तुरंत सूचित करना संभव था, तो खंड केवल तभी लागू होगा जब प्रतिवादी एक साथ याचिकाकर्ता के दावे से अधिक जवाबी दावा कर रहा था, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा अस्वीकार किया जा रहा था, विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध करके। अगर

प्रत्यर्थी पहले वह दावा कर रहा था जिसे याचिकाकर्ता द्वारा विवादित किया गया था, फिर भी मामले को समिति को उतना नहीं भेजा जा सका जितना कि खंड केवल याचिकाकर्ता द्वारा विवाद समाधान के लिए आवेदन का सुझाव देता है। इन सभी कारणों से, यह खंड स्वयं अनिश्चितता के लिए अस्पष्ट और अमान्य है।”

(जोर दिया गया) 60। कलकत्ता उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में, आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड (ऊपर) और पर्किन्स ईस्टमैन (ऊपर) पर भरोसा किया गया था और अंततः, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक "विवाद समाधान समिति" के गठन के लिए प्रावधान करने वाले पक्षों के बीच समझौते का खंड 33 इस शर्त के साथ कि विवाद समाधान खंड का लाभ उठाने से पहले, विवादित राशि जमा की जानी चाहिए, को अमान्य और कानून के विपरीत माना गया था। 61. हमारा विचार है कि एस. के. जैन (ऊपर) और आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड (ऊपर) के बीच कोई टकराव नहीं है, क्योंकि दोनों मामलों में इस न्यायालय के विचार के लिए आने वाले प्रासंगिक मध्यस्थता खंड पूरी तरह से अलग-अलग आधार पर थे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कानून के वे बिंदु हैं जिन पर एस. के. जैन (उपरोक्त) को आई. सी. ओ. एम. एम. में प्रतिष्ठित और समझाया गया था।

टेली लिमिटेड (ऊपर)।

62. न्यायालय ने आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड (ऊपर) में एस. के. जैन (ऊपर) को अलग करते हुए निर्णय के पैरा 14 में कुछ प्रासंगिक टिप्पणियां कीं। पैरा 14 इस प्रकार है:

“14. यह ध्यान दिया जाएगा कि इस निर्णय में कोई याचिका नहीं थी कि मध्यस्थता खंड में निहित उपरोक्त शर्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन थी क्योंकि ऐसा खंड मनमाना है। केवल यह अनुरोध किया गया कि केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का अनुपात। [केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड वी. ब्रोजो नाथ गांगुली, (1986) 3 एससीसी 156:1986 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 429] लागू होगा और यह कि प्रतिभूति जमा के माध्यम से देय राशि में एक सीमा होनी चाहिए, दोनों याचिकाओं को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके अलावा, मध्यस्थता कार्यवाही की समाप्ति पर की गई प्रतिभूति जमा को पहले दावेदार पक्ष के खिलाफ मध्यस्थ द्वारा दी गई लागत के खिलाफ समायोजित

किया जाएगा, और इस तरह के समायोजन के बाद शेष राशि को जमा करने वाले पक्ष को वापस कर दिया जाएगा। यह खंड भौतिक रूप से खंड 25 (viii) से अलग है, जो हमारे पास 979 है।

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 980 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

यह स्पष्ट करता है कि सभी मामलों में जमा दावा की गई राशि का 10 प्रतिशत होना चाहिए और यह धनवापसी केवल दावा की गई राशि के संबंध में दी गई राशि के अनुपात में हो सकती है, शेष राशि को जब्त किया जा रहा है और दूसरे पक्ष को भुगतान किया जा रहा है, भले ही वह अन्य पक्ष मामला हार गया हो। ऐसा होने के कारण, यह निर्णय पूरी तरह से अलग करने योग्य है और वर्तमान मामले के तथ्यों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है।”

(जोर दिया गया) 63। आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड (उपरोक्त) के पैरा 16 में, अदालत ने अंततः विचार किया कि क्या खंड 25 (viii) को मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला कहा जा सकता है। पैरा 16 इस प्रकार है:

“16. इस प्रकार, यह देखा जाना चाहिए कि क्या उपरोक्त खंड 25 (viii) को मनमाना या भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला कहा जा सकता है।”

64. इसके बाद, न्यायालय ने कहा कि इसमें खंड 25 (viii) को भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह दोनों पक्षों पर समान रूप से लागू होता है, हालांकि, मनमानेपन को संविधान के अनुच्छेद 14 का एक अलग और विशिष्ट पहलू कहा जा सकता है। ऐसा कहते हुए, न्यायालय ने ए. एल. कालरा बनाम परियोजना में इस न्यायालय के फैसले के पैरा 19 का उल्लेख किया और उस पर भरोसा किया।

और भारतीय उपकरण निगम लिमिटेड ने (1984) 3 एस. सी. सी. 316 में सूचना दी।

पैरा 19 इस प्रकार है:

“19. अनुच्छेद 14 का दायरा और दायरा निर्णयों के एक समूह का विषय रहा है। अनुच्छेद 14 का एक पहलू जो ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य [(1974) 2 एस. सी. आर. 328 में देखा गया है: (1974) 4 एससीसी 3:1974 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 165:ए. आई. आर 1974 एस. सी. 555:(1974) 1 एल. एल. जे. 172] विशेष उल्लेख के योग्य है क्योंकि यह श्री सिन्हा के तर्क का प्रभावी रूप से जवाब देता है। संविधान पीठ ने रोयप्पा मामले [(1974) 2 एस. सी. आर. 328 में एक सहमति वाले फैसले में न्यायमूर्ति भगवती के माध्यम से कहा: (1974) 4 एससीसी 3:1974 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 165:ए. आई. आर 1974 एस. सी. 555:(1974) 1 एल. एल. जे. 172] निम्नलिखित रूप में देखा गया: [एससीसी पैरा 85, पृ. 38: एससीसी (एल एंड एस) पी. 200]

“इसलिए, मूल सिद्धांत जो अनुच्छेद 14 और 16 दोनों को सूचित करता है, वह समानता और भेदभाव के खिलाफ निषेध है। अब, इस महान बराबरी के सिद्धांत की सामग्री और पहुंच क्या है?

बोस, जे., "जीवन का एक तरीका", के शब्दों का उपयोग करना एक संस्थापक विश्वास है, और इसे एक संकीर्ण पांडित्यपूर्ण या शब्दकोश दृष्टिकोण के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। हम इसके सर्वव्यापी दायरे और अर्थ को कम करने के किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना इसके सक्रिय परिमाण का उल्लंघन होगा। समानता कई पहलुओं और आयामों के साथ एक गतिशील अवधारणा है और इसे पारंपरिक और सैद्धांतिक सीमाओं के भीतर नहीं रखा जा सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से, समानता मनमानेपन के विरोधी है। वास्तव में समानता और मनमानेपन कट्टर दुश्मन हैं; एक गणराज्य में कानून के शासन से संबंधित है जबकि दूसरा, एक पूर्ण सम्राट की सनक और सनक से संबंधित है। जहाँ कोई कार्य मनमाना है, वहाँ यह निहित है कि यह राजनीतिक तर्क और संवैधानिक कानून दोनों के अनुसार असमान है और इसलिए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, और यदि यह सार्वजनिक रोजगार से संबंधित किसी भी मामले को प्रभावित करता है, तो यह अनुच्छेद 16 का भी उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 और 16 राज्य की कार्रवाई में मनमानेपन पर प्रहार करते हैं और निष्पक्षता और व्यवहार की समानता सुनिश्चित करते हैं।” इस विचार को अजय हासिया मामले में संविधान पीठ द्वारा अनुमोदित किया गया था [(1981) 2 एससीआर 79:(1981) 1 एससीसी 722:1981 एससीसी (एल एंड एस) 258:ए. आई. आर 1981 एस. सी 487:(1981) 1 एलएलजे 103]। इस प्रकार यह अच्छी तरह से तय प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 14 कार्यकारी/प्रशासनिक कार्रवाई में मनमानेपन पर प्रहार करता है क्योंकि कोई भी कार्रवाई जो मनमाना है, उसमें अनिवार्य रूप से समानता का निषेध शामिल होना चाहिए। भेदभावपूर्ण व्यवहार के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए दो व्यक्तियों के बीच तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए समानता से इनकार करने की आवश्यकता नहीं है। एक कार्रवाई अपने आप में मनमाना है जो कानून द्वारा संरक्षण के बराबर से इनकार करती है। संविधान पीठ ने अजय हासिया मामले [(1981) 2 एस. सी. आर. 79 में उचित रूप से कहा:(1981) 1 एससीसी 722:1981 एससीसी (एल एंड एस) 258:ए. आई. आर 1981 एस. सी 487:(1981) 1 एल. एल. जे. 103] और इस मामले को विवाद से परे रखते हुए कहा कि "जहां भी राज्य की कार्रवाई में मनमानेपन है, चाहे वह विधानमंडल की हो या कार्यपालिका की या अनुच्छेद 12 के तहत किसी 'प्राधिकरण' की, अनुच्छेद 14 तुरंत कार्रवाई में आता है और ऐसी राज्य कार्रवाई को रद्द कर देता है।" इस दृष्टिकोण को डी. एस. नकारा बनाम भारत संघ [(1983) 1 एस. सी. सी. 305:1983 एससीसी (एल एंड एस) 145:(1983) यूपीएससी 263:ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 130]मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) 2 एस. सी. आर. 621:(1978) 1 एससीसी 248:ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 597] यह देखा गया कि अनुच्छेद 14 राज्य की कार्रवाई 981 में मनमानेपन पर प्रहार करता है।

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 982

और निष्पक्षता और व्यवहार की समानता सुनिश्चित करता है। इस प्रकार यह तर्क देने में बहुत देर हो चुकी है कि मनमाना दिखाई गई कार्यकारी कार्रवाई या तो न्यायिक रूप से समीक्षा योग्य नहीं है या अनुच्छेद 14 की पहुंच के भीतर नहीं है। श्री सिन्हा द्वारा तैयार किए गए तर्क को तदनुसार नकार दिया जाना चाहिए।”

(जोर दिया गया) 65। इसके बाद न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि इसमें दावा की गई राशि का 10 प्रतिशत "कॉल पर जमा" मध्यस्थता का आह्वान करने वाले पक्ष द्वारा तुच्छ दावों से बचने के लिए था। इस न्यायालय ने आगे कहा कि एक तुच्छ दावे को हमेशा अनुकरणीय लागत के साथ खारिज किया जा सकता है।

66. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यदि हम जी. सी. सी. के खंड 55 में निहित मामले में 7 प्रतिशत पूर्व-जमा की शर्त पर गौर करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि 7 प्रतिशत की इस राशि को अंततः मध्यस्थता कार्यवाही के अंत में कैसे समायोजित किया जाना है, इसके बारे में कुछ भी प्रदान नहीं किया गया है। इस स्थिति को बचाने के लिए, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जी. सी. सी. के खंड 3 की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, जो निष्पादन के लिए प्रतिभूति जमा से संबंधित है। खंड 3 इस प्रकार है:

“वर्ग-3: निष्पादन के लिए सुरक्षा विभाग:

3.1 प्रतिभूति जमा में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) कार्य के पुरस्कार के समय ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रदर्शन सुरक्षा जमा/प्रदर्शन गारंटी।

((ii) ठेकेदार के अंतरिम बिलों से प्रतिधारण राशि/प्रतिभूति जमा की वसूली।

3.2 स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीख से 28 (अट्ठाईस) दिनों के भीतर ठेकेदार अनुबंध के उचित प्रदर्शन के लिए अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) का प्रदर्शन प्रतिभूति जमा निम्नलिखित में से किसी एक प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा:

(क) नियोक्ता के नाम पर भारतीय किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक पर डिमांड ड्राफ्ट; या धारा-1 में निर्दिष्ट तरीके से एफ. डी. आर./सी. डी. आर.।

(ख) भारतीय राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक या भारत में स्थित अपनी शाखा के माध्यम से किसी विदेशी बैंक से बैंक गारंटी जो नियोक्ता को निर्धारित प्रारूप में स्वीकार्य हो।”

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

67. इसके बाद हमारा ध्यान खंड 4 की ओर आकर्षित किया गया जो प्रतिभूति जमा की वापसी का प्रावधान करता है। खंड 4 इस प्रकार है:

“वर्ग-4: सुरक्षा डिपॉजिट का रिफंड:

किसी भी देय राशि से कम प्रतिभूति जमा, मांग पर, दोष देयता अवधि (इसके खंड 43 में निर्दिष्ट) की समाप्ति के 14 दिनों के बाद ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रतिभूति जमा जारी करने के समय ठेकेदार को प्रतिभूति जमा की राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।”

68. हमारा विचार है कि जी. सी. सी. के खंड 55 में निर्धारित 7 प्रतिशत की पूर्व-जमा राशि के साथ क्रमशः उपरोक्त खंड 3 और 4 का कोई संबंध नहीं है जो निष्पादन और वापसी के लिए प्रतिभूति जमा से संबंधित है। कुल दावे के 7 प्रतिशत पूर्व-जमा की ऐसी अस्पष्ट और अस्पष्ट शर्त इसे मनमानेपन के लिए अधिक संवेदनशील बनाती है जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है। अन्यथा भी, जैसा कि आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड (उपरोक्त) में समझाया गया है, यदि याचिकाकर्ता का दावा अंततः तुच्छ पाया जाता है तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण हमेशा अधिनियम 1996 की धारा 31 ए के अनुसार लागत का फैसला कर सकता है, जो इस प्रकार है:

“31 उ. लागतों के लिए व्यवस्था।— (1) मध्यस्थता से संबंधित इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही या कार्यवाही के संबंध में, न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण को, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, यह निर्धारित करने का विवेकाधिकार होगा -

(क) क्या लागत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को देय है; (ख) ऐसी लागतों की राशि; और

((ग) जब ऐसी लागतों का भुगतान किया जाना है।

स्पष्टीकरण।— इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, “लागत” का अर्थ है -

((i) मध्यस्थों, न्यायालयों और गवाहों की फीस और खर्च; (ii) कानूनी फीस और खर्च;

((ग) मध्यस्थता की देखरेख करने वाली संस्था का कोई भी प्रशासनिक शुल्क; और 983

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 984

((iv) मध्यस्थता या न्यायालय की कार्यवाही और मध्यस्थता निर्णय के संबंध में किया गया कोई अन्य खर्च।

(2) यदि न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण लागत के भुगतान के संबंध में आदेश देने का निर्णय लेता है, तो -

(क) सामान्य नियम यह है कि असफल पक्ष को सफल पक्ष की लागत का भुगतान करने का आदेश दिया जाएगा; या

(ख) न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए एक अलग आदेश दे सकता है।

(3) लागत निर्धारित करने में, न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा, जिसमें -

((क) सभी पक्षों का आचरण;

(ख) क्या कोई पक्ष मामले में आंशिक रूप से सफल हुआ है;

(ग) क्या पक्षकार ने एक तुच्छ प्रतिवाद किया था जिससे मध्यस्थता कार्यवाही के निपटारे में देरी हुई थी; और

(घ) क्या विवाद को निपटाने के लिए कोई तर्कसंगत प्रयास किसी पक्ष द्वारा किया गया है और दूसरे पक्ष द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।

(4) न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण इस धारा के तहत कोई भी आदेश दे सकता है जिसमें यह आदेश भी शामिल है कि एक पक्ष भुगतान करेगा -

(क) किसी अन्य पक्ष की लागत का एक अनुपात;

(बी) किसी अन्य पक्ष की लागतों के संबंध में एक निर्दिष्ट राशि; (सी) केवल एक निश्चित तिथि से या तब तक की लागत;

(घ) कार्यवाही शुरू होने से पहले की गई लागत;

(ङ) कार्यवाहियों में उठाए गए विशेष कदमों से संबंधित लागतें; (च) केवल कार्यवाहियों के एक विशिष्ट भाग से संबंधित लागतें; और (छ) एक निश्चित तिथि से या तब तक की लागतों पर ब्याज।

(5) एक समझौता जिसमें यह प्रभाव है कि एक पक्ष को किसी भी स्थिति में मध्यस्थता की पूरी या आंशिक लागत का भुगतान करना है, केवल तभी मान्य होगा जब ऐसा समझौता विचाराधीन विवाद उत्पन्न होने के बाद किया जाता है।”

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

69. उपरोक्त संदर्भ में, हम उबर के मामले में कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के नौ-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं।

टेक्नोलॉजीज इंक., उबर कनाडा इंक., उबर बी. वी. और रेसियर ऑपरेशंस

बी. वी. वी.डेविड हेलर ने 2020 एससीसी ऑनलाइन कैन एससी 13 में रिपोर्ट किया। हम प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे उद्धृत करते हैं:

“42. हमारे विचार में, इस चिंता को कम करने के ऐसे तरीके हैं जो इन स्थितियों में मामले को मध्यस्थ को भेजने के सामान्य नियम से हटकर समग्र गणना पक्ष बनाते हैं। अदालतों के पास अनुचित उद्देश्यों के लिए अदालती प्रक्रियाओं के दुरुपयोग को रोकने के कई तरीके हैं। परेशान करने वाली कार्यवाही को लागतों के लिए सुरक्षा की आवश्यकता और लागतों के उपयुक्त पुरस्कारों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इंग्लैंड में, अदालतों ने पूर्ण क्षतिपूर्ति लागत प्रदान की है जहां एक पक्ष ने अनुचित रूप से मध्यस्थता क्षेत्राधिकार की अनदेखी की (ह्यूग बील, एड।, चिट्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स (33 वां संस्करण। 2018), खंड। II, विनिर्दिष्ट ग अनुबंध, पैरा 32-065; ए. वी.बी. (नंबर 2), [2007] ई. डब्ल्यू. एच. सी. 54 (कम.):[2007] 1 सभी ई. आर. 633 (कम.), पैरा 15; किर्गिज मोबिल टेल लिमिटेड बनाम फेलो इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड, [2005] ईडब्ल्यूएचसी 1329:2005 डब्ल्यू. एल. 6514129 (क्यू. बी.), पैरा 43-44)। इसके अलावा, यदि मध्यस्थता समझौते को सफलतापूर्वक लागू करने वाले पक्ष को उन परिस्थितियों के आधार पर कार्रवाई करनी थी, जो वे अनुबंध के उल्लंघन के लिए नुकसान की वसूली करने में सक्षम हो सकते हैं, तो वह अनुबंध मध्यस्थता करने का समझौता है (बीले, पैरा में। 32-052; वेस्ट टैंकर इंक. बनाम एलियांज एसपीए, [2012] ईडब्ल्यूएचसी 854 (कॉम.):[2012] 2 सभी ई. आर. 395 (कम.), पैरा 77)।”

(जोर दिया गया)

आरई:इश्यू नं। 3.

अधिनियम 1996 की धारा 11 (6) के तहत एक याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 में पूर्व-निर्वासन शर्त की मूल अधिसूचना देखी जा सकती है और उस पर निर्णय लिया जा सकता है।

70. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की ओर से मुखर निवेदन, कि इस न्यायालय को मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अधिनियम 1996 की धारा 11 (6) के तहत एक आवेदन पर विचार करते समय 985 में निर्धारित शर्तों की वैधता या तर्कसंगतता का परीक्षण नहीं करना चाहिए।

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 986 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर मध्यस्थता खंड, किसी भी योग्यता या सार के बिना है।

71. प्रत्यर्थी के लिए यह कहना बहुत अधिक होगा कि यह केवल संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका में रिट अदालत है जो इस बात पर विचार कर सकती है कि मध्यस्थता खंड में कोई विशेष शर्त मनमाना है या नहीं।

72. यह पहली बार नहीं है कि यह न्यायालय धारा 11 (6) आवेदन पर निर्णय लेते समय संविधान के अनुच्छेद 14 की अवहेलना करने वाले मध्यस्थता खंड पर विचार कर रहा है।

73. टी. आर. एफ. लिमिटेड बनाम ऊर्जा इंजीनियरिंग परियोजनाओं के मामले में लिमिटेड ने (2017) 8 एस. सी. सी. 377 में रिपोर्ट की, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:-
“अपीलों के इस समूह में, विशेष अनुमति द्वारा, विचार के लिए उत्पन्न होने वाले मूल मुद्दे हैं; क्या उच्च न्यायालय [टी. आर. एफ. लिमिटेड बनाम. एनर्जी इंज. प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 2532], मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षिप्तता के लिए, "अधिनियम") की धारा 11 (6) के तहत आवेदनों पर विचार करते समय, अपीलकर्ताओं की प्रस्तुतियों को दूर करने के लिए न्यायसंगत ठहराया गया है कि एक बार जिस व्यक्ति को अनुबंध के नियमों और शर्तों के तहत उत्पन्न विवादों पर मध्यस्थता करने की आवश्यकता थी, वह कानून के संचालन से अयोग्य हो जाता है, वह किसी व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित करने का पात्र नहीं होगा, और दूसरा, एक याचिका जो नामित मध्यस्थ के वैधानिक अयोग्यता से संबंधित है, ऐसे आवेदन के लिए अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत पसंदीदा आवेदन में अदालत के समक्ष उठाया जा सकता है। स्पष्टता, सुविधा और उपयुक्त प्रशंसा के लिए, हम 2017 की सिविल अपील संख्या 5306 के तथ्यों को बताएँगे।”

XXX

XXX

XXX

54. ऐसे संदर्भ में, विवाद का आधार यह होगा कि क्या प्रबंध निदेशक की तरह एक अयोग्य मध्यस्थ एक मध्यस्थ को नामित कर सकता है, जो अन्यथा योग्य और एक सम्मानित व्यक्ति हो सकता है। जैसा कि पहले कहा गया है, हम न तो वस्तुनिष्ठता से संबंधित हैं और न ही व्यक्तिगत सम्मान से। हम केवल प्रबंध निदेशक के अधिकार या शक्ति से संबंधित हैं। हमारे विश्लेषण से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बाध्य हैं कि एक बार जब मध्यस्थ कानून के संचालन से अयोग्य हो जाता है, तो वह किसी अन्य को मध्यस्थ के रूप में नामित नहीं कर सकता है। मध्यस्थ प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार अयोग्य हो जाता है

अधिनियम की धारा 12 (5) में निहित है। कानून में यह अकल्पनीय है कि जो व्यक्ति वैधानिक रूप से अयोग्य है, वह किसी व्यक्ति को नामित कर सकता है। कहने की जरूरत नहीं है कि एक बार बुनियादी ढांचा ढह जाने के बाद अधिसंरचना ढह जाएगी। प्लिंथ के बिना कोई इमारत नहीं

हो सकती।या इसे गलत तरीके से रखने के लिए, एक बार जब एकमात्र मध्यस्थ के रूप में प्रबंध निदेशक की पहचान समाप्त हो जाती है, तो किसी और को मध्यस्थ के रूप में नामित करने की शक्ति समाप्त हो जाती है।इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया विचार ठीकाऊ नहीं है और हम ऐसा कहते हैं।”

(जोर दिया गया) 74।पर्किन्स ईस्टमैन (ऊपर) में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

“मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ("अधिनियम") की धारा 11 (12) (ए) के साथ पठित धारा 11 (6) के तहत और भारत के मुख्य न्यायाधीश योजना, 1996 ("योजना") द्वारा मध्यस्थों की नियुक्ति के तहत यह आवेदन निम्नलिखित प्रमुख राहत के लिए प्रार्थना करता है:

“(क) पक्षकारों के बीच निष्पादित अनुबंध के खंड 24 के अनुसार एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करें और इस प्रकार नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ उक्त अनुबंध से उत्पन्न होने वाले पक्षों के बीच विवादों और मतभेदों पर निर्णय ले सकता है।”

XXX

XXX

XXX

21. लेकिन, हमारे विचार में यह टी. आर. एफ. लिमिटेड से तार्किक कटौती होनी चाहिए।एनर्गो इंग।प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, (2017) 8 एस. सी. सी. 377:(2017) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 72] निर्णय के पैरा 50 से पता चलता है कि यह न्यायालय

इस मुद्दे से संबंधित था, "क्या प्रबंध निदेशक, कानून के संचालन से अयोग्य होने के बाद, क्या वह अभी भी एक मध्यस्थ को नामित करने के लिए पात्र है" उसमें संदर्भित अयोग्यता, कानून के संचालन के परिणामस्वरूप थी, जिसमें विवाद में या उसके परिणाम या निर्णय में रुचि रखने वाला व्यक्ति न केवल मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य होना चाहिए, बल्कि किसी और को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए भी पात्र नहीं होना चाहिए और यह कि ऐसे व्यक्ति की मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति होने के कारण विवाद समाधान के लिए किसी भी पाठ्यक्रम को तैयार करने में कोई भूमिका नहीं हो सकती है और न ही होनी चाहिए। अगले वाक्य

पैराग्राफ में, आगे दिखाया गया है कि ऐसे मामले जहां दोनों पक्ष अपनी पसंद के संबंधित मध्यस्थों को नामित कर सकते थे, पूरी तरह से एक अलग स्थिति पाई गई।कारण स्पष्ट है कि जो भी 987 हो

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 988 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

एक पक्ष अपनी पसंद के मध्यस्थ को नामित करके लाभ प्राप्त कर सकता है जो दूसरे पक्ष के साथ समान शक्ति द्वारा प्रति-संतुलित होगा। लेकिन, ऐसे मामले में जहां केवल एक पक्ष को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार है, उसकी पसंद में हमेशा विवाद समाधान के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करने या चार्ट बनाने में विशिष्टता का एक तत्व होगा। स्वाभाविक रूप से, जिस व्यक्ति की विवाद के परिणाम या निर्णय में रुचि है, उसके पास एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। इसे मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2016 का 3) द्वारा लाए गए संशोधनों के सार के रूप में लिया जाना चाहिए और टी. आर. एफ. लिमिटेड में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए। एनर्गो इंग। प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, (2017) 8 एस. सी. सी. 377: (2017) 4 एस. सी. सी. (सिविल) 72] "

(जोर दिया गया)

75. वायस्टाल्पाइन में शियनन जी. एम. बी. एच. बनाम दिल्ली मेट्रो रेल निगम

लिमिटेड ने (2017) 4 एस. सी. सी. 665 में रिपोर्ट की, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"28. इससे पहले कि हम अलग हों, हम मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन के लिए मध्यस्थता समझौते में निहित प्रक्रिया पर कुछ टिप्पणियां करना आवश्यक समझते हैं। यहां तक कि जब कई व्यक्तियों को पैनल में शामिल किया जाता है, तब भी डी. एम. आर. सी. के पास विवेकाधिकार होता है कि वे उनमें से कुछ व्यक्तियों को चुनें और उनके नाम दूसरे पक्ष को भेजें जो कि इनमें से किसी एक व्यक्ति को अपने नामांकित व्यक्ति के रूप में चुनना है (हालांकि इस मामले में, अब इसे समाप्त कर दिया गया है)। इतना ही नहीं, डी. एम. आर. सी. को उक्त सूची से अपने मध्यस्थ को भी नामित करना है। इन सबसे ऊपर, दोनों मध्यस्थों के पास उसी सूची से तीसरे मध्यस्थ को चुनने का सीमित विकल्प भी है, यानी शेष तीन व्यक्तियों में से। इस प्रक्रिया के दो प्रतिकूल परिणाम होते हैं। प्रथम स्थान पर, विरोधी पक्ष को दिया गया विकल्प सीमित है क्योंकि उसे दूसरे पक्ष द्वारा अग्रेषित किए गए नामों में से एक का चयन करना होता है। डी. एम. आर. सी. द्वारा तैयार किए गए पूरे पैनल में से किसी व्यक्ति को नामित करने का कोई स्वतंत्र विकल्प नहीं है। दूसरा, निश्चित व्यक्तियों को चुनने के लिए डी. एम. आर. सी. को दिए गए विवेकाधिकार के साथ, दूसरे पक्ष के मन में संदेह की एक गुंजाइश पैदा हो जाती है कि डी. एम. आर. सी. ने अपने पसंदीदा लोगों को चुना होगा। ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसलिए, हमारी राय है कि एस. सी. सी. के खंड 9.2 के उपखंड (बी) और (सी) को हटाने की आवश्यकता है और इसके बजाय पक्षों को मध्यस्थों के पूरे पैनल से किसी भी व्यक्ति को नामित करने का विकल्प दिया जाना चाहिए। इसी तरह दोनों

पक्षों द्वारा नामित मध्यस्थों को पूरे पैनल में से तीसरा मध्यस्थ चुनने की पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।”

(जोर दिया गया) 76। इस न्यायालय के उपरोक्त सभी निर्दिष्ट निर्णयों में ध्यान देने योग्य वाक्यांश "कानून का संचालन" है। यह वाक्यांश व्यापक अर्थ का है और अधिनियम 1996 के साथ-साथ भारत के संविधान और किसी भी अन्य केंद्रीय या राज्य कानून को शामिल करता है।

77. उपरोक्त संदर्भ में, हमें केल्सन के शुद्ध सिद्धांत पर विचार करना चाहिए और उस मूल मानदंड पर चर्चा करनी चाहिए जिसे उन्होंने "ग्रंडनोर्म" कहा था। 78. केल्सन के कानून के शुद्ध सिद्धांत में ग्रंडनोर्म के मूल मानदंड पर आधारित पदानुक्रम की अपनी पिरामिड संरचना है। 'ग्रंडनोर्म' शब्द एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है मौलिक मानक। उन्होंने इसे 'द' कहा है।

अभिधारणा अंतिम नियम जिसके अनुसार इस आदेश के मानदंड स्थापित किए जाते हैं और रद्द किए जाते हैं, अपनी वैधता प्राप्त करते हैं या खो देते हैं। यह ग्रंडनोर्म है

जो सामग्री को निर्धारित करता है और उससे प्राप्त अन्य मानदंडों को मान्य करता है। लेकिन इसकी वैधता कहाँ से प्राप्त होती है, यह एक ऐसा सवाल था जिसका केल्सन ने जवाब नहीं दिया, इसे एक मेटा-फिजिकल सवाल बताते हुए। न्यायविद द्वारा प्रस्तावित एक परिकल्पना के बजाय ग्रंडनोर्म एक सिद्धांत है। ग्रंडनोर्म एक कानूनी प्रणाली में और इस आधार से प्रारंभिक बिंदु है; एक कानूनी प्रणाली अधिक से अधिक विस्तृत और विशिष्ट होती जाती है जैसे-जैसे यह आगे बढ़ती है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है। पिरामिड के शीर्ष पर ग्रंडनोर्म है, जो स्वतंत्र है। अधीनस्थ मानदंडों को पदानुक्रमित क्रम में उनसे बेहतर मानदंडों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मानदंडों की प्रणाली नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है और ग्रंडनोर्म पर बंद हो जाती है। (संदर्भ: भारत में ग्रंडनोर्म का अनुप्रयोग, जैनब आरिफ खान, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय)

79. हमारा संविधान हमारे देश में कानून का सर्वोच्च स्रोत है। अन्य सभी कानून वैधता ग्रहण करते हैं क्योंकि वे संविधान के अनुरूप हैं। स्वयं संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो स्पष्ट रूप से प्रदान करते हैं कि कोई भी कानून जो इसके प्रावधानों का उल्लंघन करता है वह गैरकानूनी है और निरस्त होने योग्य है। जैसा कि अनुच्छेद 13 में निहित है, जिसमें यह प्रावधान है कि संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके बाद किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए सभी कानून, जो संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हैं, 989 की सीमा तक हैं।

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 990

असंगतता, शून्य। यह फिर से ग्रंडनोर्म के सिद्धांत को उजागर करता है जो कहता है कि एक बुनियादी नियम होना चाहिए। संविधान कानून का मूल और अंतिम स्रोत है।

80. उपरोक्त संदर्भ में, हमें ग्रंडनोर्म के सिद्धांत की व्याख्या करने वाले उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर विचार करना चाहिए।

(i) स्ववाङ्मन लीडर एच. एस. कुलश्रेष्ठ बनाम संघ के मामले में

भारत ने 1999 में एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 270 की रिपोर्ट दी, अदालत ने कहा कि

‘ प्रख्यात न्यायविद केल्सन के सिद्धांत के अनुसार, प्रत्येक देश में कानूनों का एक पदानुक्रम होता है, और उच्चतम कानून को कठोर मानदंड के रूप में जाना जाता है। हमारे देश में सबसे कठोर मानदंड संविधान है।’

((ii) अब्दुर सुकुर और एक अन्य बनाम पश्चिम राज्य के एक अन्य मामले में

बंगाल और अन्य ने 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 5455 में रिपोर्ट किया,

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 'भारत के संविधान में निहित है, जो सभी भारतीय कानूनों का कठोर मानदंड है।’

(iii) 2009 में रिपोर्ट किए गए ओम प्रकाश गुप्ता बनाम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ए. एन. आर. के एक अन्य मामले में एस. सी. सी. ऑनलाइन

राज 1381 में, यह फिर से माना गया कि 'चूंकि संविधान द्वारा सीमाओं की अवहेलना की गई है, वे न्यायशास्त्र के शब्द में, ' कठोर मानदंड 'हैं।’

(iv) सुनील बनाम एम. पी. राज्य और एक अन्य मामले में रिपोर्ट किया गया

2016 में एस. सी. सी. ऑनलाइन एम. पी. 8551 में, यह फिर से उल्लेख किया गया कि,

‘ भारत का संविधान कठोर नियम है-देश का सर्वोच्च कानून। अन्य सभी कानून अपनी उत्पत्ति प्राप्त करते हैं और संविधान में निर्धारित सिद्धांतों के पूरक और आनुषंगिक हैं।’

(v) आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य बनाम श्रीमती के मामले में। पी.

लक्ष्मी देवी ने (2008) 4 एस. सी. सी. 720 में प्रतिवेदन दिया, इस न्यायालय ने कहा,

‘ केल्सन के अनुसार, हर देश में कानूनी मानदंडों का एक पदानुक्रम होता है, जिसका नेतृत्व वह 'ग्रंडनोर्म' के रूप में करते हैं। यदि इस पदानुक्रम की एक उच्च परत में एक कानूनी मानक आई. सी. टी. एस. को निचली परत में एक कानूनी मानक के साथ जोड़ता है तो पूर्व प्रबल होगा। भारत में ग्रंडनोर्म भारतीय संविधान है।’

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

81. इस प्रकार, मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में, केल्सन के सिद्धांत के अनुसार ग्रंडनोर्म की परतें निम्नलिखित पदानुक्रम में होंगी: (i) भारत का संविधान, 1950;

((ii) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और कोई अन्य केंद्रीय/राज्य कानून;

(iii) एस के आलोक में पक्षों द्वारा किया गया मध्यस्थता समझौता। 7 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996।

82. इस प्रकार, मध्यस्थता समझौते को निम्नलिखित आवश्यकताओं का पालन करना होगा और यह गलत नहीं हो सकता है:

(i) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 7;

((ii) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और केंद्रीय/राज्य कानून के कोई अन्य प्रावधान;

((iii) भारत का संविधान, 1950।

83. विद्या द्रोलिया (ऊपर) के पैरा 236 में इस न्यायालय की टिप्पणियों को इस मुद्दे को स्पष्ट करना चाहिए। पैरा 236 इस प्रकार है:

“236. मध्यस्थता समझौते की वैधता की सीमा की जांच करने के लिए अदालत के लिए सीमा मानक स्थापित करने के बाद, एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में, ड्यूरो फेलगुएरा [ड्यूरो फेलगुएरा, एस. ए. बनाम। गंगावरम पोर्ट लिमिटेड (2017) 9 एस. सी. सी. 729:(2017) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 764], जो निर्धारित करता है: (एस. सी. सी. पी. 759, पैरा 48)

“48. ... धारा 11 (6-ए) के अध्ययन से, विधायिका का इरादा स्पष्ट है अर्थात् न्यायालय को केवल एक पहलू पर ध्यान देना चाहिए और उसकी आवश्यकता है- एक मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व। अगला सवाल यह है कि यह तय करने के लिए कौन से कारक हैं कि मध्यस्थता समझौता है या नहीं। इसका समाधान सरल है- यह देखने की आवश्यकता है कि क्या समझौते में एक खंड है जो समझौते के पक्षों के बीच उत्पन्न हुए विवादों से संबंधित मध्यस्थता का प्रावधान करता है।”

पहली बार में, ऐसा लगता है कि न्यायालय ने परीक्षण को उसके तथ्यात्मक अस्तित्व की जांच तक सीमित करके मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व को पढ़ा है। हालाँकि, ऐसा नहीं है, क्योंकि मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है जब तक कि ऐसा समझौता 991 न हो।

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 992 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

संविदात्मक रूप से वैध है। इस दृष्टिकोण को ड्यूरो फेलगुएरा मामले [ड्यूरो फेलगुएरा, एस. ए. बनाम। गंगावरम पोर्ट लिमिटेड (2017) 9 एस. सी. सी. 729:(2017) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 764], जिसमें मध्यस्थता समझौते के संविदात्मक पहलू का संदर्भ धारा 7 के विश्लेषण के तहत निहित है। एक मात्र समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, जब तक कि यह सहमति, विचार, कानूनी संबंध आदि से संबंधित मुख्य संविदात्मक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।”

(जोर दिया गया) 84।प्रत्यर्थी द्वारा सेवा में लगाए गए "पार्टी स्वायत्तता" की अवधारणा को उस हद तक नहीं बढ़ाया जा सकता है जहां यह संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। एक मध्यस्थता खंड के कानूनी रूप से बाध्यकारी होने के लिए इसे "कानून के संचालन" के अनुरूप होना चाहिए जिसमें ग्रंडनोर्म यानी संविधान शामिल है।यह कानून का शासन है जो सर्वोच्च है और मूल संरचना का हिस्सा है।प्रत्यर्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता समझौते के निष्पादन के समय पूर्व-जमा खंड के लिए सहमति देने के बाद, अदालत को धारा 11 (6) याचिका में यह नहीं बता सकता है कि यह मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बिना किसी योग्यता के है।

85. यह कानून की एक स्थिर स्थिति है कि कानून के खिलाफ कोई सहमति नहीं हो सकती है और मौलिक अधिकारों की कोई छूट नहीं हो सकती है।इस न्यायालय की संविधान पीठ ने मुख्य न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ के माध्यम से (के रूप में)

उनका प्रभुत्व तब ओल्गा टेलिस और अन्य बनाम बॉम्बे नगर पालिका में था।

निगम और अन्य ने (1985) 3 एस. सी. सी. 545 में रिपोर्ट किया कि उक्त पहलू पर कुछ बहुत ही प्रकाश डाला गया है:

“28. इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को फुटपाथ या सार्वजनिक सड़कों के कुछ हिस्सों पर उनके द्वारा लगाई गई झोपड़ियों को ध्वस्त करने के बचाव के रूप में अपने मौलिक अधिकारों को स्थापित करने से वंचित किया जाता है।संविधान के खिलाफ कोई रोक-टोक नहीं हो सकती।संविधान न केवल देश का सर्वोच्च कानून है, बल्कि यह सभी कानूनों का स्रोत और पोषण भी है।इसके प्रावधानों की परिकल्पना जनहित में की गई है और इनका उद्देश्य सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करना है।अवरोध का सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित है कि शब्द और कार्य में निरंतरता मानव संबंधों को निश्चितता और ईमानदारी प्रदान करती है।यदि कोई व्यक्ति दूसरे को प्रतिनिधित्व करता है, जिसके विश्वास पर बाद वाला उसके लिए कार्य करता है

पूर्वाग्रह, पूर्व अपने द्वारा किए गए अभ्यावेदन से पीछे नहीं हट सकता है।उसे अच्छा करना चाहिए।यह सिद्धांत मौलिक अधिकारों के दावे या प्रवर्तन के संबंध में किए गए अभ्यावेदनों पर लागू नहीं हो सकता है।उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा दी गई रियायत जो उसके पास नहीं है और जो उसके पास बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा या भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार से उसे उन संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता है, इस रियायत से अधिक कि किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 22 की शर्तों के विपरीत उसकी नजरबंदी को उचित ठहरा सकता है।मौलिक अधिकार निस्संदेह संविधान द्वारा व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं जिन्हें उनके द्वारा प्रतिपादित और लागू किया जाना है, यदि उन अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है।लेकिन, संविधान मौलिक अधिकारों को प्रदान करके जिस उच्च

उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, वह न केवल व्यक्तियों को लाभान्वित करना है, बल्कि समुदाय के व्यापक हितों को सुरक्षित करना है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। यह प्रस्तावना के वादे को पूरा करने के लिए है कि मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं, कुछ नागरिकों को जैसे कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 21 और 29 द्वारा गारंटीकृत और कुछ नागरिकों और गैर-नागरिकों को समान रूप से, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 22 और 25 द्वारा गारंटीकृत। कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं का आदान-प्रदान नहीं कर सकता है। किसी कार्यवाही में उसके द्वारा दी गई रियायत, चाहे वह कानून की गलती के तहत हो या अन्यथा, कि उसके पास कोई विशेष मौलिक अधिकार नहीं है या वह उसे लागू नहीं करेगा, उस या उसके बाद की किसी कार्यवाही में उसके खिलाफ रोक नहीं लगा सकती है। यदि इस तरह की रियायत लागू की जाती है, तो यह संविधान के उद्देश्य को विफल कर देगी। यदि बहिष्कार का तर्क वैध होता, तो एक सर्वशक्तिमान राज्य आसानी से किसी व्यक्ति को अस्थायी, तत्काल लाभ के वादे पर अपनी बहुमूल्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़ने के लिए लुभा सकता था। इसलिए, इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में स्वीकार किया था कि उन्हें फुटपाथ पर झोपड़ियों का निर्माण करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और वे 15 अक्टूबर, 1981 के बाद उनके विध्वंस पर आपत्ति नहीं करेंगे, वे यह दावा करने के हकदार हैं कि सार्वजनिक अधिकारियों की ओर से ऐसी कोई भी कार्रवाई उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगी। याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए गए अधिकार के अस्तित्व और दायरे के बारे में तर्क कितना अच्छी तरह से आधारित है, यह एक अलग मामला है। लेकिन, रियायत के बावजूद तर्क की जांच की जानी चाहिए।

993

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 994 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

29. रोक की याचिका छूट की याचिका के साथ निकटता से जुड़ी हुई है, दोनों का उद्देश्य दिन-प्रतिदिन के लेन-देन में निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। बशेशर नाथ बनाम सी. आई. टी. [1959 सप्लीमेंट 1 एस. सी. आर. 528: ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 149: (1959) 35 आई. टी. आर. 190], इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को माफ किया जा सकता है। पीठ के दो सदस्यों (दास, सी. जे. और कपूर, जे.) ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 पर आधारित मौलिक अधिकार से कोई छूट नहीं दी जा सकती है। दो अन्य (एन. एच. भगवती और जे. जे. सुब्बा राव) ने कहा कि न केवल अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त अधिकार की कोई छूट हो सकती है, बल्कि संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत किसी भी अन्य मौलिक अधिकार की कोई छूट नहीं हो सकती है। विद्वान न्यायाधीशों के अनुसार, संविधान किसी व्यक्ति के लाभ के लिए अधिनियमित मौलिक अधिकारों और जनहित में या सार्वजनिक नीति के आधार पर अधिनियमित मौलिक अधिकारों के बीच कोई अंतर नहीं करता है।”

(जोर दिया गया)

मुद्दा नं. IV

86. इस मुद्दे के संबंध में, प्रधान सचिव/सचिव (सिंचाई), उत्तराखंड सरकार को अपनी पसंद का मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार देने वाले मध्यस्थता खंड की वैधता का संबंध है, इसे पर्किन्स ईस्टमैन (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के निर्णय के दायरे में कहा जा सकता है: 87. यदि नामित व्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह पैदा करने वाली परिस्थितियाँ मौजूद हैं या यदि अन्य परिस्थितियाँ निर्धारित प्रक्रिया की अनदेखी करके एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति की गारंटी देती हैं, तो मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित व्यक्ति, दर्ज किए जाने वाले कारणों से नामित मध्यस्थ की अनदेखी कर सकता है और किसी और को नियुक्त कर सकता है।

[देखिए: आई. ओ. सी. बनाम राजा ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (2009) 8 एस. सी. सी. 520]

88. उपरोक्त संदर्भ में, हमें 1996 के अधिनियम की संशोधित धारा 12 पर विचार करना चाहिए। धारा 12 इस प्रकार है:

“12. चुनौती के लिए आधार।

(1) जब किसी व्यक्ति से मध्यस्थ के रूप में उसकी संभावित नियुक्ति के संबंध में संपर्क किया जाता है, तो वह किसी भी परिस्थिति में लिखित रूप में खुलासा करेगा -

(क) जैसे कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी पक्ष के साथ या किसी भी विवादग्रस्त विषय के संबंध में किसी भी पूर्व या वर्तमान संबंध या हित का अस्तित्व, चाहे वह वित्तीय, व्यवसाय, व्यावसायिक या अन्य प्रकार का हो, जिससे उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में न्यायसंगत संदेह पैदा होने की संभावना है; और

(ख) जो मध्यस्थता के लिए पर्याप्त समय देने की उसकी क्षमता और विशेष रूप से बारह महीने की अवधि के भीतर संपूर्ण मध्यस्थता को पूरा करने की उसकी क्षमता को प्रभावित करने की संभावना है।

स्पष्टीकरण 1.—पाँचवीं अनुसूची में बताए गए आधार यह निर्धारित करने में मार्गदर्शन करेंगे कि क्या ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो मध्यस्थ की स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में न्यायसंगत संदेह पैदा करती हैं।

स्पष्टीकरण 2.—प्रकटीकरण ऐसे व्यक्ति द्वारा छठी अनुसूची में निर्दिष्ट प्रपत्र में किया जाएगा।]

(3) एक मध्यस्थ को केवल तभी चुनौती दी जा सकती है जब -

(क) ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह पैदा करती हैं, या

(ख) उसके पास पक्षकारों द्वारा सहमत योग्यताएं नहीं हैं।(4) एक पक्ष अपने द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को चुनौती दे सकता है, या जिसकी नियुक्ति में उसने भाग लिया है, केवल उन्हीं कारणों से जिसके लिए वह नियुक्ति के बाद जागरूक हो जाता है।

(5) इसके विपरीत किसी भी पूर्व समझौते के बावजूद, कोई भी व्यक्ति जिसका संबंध, पक्षों या वकील या विवाद के विषय के साथ, सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आता है, मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा:

बशर्ते कि पक्षकार, अपने बीच उत्पन्न हुए विवादों के बाद, लिखित में एक स्पष्ट समझौते द्वारा इस उप-धारा की प्रयोज्यता को माफ कर सकते हैं।”

89. 2015 का संशोधन विधि आयोग की सिफारिश पर भी आधारित है जो विशेष रूप से "मध्यस्थों की तटस्थता" के मुद्दे से निपटता है और इस संबंध में चर्चा अगस्त 2004 में प्रकाशित विधि आयोग की रिपोर्ट संख्या 246 के पैरा 53 से 60 में निहित है। हम नीचे पूरी चर्चा को पुनः प्रस्तुत करते हैं:

995

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 996 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

[illegible]

53. यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि मध्यस्थता प्रक्रिया सहित कोई भी अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए। मध्यस्थता के संदर्भ में, मध्यस्थों की तटस्थता अर्थात् उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता, पूरी प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। 54. अधिनियम में, तटस्थता के लिए परीक्षण धारा 12 (3) में निर्धारित किया गया है जो प्रदान करता है -

‘12.(3) एक मध्यस्थ को केवल तभी चुनौती दी जा सकती है जब -

(क) ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह पैदा करती हैं।...

55. अधिनियम उन "परिस्थितियों" की पहचान करने के लिए कोई अन्य शर्त निर्धारित नहीं करता है जो "न्यायसंगत संदेह" को जन्म देती हैं, और यह स्पष्ट है कि ऐसी कई परिस्थितियाँ और परिस्थितियाँ हो सकती हैं। परीक्षा यह नहीं है कि क्या परिस्थितियों को देखते हुए, इसके

लिए कोई वास्तविक पूर्वाग्रह है जो सीमा को बहुत अधिक स्थापित कर रहा है; लेकिन, क्या विचाराधीन परिस्थितियाँ पूर्वाग्रह की किसी भी उचित आशंकाओं को जन्म देती हैं।

56. इस प्रावधान की सीमाओं का परीक्षण भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य संस्थाओं के साथ अनुबंधों के संदर्भ में किया गया है, जिसमें विशेष व्यक्तियों/पदनामों (उस संस्था से जुड़े) को संभावित मध्यस्थ के रूप में नामित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका निपटारा उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला द्वारा किया गया है (देखें कार्यकारी अभियंता, सिंचाई प्रभाग बनाम गंगाराम छापोलिया [कार्यकारी अभियंता, सिंचाई प्रभाग बनाम गंगाराम छापोलिया, (1984) 3 एससीसी 627], परिवहन विभाग।v. मुनुसामी मुदलियार [परिवहन विभाग।मुनुसामी मुदलियार, 1988 सप्लीमेंट एस. सी. सी. 651], अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण बनाम के. डी. बाली [अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण बनाम के. डी. बाली, (1988) 2 एस. सी. सी. 360], एस. राजन बनाम केरल राज्य [एस. राजन बनाम केरल राज्य, (1992) 3 एस. सी. सी. 608], इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम। इंडो स्विस सिंथेटिक्स जेम एम. एफ. जी. कं. लिमिटेड [इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम।इंडो स्विस सिंथेटिक्स जेम एम. एफ. जी. कं. लिमिटेड, (1996) 1 एस. सी. सी. 54], भारत संघ बनाम एम. पी. गुप्ता [भारत संघ बनाम एम. पी. गुप्ता, (2004) 10 एस. सी. सी. 504] और एसीई पाइपलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स (पी) लिमिटेड बनाम।भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन।लिमिटेड [एसीई पाइपलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स (पी) लिमिटेड बनाम।भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन।लिमिटेड, (2007) 5 एस. सी. सी. 304] कि सरकारी अनुबंधों में मध्यस्थता समझौते

जो विभाग के सेवारत कर्मचारी द्वारा मध्यस्थता का प्रावधान करता है, वैध और लागू करने योग्य हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट, इंडियन ऑयल कॉर्प में।लिमिटेड वी.राजा ट्रांसपोर्ट (पी) लिमिटेड. [इंडियन ऑयल कार्पोरेशन।लिमिटेड वी.राजा ट्रांसपोर्ट (पी) लिमिटेड, (2009) 8 एससीसी 520:(2009) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 460] ने उन स्थितियों में एक मामूली अपवाद बनाया जब मध्यस्थ 'विषय अनुबंध के संबंध में नियंत्रण या व्यवहार करने वाला प्राधिकारी था या यदि वह एक प्रत्यक्ष अधीनस्थ है (जैसा कि किसी अन्य विभाग में निम्न श्रेणी के अधिकारी से विपरीत है) तो उस अधिकारी के लिए जिसका निर्णय विवाद का विषय है' (एस. सी. सी. पृष्ठ 533, पैरा 34) और इस अपवाद का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डेनेल (प्रोपराइटरी) लिमिटेड बनाम.रक्षा मंत्रालय [डेनेल (प्रोपराइटरी) लिमिटेड बनाम.रक्षा मंत्रालय, (2012) 2 एससीसी 759:(2012) 2 एस. सी. सी. (सी. वी.) 37:ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 817] और बाइप्रोमाज़ बाइप्रोन ट्रेडिंग सा बनाम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड [बाइप्रोमाज़ बाइप्रोन ट्रेडिंग सा बनाम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, (2012) 6 एस. सी. सी. 384:(2012) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 702], धारा 11 के तहत एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए, यह पर्याप्त नहीं है।

57. प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और इन अनुबंधों की बाध्यकारी प्रकृति के बीच संतुलन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाद वाले के पक्ष में झुका हुआ प्रतीत होता है, और आयोग का मानना है कि कानून की वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं है। चूंकि निष्पक्षता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को कार्यवाही के किसी भी स्तर पर, विशेष रूप से मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह कहना असंगत होगा कि इन सिद्धांतों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए पक्ष की स्वायत्तता का प्रयोग किया जा सकता है-भले ही दोनों पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होने से पहले ही इस पर सहमति हो चुकी हो। स्वतंत्रता और निष्पक्षता के कुछ न्यूनतम स्तर हैं जो पक्षों के स्पष्ट समझौते की परवाह किए बिना मध्यस्थता प्रक्रिया के लिए आवश्यक होने चाहिए। उदाहरण के लिए, एक विवेकपूर्ण कानून एक ऐसे मध्यस्थ की नियुक्ति की अनुमति नहीं दे सकता है जो स्वयं विवाद का एक पक्ष है, या जो एक पक्ष द्वारा नियोजित (या इसी तरह निर्भर) है, भले ही पक्षकार इस पर सहमत हों। आयोग ने जल्दबाजी में यह जोड़ा कि विधि आयोग के पूर्व आधिकारिक सदस्य श्री पी. के. मल्होत्रा ने राज्य के लिए एक अपवाद रखने और राज्य पक्षों को कर्मचारी मध्यस्थों की नियुक्ति करने की अनुमति देने का सुझाव दिया। आयोग की राय है कि इस मुद्दे पर राज्य और गैर-राज्य दलों के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है। 997 पार्टी की स्वायत्तता की अवधारणा को बढ़ाया नहीं जा सकता है।

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 998 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

एक ऐसे बिंदु तक जहां यह विवादों के समाधान के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायनिर्णायकों के होने के आधार को नकारता है। वास्तव में, जब एक न्यायनिर्णायक नियुक्त करने वाला पक्ष राज्य होता है, तो एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायनिर्णायक नियुक्त करने का कर्तव्य बहुत अधिक कठिन होता है-और प्राकृतिक न्याय के अधिकार को केवल अनुबंध के समय और विवाद उत्पन्न होने से पहले पक्षों के बीच "पूर्व" समझौते के आधार पर माफ नहीं किया जा सकता है।

58. मध्यस्थों की तटस्थता के इस मौलिक मुद्दे को संबोधित करने के लिए बड़े पैमाने पर संशोधन का सुझाव दिया गया है, जो आयोग का मानना है कि भारत में मध्यस्थता प्रक्रिया के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से अधिनियम की धारा 11, 12 और 14 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

59. आयोग ने मध्यस्थ द्वारा अपनी संभावित नियुक्ति के स्तर पर किसी भी संबंध या किसी भी प्रकार के हित के अस्तित्व के बारे में विनिर्दिष्ट खुलासा करने की आवश्यकता का प्रस्ताव किया है, जिससे उचित संदेह पैदा होने की संभावना है। आयोग ने चौथी अनुसूची को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है, जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में हितों के टकराव पर आई. बी. ए. दिशानिर्देशों की लाल और नारंगी सूचियों से ली गई है, और जिसे यह निर्धारित करने के लिए एक "मार्गदर्शक" के रूप में माना जाएगा कि क्या ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो इस तरह के न्यायोचित संदेह को जन्म देती हैं। दूसरी ओर, अधिनियम की प्रस्तावित धारा 12 (5) और पांचवीं अनुसूची के संदर्भ में, जिसमें आई. बी. ए. दिशानिर्देशों की लाल सूची (उपरोक्त) से श्रेणियां शामिल हैं,

मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए प्रस्तावित व्यक्ति इस तरह से नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा, इसके विपरीत किसी भी पूर्व समझौते के बावजूद। यदि ऐसे अयोग्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाना अपेक्षित है, तो वह धारा 14 के प्रस्तावित स्पष्टीकरण के संदर्भ में अपने कार्यों को करने में असमर्थ समझा जाएगा। इसलिए, जबकि श्रेणियों की एक व्यापक सूची के संबंध में प्रकटीकरण आवश्यक है (जैसा कि चौथी अनुसूची में निर्धारित किया गया है, और आई. बी. ए. दिशानिर्देशों की लाल और नारंगी सूचियों के आधार पर), मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने की अयोग्यता (और इसके परिणामस्वरूप ऐसा करने में न्यायिक अक्षमता) स्थितियों के एक छोटे और अधिक गंभीर उप-समूह (जैसा कि पांचवीं अनुसूची में निर्धारित किया गया है, और आई. बी. ए. दिशानिर्देशों की लाल सूची के आधार पर) से होती है।

60. आयोग, हालांकि, महसूस करता है कि वास्तविक और वास्तविक पार्टी स्वायत्तता का सम्मान किया जाना चाहिए, और कुछ स्थितियों में, पार्टियों को प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची में निर्धारित अयोग्यता की श्रेणियों को भी माफ करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह पारिवारिक मध्यस्थता या अन्य मध्यस्थता की स्थितियों में हो सकता है जहां एक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में वस्तुनिष्ठ "न्यायसंगत संदेह" के अस्तित्व के बावजूद, विवाद के पक्षों के अंधे विश्वास और विश्वास का आदेश देता है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए, आयोग ने धारा 12 (5) के प्रावधान का प्रस्ताव किया है, जहां पक्षकार, अपने बीच उत्पन्न हुए विवादों के बाद, लिखित रूप में एक स्पष्ट समझौते द्वारा प्रस्तावित धारा 12 (5) की प्रयोज्यता को माफ कर सकते हैं। अन्य सभी मामलों में, प्रस्तावित धारा 12 (5) में सामान्य नियम का पालन किया जाना चाहिए। यदि मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में उच्च न्यायालय से संपर्क किया जाता है, तो आयोग ने धारा 12 (1) के संदर्भ में प्रकटीकरण की मांग करने का प्रस्ताव किया है और किस संदर्भ में उच्च न्यायालय या नामित व्यक्ति को मध्यस्थ की नियुक्ति में इस तरह के प्रकटीकरण की सामग्री को "उचित सम्मान" देना है।"

(जोर दिया गया) 90। हालांकि, विधि आयोग ने "मध्यस्थों की तटस्थता" शीर्षक के तहत उपरोक्त पहलू पर चर्चा की, फिर भी चर्चा का ध्यान मध्यस्थों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर था जिसका संबंध किसी एक पक्ष के प्रति या पक्षपात से है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के क्षेत्र में, तटस्थता आमतौर पर मध्यस्थ की राष्ट्रीयता से संबंधित होती है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, "तटस्थता की उपस्थिति" को समान रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसका अर्थ है कि एक मध्यस्थ तटस्थ है यदि उसकी राष्ट्रीयता पक्षों से अलग है। हालांकि, यह वह पहलू नहीं है जिस पर विचार किया जा रहा है और उपयोग किया जाने वाला "तटस्थता" शब्द किसी भी पक्ष के प्रति किसी भी पूर्वाग्रह के बिना मध्यस्थों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता से संबंधित है। वास्तव में, "मध्यस्थों की तटस्थता" शब्द का उपयोग आमतौर पर इसमें किया जाता है।

संदर्भ भी। (देखिए: वायस्टाल्पाइन शियेनन जी. एम. बी. एच. (ऊपर))

91. विधि आयोग की पूर्व उद्धृत सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, जिसके साथ धारा 12 को संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया है, यह स्पष्ट है कि प्रावधान में संशोधन का

मुख्य उद्देश्य मध्यस्थों की तटस्थता का प्रावधान करना था। इसे प्राप्त करने के लिए, धारा 12 की उप-धारा (5) में कहा गया है कि किसी भी पूर्ववर्ती 999 के बावजूद

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1000 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

इसके विपरीत, कोई भी व्यक्ति जिसका पक्षकारों या वकील या विवाद के विषय के साथ संबंध सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आता है, वह मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा। ऐसी स्थिति में जब मध्यस्थता खंड ऊपर निकाले गए संशोधित प्रावधानों के साथ खिलवाड़ करता है, तो मध्यस्थ की नियुक्ति मध्यस्थता समझौते के दायरे से बाहर होगी, जिससे अदालत को ऐसे मध्यस्थ (ओं) की नियुक्ति करने का अधिकार होगा जो अनुमेय हो। यह धारा 12 की उप-धारा (5) में निहित अबाधित खंड का प्रभाव होगा और दूसरा पक्ष मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में मध्यस्थ की नियुक्ति पर जोर नहीं दे सकता है। (देखिए: वायस्टाल्पाइन शियेनन जी. एम. बी. एच. (ऊपर)) 92. धारा 12 के संशोधन से पहले भी इस न्यायालय के बहुत सारे निर्णय हैं, जहां अदालतों ने मध्यस्थों की नियुक्ति की है, कुछ आकस्मिकताओं और स्थितियों में सहमत मध्यस्थता खंड को मंजूरी देते हुए, अधिनियम की असंशोधित धारा 11 (8) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि मध्यस्थ, मुख्य न्यायाधीश, या उसके द्वारा नामित व्यक्ति या संस्था की नियुक्ति करते समय, अन्य शर्तों को ध्यान में रखना होगा जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति को सुरक्षित करने की संभावना है। दातार स्विचगियर्स लिमिटेड बनाम देखें। टाटा फाइनेंस लिमिटेड ने (2000) 8 एस. सी. सी. 151, पुंज लॉयड लिमिटेड बनाम. पेट्रोनेट

एम. एच. बी. लिमिटेड (2006) 2 एस. सी. सी. 638, भारत संघ बनाम भारत बैटरी

एम. एफ. जी. कं. (पी) लिमिटेड ने (2007) 7 एस. सी. सी. 684, डीप ट्रेडिंग कं. बनाम. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन। (2013) 4 एस. सी. सी. 35 में रिपोर्ट की गई, भारत संघ बनाम सिंह बिल्डर्स सिंडिकेट (2009) 4 एस. सी. सी. 523 और पूर्वोत्तर में रिपोर्ट की गई।

रेलवे बनाम ट्रिपल इंग। (2014) 9 एस. सी. सी. 288 में रिपोर्ट किए गए कार्य।

93. उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय संघ में

भारत सरकार और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य पुल निगम

लिमिटेड ने (2015) 2 एस. सी. सी. 52 में निम्नलिखित तरीके से स्थिति का सारांश दिया:

“13. इसमें कोई संदेह नहीं है कि आम तौर पर यही स्थिति होगी। हालांकि, सवाल यह है कि क्या अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन पर विचार करते समय सभी मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह की कार्रवाई को अनिवार्य रूप से अपनाया जाना चाहिए या क्या जोड़ों में खेलने की गुंजाइश है और उच्च न्यायालय को कुछ परिस्थितियों में विवेक का प्रयोग करने से

वंचित नहीं किया जाता है?यदि हाँ, तो वे परिस्थितियाँ क्या हैं?यह वही पहलू है जिस पर इस न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचार किया गया था।

ट्रिप्ल इंग में।कार्य [उत्तर पूर्वी रेलवे बनाम ट्रिपले इंग।वर्क्स, (2014) 9 एस. सी. सी. 288: (2014) 5 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 30]विभिन्न निर्णयों पर ध्यान देते हुए, न्यायालय ने बताया कि यह धारणा कि उच्च न्यायालय पक्षों के बीच अनुबंध के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति करने के लिए बाध्य था, हाल के दिनों में एक महत्वपूर्ण क्षरण नहीं देखा गया है।उक्त निर्णय के पैरा 6 और 7 में, उन निर्णयों पर ध्यान दिया गया है जिनमें उपरोक्त "शास्त्रीय धारणा" से विचलन किया गया है।अतः उक्त अनुच्छेद को नीचे दिए गए पैरा 8 और 9 के साथ पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी होगा:(एस. सी. सी. पीपी. 291-93)

“6. यह 'शास्त्रीय धारणा' कि उच्च न्यायालय को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए (इसके बाद संक्षेप में 'अधिनियम') पक्षों के बीच अनुबंध के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति करनी चाहिए, एसीई पाइपलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स (पी) लिमिटेड बनाम.भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन।लिमिटेड [(2007) 5 एस. सी. सी. 304], जिसमें इस न्यायालय ने यह विचार लिया था कि हालांकि पक्षों के बीच अनुबंध का पालन किया जाना चाहिए, असाधारण परिस्थितियों में उससे विचलन की अनुमति होगी।इसके तुरंत बाद भारत संघ बनाम भारत बैटरी एम. एफ. जी. में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। कं. (पी) लिमिटेड [(2007) 7 एस. सी. सी. 684] जिसमें पुंज लॉयड लिमिटेड बनाम में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के बाद।पेट्रोनेट एम. एच. बी. लिमिटेड [(2006) 2 एस. सी. सी. 638], यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक बार जब कोई पीड़ित पक्ष अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत उच्च न्यायालय में आवेदन करता है, तो विरोधी पक्ष अनुबंध की शर्तों के अनुसार मध्यस्थ (ओं) की नियुक्ति का अपना अधिकार खो देगा।यह निहितार्थ कि न्यायालय अनुबंध की शर्तों से विचलित होने के लिए स्वतंत्र होगा, स्पष्ट है।

7. एसीई पाइपलाइन [(2007) 5 एससीसी 304] और भारत बैटरी एम. एफ. जी. में स्पष्ट द्विभाजन। कं. (पी) लिमिटेड [(2007) 7 एस. सी. सी. 684] का उत्तर रेलवे प्रशासन में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा मिलान किया गया था।, रेल मंत्रालय बनाम पटेल एंग।कंपनी लिमिटेड [(2008) 10 एस. सी. सी. 240], जिसमें अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता पर धारा 11 1001 की उप-धारा (6) में दिखाई देने वाली 'आवश्यक उपाय करने' की अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए जोर देने की मांग की गई थी।

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनामउत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1002 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

और आगे यह निर्धारित करते हुए कि उक्त अभिव्यक्ति को अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (8) की आवश्यकता के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन में स्थिति को और स्पष्ट किया गया था। लिमिटेड वी. राजा ट्रांसपोर्ट (पी) लिमिटेड [(2009) 8 एस. सी. सी. 520:(2009) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 460] रिपोर्ट के पैरा 48, जिसमें अधिनियम की धारा 11 के दायरे का सारांश दिया गया था, को नीचे उप-पैरा (vi) और (vii) को पुनः प्रस्तुत करके उद्धृत किया जा सकता है: (इंडियन ऑयल मामला [(2009) 8 एससीसी 520:(2009) 3 एस. सी. सी. (सिविल) 460], एस. सी. सी. पी. 537)

‘48. ((vi) मुख्य न्यायाधीश या उसका नामित सदस्य धारा 11 की उप-धारा (6) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए मध्यस्थता खंड में निर्धारित नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का प्रयास करेगा।

(vii) यदि परिस्थितियाँ मौजूद हैं, जो नामित व्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह को जन्म देती हैं, या यदि अन्य परिस्थितियाँ निर्धारित प्रक्रिया की अनदेखी करके एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति की गारंटी देती हैं, तो मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित व्यक्ति, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, नामित मध्यस्थ की अनदेखी कर सकता है और किसी और को नियुक्त कर सकता है।”

8. उपरोक्त चर्चा भारत संघ बनाम सिंह बिल्डर्स सिंडिकेट [(2009) 4 एस. सी. सी. 523 में व्यक्त इस न्यायालय के दृष्टिकोण के संदर्भ के बिना पूरी नहीं होगी: (2009) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 246], जिसमें विशिष्ट अधिकारियों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले समझौते के विपरीत एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति को इस आधार पर वैध माना गया था कि मध्यस्थता की कार्यवाही एक दशक से अधिक समय से प्रक्रिया का मजाक बनाते हुए समाप्त नहीं हुई थी। वास्तव में, सिंह बिल्डर्स सिंडिकेट [(2009) 4 एस. सी. सी. 523 में रिपोर्ट के पैरा 25 में: (2009) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 246] इस न्यायालय ने सुझाव दिया था कि सरकार, वैधानिक प्राधिकरणों और सरकारी कंपनियों को सेवारत अधिकारियों की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता खंडों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर विचार करना चाहिए और मध्यस्थता में व्यावसायिकता को प्रोत्साहित करना चाहिए।

9. डीप ट्रेडिंग कं. वी. में देर से एक घोषणा। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन। [(2013) 4 एससीसी 35:(2013) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 449] ने पुंज लॉयड लिमिटेड में निर्धारित कानूनी स्थिति का पालन किया।

लिमिटेड वी. पेट्रोनेट एम. एच. बी. लिमिटेड, (2006) 2 एस. सी. सी. 638] जिसने बदले में दातार स्विचगियर्स लिमिटेड बनाम में दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का पालन किया था। टाटा फाइनेंस लिमिटेड [(2000) 8 एस. सी. सी. 151]। अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत कार्यवाही शुरू होने के बाद अपने मध्यस्थ की नियुक्ति के समझौते के तहत किसी पक्ष के अधिकारों को जब्त करने का सिद्धांत डीप ट्रेडिंग कंपनी [(2013) 4 एस. सी. सी. 35 में

और भी अधिक औपचारिक रूप से अंतर्निहित हो गया:(2013) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 449] धारा 11 (8) के प्रावधानों के अधीन, जो किसी भी स्थिति में उत्तर रेलवे प्रशासन में आयोजित किए गए थे। [(2008) 10 एस. सी. सी. 240] अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि केवल अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के समय इसे ध्यान में रखने की आवश्यकता को मूर्त रूप देगा। मध्यस्थता कार्यवाही के त्वरित समापन पर शायद ही जोर देने की आवश्यकता है। यह ध्यान देने योग्य होगा कि इंग्लैंड में भी, यू. ए. मॉडल लॉ की तर्ज पर आधुनिक मध्यस्थता कानून, उसी वर्ष लागू किया गया था जब भारतीय कानून जिसे अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के रूप में जाना जाता है और यह 31-1-1997 से प्रभावी हो गया था। इसे अंग्रेजी मध्यस्थता कानून के सबसे व्यापक वैधानिक सुधार के रूप में माना जाता है। इस अधिनियम की संरचना पर टिप्पणी करते हुए, मस्टिल और बॉयड ने अपने वाणिज्यिक मध्यस्थता, 2001 के दूसरे संस्करण के सहयोगी खंड में टिप्पणी की है कि यह अधिनियम चार स्तंभों पर आधारित है। इन स्तंभों का वर्णन इस प्रकार किया गया है:

(क) पहला स्तंभ: तीन सामान्य सिद्धांत।

(ख) दूसरा स्तंभ: न्यायाधिकरण का सामान्य कर्तव्य। (ग) तीसरा स्तंभ: पक्षों का सामान्य कर्तव्य।

((घ) चौथा स्तंभ: अनिवार्य और अर्ध-अनिवार्य प्रावधान। जहाँ तक प्रथम स्तंभ का संबंध है, इसमें तीन सामान्य सिद्धांत हैं जिन पर उक्त अधिनियम की पूरी इमारत की संरचना की गई है। इन सिद्धांतों का उल्लेख एक अंग्रेजी न्यायालय द्वारा विभाग में अपने फैसले में किया गया है। मॉस्को शहर के अर्थशास्त्र, नीति और विकास बनाम बैंकर्स ट्रस्ट कं. [2005 क्यूबी 207: (2004) 3 डब्ल्यूएलआर 533: (2004) 4 सभी ईआर 746: 2004 ईडब्ल्यूसीए सीवी 314]। उस मामले में, मैन्स, एल. जे.

1003

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1004 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

इस अधिनियम के उद्देश्य को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है: (क्यू. बी. पी. 228, पैरा 31)

“31. ... संसद ने मध्यस्थता अधिनियम, 1996 में, जनता के हित में और बुनियादी निष्पक्षता के लिए जहां आवश्यक हो, केवल अदालत की भागीदारी की सीमित संभावनाओं के साथ, सहमति से विवाद समाधान की एक सुधार और अधिक स्वतंत्र, साथ ही निजी और विश्वसनीय प्रणाली को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए निर्धारित किया है।”

अधिनियम की धारा 1 मध्यस्थता कानून के तीन मुख्य सिद्धांतों को निर्धारित करती है। (i) एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा त्वरित, सस्ती और निष्पक्ष सुनवाई; (ii) पक्ष की स्वायत्तता; और (iii) न्यूनतम अदालत का हस्तक्षेप। इस प्रावधान को उद्देश्यपूर्ण रूप से लागू किया जाना

चाहिए। इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अर्थ के बारे में संदेह के मामले में, इन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

15. ओ. पी. मल्होत्रा ऑन द लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन (सुश्री इंदु मल्होत्रा द्वारा संशोधित तीसरी संस्करण) पुस्तक में यह सही पाया गया है कि भारतीय मध्यस्थता अधिनियम भी उपरोक्त चार मूलभूत स्तंभों पर आधारित है।

16. प्रथम स्तंभ का पहला और सर्वोपरि सिद्धांत "एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निष्पक्ष, त्वरित और सस्ती सुनवाई" है। अनावश्यक देरी या खर्च मध्यस्थता के उद्देश्य को ही विफल कर देगा। दिलचस्प बात यह है कि दूसरा सिद्धांत जिसे अधिनियम में मान्यता दी गई है, वह है प्रक्रिया के चयन में पार्टी की स्वायत्तता। इसका मतलब है कि यदि मध्यस्थता समझौते में एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिस पर पक्षकार सहमत हुए हैं, तो आम तौर पर इसका सहारा लेना पड़ता है। यही कारण है कि, एक सामान्य प्रथा के रूप में, अदालत पक्षों को उस प्रक्रिया का पालन करने के लिए जोर देगी जिस पर वे सहमत हुए हैं। यह विकल्प मध्यस्थ की नियुक्ति करते समय भी लागू होगा और सामान्य नियम यह है कि विकल्प मध्यस्थ की ऐसी नियुक्ति भी प्रारंभिक चरण में मध्यस्थ की नियुक्ति पर लागू मूल समझौते के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए। [यशविथ कंस्ट्रक्शंस (पी) लिमिटेड बनाम देखें। सिम्प्लेक्स कंक्रीट पाइल्स इंडिया लिमिटेड [(2006) 6 एससीसी 204]। हालांकि, प्रक्रिया के चयन में पार्टी की स्वायत्तता के इस सिद्धांत को उन मामलों से अलग कर दिया गया है जहां एक पक्ष ने कार्रवाई नहीं करके चूक की है।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार। ऐसे कई उदाहरण जहां यह कार्रवाई की जाती है और जब व्यक्ति नामित व्यक्ति कार्रवाई करने में विफल रहता है तो न्यायालय मध्यस्थ की नियुक्ति करता है, ट्रिपल एंग के पैरा 6 और 7 में ध्यान दिया जाता है। कार्य [उत्तर पूर्वी रेलवे बनाम ट्रिपल एंग। वर्क्स, (2014) 9 एस. सी. सी. 288; (2014) 5 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 30] हम इस तथ्य से अवगत हैं कि ये ऐसे मामले थे जहां न्यायालय द्वारा "चूक प्रक्रिया" के कारण धारा 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति की गई थी। हम, वर्तमान मामले में, वैकल्पिक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन से चिंतित हैं जहां पहले मध्यस्थ न्यायाधिकरण प्रदर्शन करने में विफल रहा है। हालांकि, इस न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में चूक प्रक्रिया के उपरोक्त सिद्धांत को बढ़ाया गया है और साथ ही सिंह बिल्डर्स सिंडिकेट [भारत संघ बनाम सिंह बिल्डर्स सिंडिकेट, (2009) 4 एस. सी. सी. 523 के फैसले से स्पष्ट है: (2009) 2 एस. सी. सी. (सी. वी.) 246]।

17. सरकारी निगमों/राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों के बीच निजी दलों/ठेकेदारों के साथ अनुबंधों के मामले में, समझौते की शर्तें आमतौर पर सरकारी कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा तैयार की जाती हैं। सरकारी अनुबंधों में मोटे तौर पर दो प्रकार के मध्यस्थता खंड होते हैं, पहला जहां एक नामित अधिकारी को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करना होता है; और दूसरा, जहां एक प्रबंध निदेशक की तरह एक वरिष्ठ अधिकारी, एकमात्र मध्यस्थ के रूप में

कार्य करने के लिए एक नामित अधिकारी को नामित करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे खंड जो सरकार को मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन करने के लिए एक प्रमुख स्थिति प्रदान करते हैं, वैध माने जाते हैं। साथ ही, यह नामित व्यक्ति पर एक कठिन और जिम्मेदार कर्तव्य भी डालता है कि वह ऐसे व्यक्तियों/अधिकारियों को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करे जो न केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करने में सक्षम हैं, बल्कि मध्यस्थता के संचालन में पर्याप्त समय देने की स्थिति में हैं। यदि सरकार ने उन अधिकारियों को मध्यस्थ के रूप में नामित किया है जो मध्यस्थता कार्यवाही के लिए समय देने में सक्षम नहीं हैं या बार-बार स्थानांतरण आदि के कारण मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो कम से कम उन मामलों में जहां सरकार ने मध्यस्थों की नियुक्ति की भूमिका अपने लिए ग्रहण कर ली है, "डिफॉल्ट प्रक्रिया" का सिद्धांत वैकल्पिक मध्यस्थों के मामले में भी लागू किया जाना चाहिए और न्यायालय पक्षकारों के बीच सहमत प्रक्रिया को अलग रखते हुए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कदम उठाएगा। हालाँकि, यह किसी विशेष मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा कि क्या ऐसा कोई पाठ्यक्रम 1005 है।

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1006 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं। हम जिस बात पर जोर देते हैं वह यह है कि न्यायालय इस संबंध में शक्तिहीन नहीं है।”

(जोर दिया गया) 94। मध्यस्थ की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के संदर्भ में, विशेष रूप से अधिनियम 1996 की संशोधित धारा 12 को ध्यान में रखते हुए, हमें इस न्यायालय द्वारा निर्णय के पैरा 20 से 25 में की गई टिप्पणियों का उल्लेख करना चाहिए और उन पर भरोसा करना चाहिए।

“20. मध्यस्थ की स्वतंत्रता और निष्पक्षता किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही की पहचान है। पक्षपात के खिलाफ शासन प्राकृतिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों में से एक है जो सभी न्यायिक और अर्ध-न्यायिक कार्यवाही पर लागू होता है। यह इस कारण से है कि इस तथ्य के बावजूद कि मध्यस्थता के पक्षों और मध्यस्थों के बीच संबंध स्वयं संविदात्मक प्रकृति के हैं और मध्यस्थ की नियुक्ति का स्रोत पक्षों के बीच किए गए समझौते से निकाला जाता है, इसके बावजूद कि ऐसे मध्यस्थ की समान गैर-स्वतंत्रता और गैर-पक्षपात (हालांकि संविदात्मक रूप से सहमत) उसे मध्यस्थता का संचालन करने के लिए अयोग्य बना देगा। इस तर्क के पीछे की उत्पत्ति यह है कि जब एक मध्यस्थ को अनुबंध के संदर्भ में और अनुबंध के पक्षों द्वारा नियुक्त किया जाता है, तब भी वह पक्षों से स्वतंत्र होता है। कार्यों और कर्तव्यों के लिए उसे पक्षों के पक्षपातपूर्ण हित से ऊपर उठने की आवश्यकता होती है और किसी भी पक्ष के विशेष हित में कार्य करने या आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। आखिरकार, मध्यस्थ को न्यायनिर्णायक की भूमिका निभानी होती है और इसलिए, उसे पक्षों से स्वतंत्र होने के साथ-साथ निष्पक्ष भी होना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम सुप्रीम कोर्ट ने हाशवानी बनाम जीवराज [(2011) 1 डब्ल्यू. एल. आर. 1872 में इस पहलू को खूबसूरती से उजागर किया है: 2011 यूकेएससी 40] निम्नलिखित शब्दों में: (डब्ल्यू. एल. आर. पी. 1889, पैरा 45)

“45. ... मध्यस्थ या मध्यस्थ नियुक्त करने का प्रमुख उद्देश्य समझौते की शर्तों के अनुसार पक्षों के बीच विवाद का निष्पक्ष समाधान है और हालांकि पक्षों और मध्यस्थों के बीच अनुबंध व्यक्तिगत सेवाओं के प्रावधान के लिए एक अनुबंध होगा, वे पक्षों के निर्देश के तहत व्यक्तिगत सेवाएं नहीं थीं।” 21. इसी तरह, फ्रांस के कौर डी कैसेशन ने 1972 में कॉन्सॉर्ट्स यूरी [फौचार्ड, गेलार्ड, गोल्डमैन ऑन इंटरनेशनल में दिए गए एक फैसले में कहा।

वाणिज्यिक मध्यस्थता 562 (इमैनुएल गेलार्ड और जॉन सैवेज संस्करण, 1999) {कोर डी कैसेशन [कैस] का हवाला देते हुए। [न्यायिक मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय] कंसोर्ट्स यूरी बनाम एस. ए. डेस गैलेरीज लाफायेट, कैस। 2 ई. सिविल, 13-4-1972, जे. सी. पी. पं. II, सं. 17189 (1972) (फ्रांस)}], यह रेखांकित किया गया कि: “न्यायिक शक्ति के प्रयोग में एक स्वतंत्र मन अपरिहार्य है, चाहे उस शक्ति का स्रोत कुछ भी हो, और यह एक मध्यस्थ के आवश्यक गुणों में से एक है।”

22. स्वतंत्रता और निष्पक्षता दो अलग-अलग अवधारणाएँ हैं। एक मध्यस्थ स्वतंत्र हो सकता है और फिर भी, निष्पक्षता की कमी हो सकती है, या इसके विपरीत। निष्पक्षता, जैसा कि अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है, स्वतंत्रता की तुलना में एक अधिक व्यक्तिपरक अवधारणा है। स्वतंत्रता, जो अधिक एक वस्तुनिष्ठ अवधारणा है, इस प्रकार, मध्यस्थ द्वारा प्रकट की गई परिस्थितियों के आलोक में मध्यस्थता कार्यवाही की शुरुआत में पक्षों द्वारा अधिक सीधे तौर पर निर्धारित किया जा सकता है, जबकि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पक्षपात सामने आने की अधिक संभावना है।

23. इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सातवीं अनुसूची आई. बी. ए. के दिशानिर्देशों पर आधारित है जिन्हें स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय आधारित प्रथाओं का प्रतिनिधित्व माना जाता है और ये कानूनों, मामले के कानून और अधिकार क्षेत्र पर एक क्रॉस-सेक्शन से न्यायिक राय पर आधारित हैं। दिशानिर्देशों में ही इसका उल्लेख किया गया है।

24. उपरोक्त मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, हम इस मामले के तथ्यों का विज्ञापन करते हैं। सातवीं अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न आकस्मिकताएँ एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य बनाती हैं। प्रविष्टि 1 को याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उजागर किया गया है जो यह प्रदान करता है कि जहां मध्यस्थ एक कर्मचारी, सलाहकार, सलाहकार है या पक्ष के साथ कोई अन्य पूर्व या वर्तमान व्यावसायिक संबंध है, वह मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने जो तर्क दिया वह यह था कि प्रतिवादी द्वारा तैयार मध्यस्थों के पैनल में वे व्यक्ति शामिल होते हैं जो सरकारी कर्मचारी या पूर्व सरकारी कर्मचारी होते हैं। हालांकि, यह अपने आप में ऐसे व्यक्तियों को अयोग्य नहीं बना सकता है क्योंकि पैनल इंगित करता है कि ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने केंद्र सरकार या केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के तहत रेलवे में काम किया है। उन्हें प्रतिवादी डी. एम. आर. सी. का कर्मचारी या सलाहकार या सलाहकार नहीं माना जा सकता है। यदि याचिकाकर्ता का यह तर्क स्वीकार कर लिया जाता है, तो 1007

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1008

कोई भी व्यक्ति जिसने पहले केंद्र सरकार या अन्य स्वायत्त या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ किसी भी क्षमता में काम किया था, वह मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का पात्र नहीं होगा, भले ही वह इस मामले में डी. एम. आर. सी. की तरह विचाराधीन पक्ष के साथ दूर से भी जुड़ा न हो। संशोधित प्रावधान एक व्यक्ति पर मध्यस्थ के रूप में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है, जो विवाद में पक्ष का कर्मचारी है। यह किसी व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने से भी वंचित करता है यदि वह सलाहकार या सलाहकार रहा है या डी. एम. आर. सी. के साथ उसका कोई पूर्व या वर्तमान व्यावसायिक संबंध रहा है। याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कोई मामला नहीं बनाया गया है।

25. धारा 12 को मध्यस्थों की तटस्थता अर्थात् उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को प्रेरित करने के उद्देश्य से संशोधित किया गया है। संशोधित प्रावधान उन "परिस्थितियों" की पहचान करने के लिए अधिनियमित किया गया है जो मध्यस्थ की स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में "न्यायसंगत संदेह" को जन्म देती हैं। यदि उनमें उल्लिखित परिस्थितियों में से कोई भी मौजूद है, तो यह पक्षपात की न्यायोचित आशंका को जन्म देगा। अधिनियम की पाँचवीं अनुसूची उन आधारों की गणना करती है जो इस प्रकृति के न्यायोचित संदेह को जन्म दे सकते हैं। इसी तरह, सातवीं अनुसूची उन परिस्थितियों का उल्लेख करती है जो धारा 12 की उप-धारा (5) के प्रावधानों को आकर्षित करेंगी और इसके विपरीत किसी भी पूर्व समझौते को रद्द कर देंगी। इस मामले के संदर्भ में, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि केवल तभी जब कोई मध्यस्थ एक कर्मचारी, सलाहकार, सलाहकार है या किसी पक्ष के साथ कोई पूर्व या वर्तमान व्यावसायिक संबंध रखता है, तो वह मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य हो जाता है। इसी तरह, उस व्यक्ति को मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए अक्षम माना जाता है, जो एक प्रबंधक, निदेशक या प्रबंधन का हिस्सा है या पक्षकारों में से किसी एक के संबंध में एकल नियंत्रण प्रवाह है यदि मध्यस्थता में विवाद के मामलों में संबंध सीधे शामिल है। इसी तरह, वे व्यक्ति जो नियमित रूप से नियुक्त करने वाले पक्ष या नियुक्त करने वाले पक्ष को सलाह देते हैं, वे अक्षम होते हैं। अनुसूची 5 और अनुसूची 7 में एक व्यापक सूची दी गई है और यह स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी द्वारा सूचीबद्ध व्यक्ति उक्त सूची में से किसी भी मद में शामिल नहीं हैं।"

(जोर दिया गया)

इस विषय पर कुछ विदेशी अदालत के न्यायाधीश

95. हमने मध्यस्थता समझौते में अनुचित पूर्व शर्त के मुद्दे पर एक बहुत ही स्पष्ट और विवेकपूर्ण निर्णय पर भी ध्यान दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उबर के मामले में कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा

प्रौद्योगिकी बनाम हेलर (ऊपर)।

96. उपरोक्त मामले में, श्री हेलर (चालक) को उबर के मानक फॉर्म सेवा समझौते की शर्तों को स्वीकार करने की आवश्यकता थी, जिसमें कहा गया था कि उबर के साथ मध्यस्थता या मध्यस्थता के माध्यम से किसी भी विवाद को हल करने के लिए, दावेदार को 14,500 अमेरिकी डॉलर का अग्रिम प्रशासनिक और शुल्क देना होगा। 97. कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त पूर्व शर्त को 8 के बहुमत से असहनीय और अप्रवर्तनीय करार दिया: 1. अधिकांश लोग एबेला और रो जे. जे. के माध्यम से बोलते हुए, असहनीयता के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए नीचे दिए गए हैं:

"53. हम श्री हेलर से सहमत हैं कि मध्यस्थता समझौता अनुचित है। पार्टियों और हस्तक्षेपकर्ताओं ने टीईएलयूएस कम्युनिकेशंस इंक. बनाम में इस अदालत के निर्देश के अनुसार अपनी प्रस्तुतियों को असंवेदनशीलता पर केंद्रित किया। वेलमैन, [2019] 2 एससीआर 144, पैरा 85, कि "मानक रूप अनुबंधों में निहित मध्यस्थता खंडों के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप किसी भी संभावित अन्याय पर तर्कों को असंगतता के सिद्धांत के माध्यम से सीधे तौर पर बेहतर तरीके से निपटाया जाता है।"

54. असहनीयता एक न्यायसंगत सिद्धांत है जिसका उपयोग "सौदेबाजी की शक्ति की असमानता के परिणामस्वरूप हुए अनुचित समझौतों" (जॉन डी. मैककेमस, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स (दूसरा संस्करण) को अलग करने के लिए किया जाता है। 2012), पी। 424). प्रारंभ में युवा उत्तराधिकारियों और "गरीब और अज्ञानी" को एकतरफा समझौतों से बचाने के लिए लागू किया गया था, सौदेबाजी की शक्ति और आशुरचना की असमानता के संयोजन के साथ किसी भी अनुबंध को कवर करने के लिए असंवेदनशीलता विकसित हुई (मिशेल मैकिन्स, द कैनेडियन लॉ ऑफ अनजेस्ट एनरिचमेंट एंड रेस्ट्रिक्शंस (2014), पी। 521; पी. 520-24 भी देखें; ब्रैडली ई. क्रॉफर्ड, "बहाली-असहनीय लेनदेन-पार्टियों के बीच असमानता का अनुचित लाभ" (1966) 44 कैन। बार रेव. 142, पी. 143). इस विकास को "आधुनिक अनुबंध कानून की संकेत उपलब्धियों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है, जो संविदात्मक निष्पक्षता के सैद्धांतिक उपचार में पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करता है" (पीटर बेन्सन, जस्टिस इन ट्रांजैक्शंस: अनुबंध कानून का एक सिद्धांत (2019), पी. 165; एंजेला स्वान, जैकब एडम्स्की और एनी वाई. ना, कनाडाई अनुबंध कानून (चौथा संस्करण) भी देखें। 2018), पी. 925).

55. कनाडाई अनुबंध कानून में असहनीयता को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, लेकिन कुछ प्रश्न सिद्धांत की सामग्री के बारे में बने हुए हैं, और इसे निचली अदालतों द्वारा असंगत रूप से लागू किया गया है (देखें, दूसरों के बीच, मॉरिसन बनाम कोस्ट फाइनेंस लिमिटेड, (1965) 55 डीएलआर 710 (2 डी) (B.C.C.A); हैरी बनाम क्रेटज़ीगर, (1978) 9 B.C.L.R. 166 (सी. ए.), पी.177, लैम्बर्ट जे. ए. के अनुसार; डाउनर बनाम पिचर, 2017 एन. एल. सी. ए 13:409 डीएलआर 542 (चौथा), पैरा पर।20; निवेश पूंजी निगम।बनाम गुस्ताफसन, 2019 एसकेसीए 78:438 डी. एल. आर. 387 (चौथा); कैन बनाम क्लेरिका जीवन बीमा कंपनी, 2005 ए. बी. सी. ए. 437:263 डीएलआर 368 (चौथा); टाइटस बनाम विलियम एफ. कुक एंटरप्राइजेज इंक., 2007 ओएनसीए 573:284 डी. एल. आर. 734 (चौथा); बिर्च बनाम कराधान कर्मचारियों का संघ, स्थानीय 70030, 2008 ओ. एन. सी. ए. 809:305 डी. एल. आर. 64 (चौथा); पी. पर हंस, एडम्स्की और ना भी देखें।982; मैकिन्स, पीपी. 518-19) पर।इन प्रश्नों के लिए अंतर्निहित संविदात्मक सिद्धांत (रिक बिगवुड, "एंटीपोडियन रिफ्लेक्स ऑन द कैनेडियन अनकंसियोनेबिलिटी डॉक्ट्रिन" (2005) 84 कैन) की जांच करने की आवश्यकता है। बार रेव. 171, पी.173).

56. अनुबंध की स्वतंत्रता में अंतर्निहित क्लासिक प्रतिमान "स्वायत्त और स्व-इच्छुक पक्षों" के बीच "स्वतंत्र रूप से बातचीत की गई सौदेबाजी या आदान-प्रदान" है (मैककैमस, पी।24; हंस, एडम्स्की और ना को भी देखें। पी. एस. अतियाह, अनुबंध पर निबंध (1986), पी.140). इस सिद्धांत के केंद्र में यह विश्वास है कि अनुबंध करने वाले पक्ष सौदेबाजी की प्रक्रिया में अपने हितों का न्याय करने और उनकी रक्षा करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में हैं (अतियाह, पीपी पर। बिगवुड, पीपी पर। 199-200; एलन ब्रूडनर, "अनुबंधों का पुनर्निर्माण" (1993) 43 U.T.L.J. 1, पृष्ठ 2-3 पर)। यह अनुबंध करने वाले पक्षों के बीच समानता को भी मानता है और यह कि "अनुबंध पर बातचीत की जाती है, स्वतंत्र रूप से सहमति होती है, और इसलिए निष्पक्ष होता है" (मिंडी चेन-विशार्ट, अनुबंध कानून (6 वां संस्करण)। 2018), पी।12)

(मूल में जोर)। 57. ऐसे मामलों में जहां ये धारणाएं वास्तविकता के साथ मेल खाती हैं, अनुबंधों को लागू करने के लिए तर्क अपना सबसे बड़ा महत्व रखते हैं (मेल्विन एरॉन आइजेनबर्ग, "द बार्गेन प्रिंसिपल एंड इट्स लिमिट्स" (1982) 95 हार्व।एल. रेव. 741, पीपी. 746-48 पर)। लेकिन ये तर्क "संदर्भ के आधार पर कम या ज्यादा जोर से बोल सकते हैं" (वेलमैन, पैरा में।53; बी. जे. रेड्टर को भी देखें, "असंवेदनशीलता: क्या कोई विकल्प है? प्रोफेसर हैसन को एक जवाब" (1980) 4 कैन। बस। एल. जे. 403, पीपी. 405-6 पर)। जैसा कि प्रोफेसर अतियाह ने नोट किया है:

यह प्रस्ताव कि एक व्यक्ति हमेशा अपने हितों का सबसे अच्छा न्यायाधीश होता है, कानूनों और संस्थागत व्यवस्थाओं के लिए एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु है, लेकिन एक अचूक अनुभवजन्य प्रस्ताव के रूप में यह मानव अनुभव के लिए एक अपमान है। समानान्तर नैतिक तर्क, कि किसी व्यक्ति को, यहां तक कि अपने स्वयं के हितों में भी, खुद को बांधने से रोकना उसकी नैतिक

स्वायत्तता के प्रति अनादर दिखाना है, बहुत खोखला हो सकता है जब कम समझ या सौदेबाजी कौशल वाले व्यक्ति की कीमत पर सुरक्षित किए गए घोर अनुचित अनुबंध का बचाव करने के लिए उपयोग किया जाता है।

[जोर दिया गया;पी. 148]58. न्यायालयों को कभी भी अनुबंध सिद्धांत की आदर्श धारणाओं को "अचूक अनुभवजन्य प्रस्तावों" के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं रही है। न्यायसंगत सिद्धांतों ने लंबे समय से न्यायाधीशों को "विशेष परिस्थितियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का जवाब देने" की अनुमति दी है। कानून का मानवीयकरण और प्रासंगिककरण अन्यथा एंटीसेप्टिक प्रकृति है "(लियोनार्ड आई. रोटमैन, "कानून और समानता का संलयन?: ए कैनेडियन पर्सपेक्टिव ऑन द सबस्टैंटिव, ज्यूरिस्ट्रिक्शनल, या नॉन-फ्यूजन ऑफ लीगल एंड इक्विटेबल मैटर्स" (2016) 2 C.J.C.C.L. 497, pp. 503-4)। नतीजतन, अदालतें अनुबंध प्रक्रिया में गंभीर समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करती हैं जो अनुबंध के सामान्य कानून के पारंपरिक प्रतिमानों को चुनौती देती हैं, जैसे कि अनुबंध करने वाले पक्षों की अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता में विश्वास। संज्ञानात्मक हानि वाला बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने मूल्य के एक अंश के लिए संपत्ति बेचता है (आयरेस बनाम हेज़लग्रोव, क्यू. बी. इंग्लैंड, 9 फरवरी, 1984); समुद्र में फंसा जहाज का कप्तान जो बचाव के लिए जबरन कीमत चुकाता है (द मार्क लेन, [एल. आर.] 15 पी. डी. 135); कमजोर दंपति जो इसकी शर्तों या वित्तीय प्रभावों की कोई समझ के बिना एक आकस्मिक बंधक पर हस्ताक्षर करता है (कमर्शियल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया लिमिटेड बनाम अमाडियो, [1983] एच. सी. ए. 14:151 सी. एल. आर. 447)-ये और इसी तरह के परिदृश्य उन परिचालन धारणाओं के साथ बहुत कम समानता रखते हैं जिन पर क्लासिक अनुबंध मॉडल का निर्माण किया गया है। 59. इस प्रकार की परिस्थितियों में, जहां अनुबंध प्रवर्तन में अंतर्निहित पारंपरिक धारणाएं अपना न्यायसंगत अधिकार खो देती हैं, असंवेदनशीलता का सिद्धांत आकस्मिक अनुबंधों से राहत प्रदान करता है। जब अनुचित सौदेबाजी को निष्पक्ष सौदेबाजी से नहीं जोड़ा जा सकता है-जब उन्हें एक पक्ष के "दान करने के इरादे या अनुमानित जोखिम" के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, जैसा कि प्रोफेसर बेन्सन कहते हैं-अदालतें 1011 से बच सकती हैं।

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1012 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

अनुबंध की स्वतंत्रता जिन मूल मूल्यों पर आधारित है, उन्हें खतरे में डाले बिना प्रवर्तन के असमान प्रभाव (पी। 182; आइज़ेनबर्ग को भी देखें, पीपी पर। एस. एम. वाडुम्स, "अच्छा विश्वास, असंवेदनशीलता और उचित अपेक्षाएँ" (1995) 9 जे. सी. एल. 55, पी. 60)। यह बताता है कि समानता में सिद्धांत की ऐतिहासिक जड़ों को पहचानते हुए अनुबंध सिद्धांत के पारंपरिक खातों के साथ असंवेदनशीलता कैसे मेल खाती है, जो लंबे समय से "सामान्य कानून की कठोरता के लिए सुधारात्मक" के रूप में काम कर रही है (मैककैमस, पी। 10; रोटमैन को भी देखें, pp. 503-4)।

60. इस न्यायालय ने अक्सर असंवेदनशीलता के उद्देश्य को दूसरों के साथ लेनदेन में कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा के रूप में वर्णित किया है (हॉजकिन्सन बनाम सिम्स, [1994] 3 एससीआर 377, पृष्ठ 405 और 412 पर; हंटर इंजीनियरिंग कं. वी.सिनक्रूड कनाडा लिमिटेड, [1989] 1 एस. सी. आर. 426, पी.462, प्रति डिक्सन सी. जे., और पी.516, प्रति विल्सन जे.; नॉर्बर्ग बनाम विनरिब, [1992] 2 एससीआर 226, पी.247; भसीन बनाम हिन्यू, [2014] 3 एस. सी. आर. 494, पैरा में भी देखें।43). हम सहमत हैं। असंबद्धता, हमारे विचार में, उन लोगों की रक्षा करने के लिए है जो अनुबंध प्रक्रिया में कमजोर हैं, जो उस सौदे में उस पक्ष को नुकसान या आकस्मिकता से बचाते हैं (मिंडी चेन-विशार्ट, असंबद्ध सौदे (1989), पी.109; जेम्स गोर्डले, "इक्वेलिटी इन एक्सचेंज" (1981) 69 कैल को भी देखें। एल. रेव. 1587, पीपी पर। बर्च, पैरा में।44). यद्यपि अन्य सिद्धांत विशिष्ट सी प्रकार की दमनकारी संविदात्मक शर्तों से राहत प्रदान कर सकते हैं, असंवेदनशीलता अदालतों को मौजूदा "हस्तक्षेप के द्वीपों" के बीच के अंतराल को ठीक करने की अनुमति देती है ताकि "खंड जो पूरी तरह से दंड खंड नहीं है या पूरी तरह से छूट खंड नहीं है या राहत देने के लिए एक वैधानिक शक्ति के प्रावधानों के बाहर है, वह सामान्य शक्ति के तहत आएगा, और विसंगत भेद गायब हो जाएंगे" (एस. एम. वाडुम्स, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स (7 वां संस्करण। 2017), पी.378).

XXX

एक्सएक्सएक्स

XXX

70. "आवश्यकता" मामले का उत्कृष्ट उदाहरण समुद्र परिदृश्य में बचाव है (द मदीना, [एल. आर.] 1 पी. डी. 272 देखें)। जिन परिस्थितियों में इस तरह के समझौते किए जाते हैं, वे इंगित करते हैं कि कमजोर पक्ष स्वतंत्र रूप से अनुबंध में प्रवेश नहीं करता था, क्योंकि यह उसकी "अत्यधिक आवश्यकता का परिणाम था. उस संकट को दूर करने के लिए जिसमें वह खुद को उधार देता है" (बुंडी, पृष्ठ 339 पर)। निर्भरता की अन्य परिस्थितियाँ भी इस सांचे को प्रभावित करती हैं, जिनमें वे स्थितियाँ भी शामिल हैं जहाँ एक पक्ष वित्तीय हताशा के कारण कमजोर होता है, या जहाँ

"एक विशेष संबंध है जिसमें दूसरे पक्ष में विश्वास और विश्वास स्थापित किया गया है" (नॉर्बर्ग, पृ.250, क्रिस्टीन बॉयल और डेविड आर. पर्सी को उद्धृत करते हुए, अनुबंध:मामले और टिप्पणियाँ (चौथा संस्करण। 1989), pp. 637-38) पर। इन परिदृश्यों में असमान सौदेबाजी की शक्ति स्थापित की जा सकती है, भले ही दबाव और अनुचित प्रवाह का प्रदर्शन नहीं किया गया हो (पीपी पर नॉर्बर्ग देखें। पी पर मैकिन्स को भी देखें।543). 71. सौदेबाजी की शक्ति की असमानता का दूसरा सामान्य उदाहरण है, जहां एक व्यावहारिक मामले के रूप में, केवल एक पक्ष संविदात्मक शर्तों के पूर्ण महत्व को समझ सकता है और उनकी सराहना कर सकता है, जिससे एक प्रकार की "संज्ञानात्मक विषमता" पैदा होती है (स्मिथ को पीपी पर देखें। यह

व्यक्तिगत भेद्यता के कारण या अनुबंध प्रक्रिया के लिए विशिष्ट नुकसान सी के कारण हो सकता है, जैसे कि पार्टियों के समझौते में शर्तों को समझने के लिए घने या विषम पंथ की उपस्थिति। इन मामलों में, स्व-हित सौदेबाजी के बारे में कानून की धारणा अपने बल को खो देती है। इन परिदृश्यों में असमान सौदेबाजी की शक्ति स्थापित की जा सकती है, भले ही अनुबंध गठन की कानूनी आवश्यकताओं को पूरा किया गया हो (देखें सेबेस्टियन ग्राममंड, "एक तुलनात्मक कानून परिप्रेक्ष्य से अपमानजनक या असहनीय खंडों का विनियमन" (2010) 49 कैन। बस। एल. जे. 345, पीपी. 353-54 पर)।

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

84. इसके अलावा, असहनीयता को बिना इस प्रमाण के स्थापित किया जा सकता है कि मजबूत पार्टी ने जानबूझकर कमजोर लोगों का फायदा उठाया। इस तरह की आवश्यकता असंवेदनशीलता के सिद्धांतों के साथ निकटता से जुड़ी हुई है जो प्रतिवादी द्वारा गलत काम करने पर ध्यान केंद्रित करती है (पृष्ठ 6 पर बौस्टनी देखें)। लेकिन गलत काम किए बिना असंवेदनशीलता को बढ़ावा दिया जा सकता है। जैसा कि प्रोफेसर वाड्डुम्स दृढ़ता से तर्क देते हैं:

वाक्यांश 'असंवेदनशील आचरण', 'असंवेदनशील व्यवहार' और 'असंवेदनशील व्यवहार' में स्पष्टता की कमी है, जहां तक वे गलत काम के प्रमाण की आवश्यकता का संकेत देते हैं, और अनुचित रूप से प्रतिबंधात्मक हैं।

(वाड्डुम्स (2019), पीपी पर। 118-19; बेन्सन, पी पर भी देखें। 188; स्मिथ, पीपी पर. 360-62.)

85. हम सहमत हैं। एक पक्ष जानबूझकर या जानबूझकर दूसरे की भेद्यता का लाभ उठाते हुए **1013** की असमानता का मजबूत प्रमाण प्रदान कर सकता है।

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1014 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

मोल-तोल करने की शक्ति, लेकिन यह असंवेदनशीलता के नियंत्रण के लिए आवश्यक नहीं है। इस तरह की आवश्यकता अनुचित रूप से अधिक कमजोर लोगों की सुरक्षा के बजाय मजबूत पार्टी की मानसिक स्थिति पर जोर देती है। इस न्यायालय के निर्णयों में कोई संदेह नहीं है कि असंवेदनशीलता बाद के उद्देश्य पर केंद्रित है। पार्टियां अदालतों से सौदेबाजी की शक्ति की असमानता की स्थितियों में गठित तात्कालिक सौदेबाजी को लागू करने की उम्मीद नहीं कर सकती हैं; एक कमजोर पक्ष, आखिरकार, अनजाने में शोषण से उतना ही वंचित है जितना कि जानबूझकर शोषण से। मजबूत पार्टी की मानसिक स्थिति पर आधारित एक कठोर आवश्यकता

असंवेदनशीलता सिद्धांत की आधुनिक प्रासंगिकता को भी नष्ट कर देगी, जो प्रभावी रूप से इसकी पहुंच से बचाव करेगी, जहां पक्ष बातचीत या बातचीत नहीं करते थे।

86. हमारे विचार में, असमानता और आशुरचना की आवश्यकताएं, उचित रूप से लागू की जाती हैं, निष्पक्षता और वाणिज्यिक निश्चितता के बीच उचित संतुलन बनाती हैं। अनुबंध की स्वतंत्रता सामान्य नियम बनी हुई है। यह ठीक इसलिए है क्योंकि सौदेबाजी की प्रक्रिया के बारे में कानून की सामान्य धारणाएं लागू नहीं होती हैं कि एक आकस्मिक सौदे के खिलाफ राहत उचित है।

87. असंवेदनशीलता के सिद्धांत का सम्मान करने से बॉयलर प्लेट या मानक रूप अनुबंधों पर प्रभाव पड़ता है। जैसा कि समान वाणिज्यिक संहिता के प्राथमिक मसौदा तैयार करने वाले कार्ल एन. लेवेलिन ने समझाया:

बॉयलर-प्लेट खंडों के लिए "सहमति" के बारे में सोचने के बजाय, हम यह पहचान सकते हैं कि जहां तक विशिष्ट सी की बात है, कोई सहमति नहीं है। वास्तव में, विशेष रूप से, जिस पर सहमति दी गई है, वह कुछ अस्पष्ट शब्द हैं, और लेन-देन का व्यापक प्रकार है, और लेकिन एक बात अधिक है। यह एक और बात है कि विक्रेता की अपने प्रपत्र पर किसी भी अनुचित या अभद्र शब्दों के लिए एक पूर्ण सहमति (एक विशिष्ट सहमति नहीं) है, जो असंबद्ध शब्दों के उचित अर्थ को नहीं बदलती है या स्पष्ट नहीं करती है। जिस फिने प्रिंट को नहीं पढ़ा गया है, उसका उन विकृत शब्दों के उचित अर्थ के तहत कटौती करने का कोई काम नहीं है जो समझौते की प्रमुख और एकमात्र वास्तविक अभिव्यक्ति का गठन करते हैं, लेकिन इसका अधिकांश भाग आमतौर पर इसमें शामिल होता है।

अलग-अलग शर्तों के साथ एक हाथ की लंबाई का सौदा हुआ है। उस बुनियादी सौदे के साथ एक और सौदा किया गया है जिसमें, कम से कम आत्मविश्वास की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति शामिल है, जिसमें पूछा और स्वीकार किया गया है।

प्रदत्त शक्तियों पर संबंधित सीमा: बॉयलर-प्लेट को अंतर्निहित धारणा पर और इस हद तक कि (1) यह अकेले पढ़ने पर डिक्ड शब्दों के उचित अर्थ को नहीं बदलता है या बाधित नहीं करता है, और (2) कि इसके शब्द न तो विशेष रूप से हैं और न ही नेट में स्पष्ट रूप से अनुचित और अनुचित हैं। (आम कानून परंपरा: अपीलक निर्णय (1960), पृ. 370-71) 88. हमारा यह सुझाव देने का मतलब नहीं है कि एक मानक रूप अनुबंध, अपने आप में, सौदेबाजी की शक्ति (वाडुम्स (2017) की असमानता को स्थापित करता है। 240). मानक रूप अनुबंध कई मामलों में आवश्यक और उपयोगी दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए, परिष्कृत वाणिज्यिक पक्ष आमतौर पर एक उद्योग के भीतर उपयोग किए जाने वाले आसंजन के अनुबंधों से परिचित हो सकते हैं। पर्याप्त स्पष्टीकरण या सलाह एक मानक रूप समझौते की शर्तों के बारे में अनिश्चितता पैदा कर सकती है। कुछ मानक रूप अनुबंध स्पष्ट रूप से और प्रभावी रूप से असामान्य या भारी प्रभाव वाले खंडों के अर्थ को संचारित कर सकते हैं (बेन्सन, पृष्ठ 234 पर)।

89. हमारी बात बस यह है कि संलग्नक के अनुबंधों के लिए सहमति के पीछे की शर्तों की जांच करने में असंवेदनशीलता की एक सार्थक भूमिका है, जैसा कि किसी भी अनुबंध के साथ होता है। जिन कई तरीकों से मानक रूप अनुबंध अनुबंध प्रक्रिया में अपने हितों की रक्षा करने और उन्हें अधिक कमजोर बनाने की पार्टी की क्षमता को खराब कर सकते हैं, वे अच्छी तरह से प्रलेखित हैं। उदाहरण के लिए, उन्हें एक पक्ष द्वारा दूसरे से इनपुट के बिना तैयार किया जाता है और उनमें ऐसे प्रावधान हो सकते हैं जो पढ़ने या समझने के लिए कठिन हैं (मार्गरेट जेन रेडिन, "न्याय तक पहुंच और अनुबंध का दुरुपयोग" (2016) 33 विंडसर वाई. बी. एक्सेस जस्ट। 177, पी पर। 179; स्टीफन वाड्डम्स, "समीक्षा निबंध: मानक प्रपत्र अनुबंधों की समस्या: ए रिट्रीट टू फॉर्मलिज्म" (2013) 53 कैन। बस। एल. जे. 475, पृष्ठ 475-476 पर; थाल, पीपी पर। 27-28; विलियम जे. बुडवर्ड, जूनियर, "फाइंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स इन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर लॉ, फोरम एंड आर्बिट्रेशन" (2006) 2 हेस्टिंग्स बस। एल. जे. 1, पी. 46)। इस तरह के अनुबंधों के लिए सौदेबाजी की शक्ति की असमानता पैदा करने की क्षमता स्पष्ट है। इसी तरह अधिक कमजोर पक्ष की कीमत पर मजबूत पक्ष का लाभ बढ़ाने की उनकी क्षमता भी है, विशेष रूप से कानून के चयन, मंच चयन और मध्यस्थता खंडों के माध्यम से जो पालन करने वाले पक्ष की उचित अपेक्षाओं का उल्लंघन करते हैं और उन्हें 1015 से वंचित करते हैं।

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1016 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

उपचार। यह ठीक उसी तरह की स्थिति है जिसमें असंवेदनशीलता सिद्धांत को लागू करना है।

90. मानक रूप अनुबंधों के संबंध में असंवेदनशीलता के कानून का यह विकास कट्टरपंथी नहीं है। इसके विपरीत, यह उन स्थितियों के लिए सिद्धांत का एक आधुनिक अनुप्रयोग है जहां "अनुबंध प्रवर्तन के लिए मानक तर्क. [हैं] ब्रेकिंग पॉइंट से परे फैला हुआ है" (रेडिन, पृष्ठ. 17 9 पर)। वर्षों से न्यायिक निर्णयों, पाठ्यपुस्तकों और शैक्षणिक लेखों में मानक रूप अनुबंधों और असंवेदनशीलता के बीच संबंध का सुझाव दिया गया है (देखें, उदाहरण के लिए, डूएज़, पैरा में। 114; डेविडसन बनाम थ्री स्प्रूस रियल्टी लिमिटेड, (1977) 79 डीएलआर 481 (3 डी) (B.C.S.C); हंटर, पी। 513; हंस, एडम्स्की और ना, पीपी पर। 992-93; मैककैमस, पी। 444; जीन ब्राउचर, "परिष्कृत जन-बाजार निर्माण रणनीतियों और आधुनिक प्रशासनिक राज्य के युग में असंवेदनशीलता" (2007) 45 कैन। बस। एल. जे. 382, पृ. 396)। यह आधी सदी से अधिक समय से अमेरिकी न्यायशास्त्र में भी मौजूद है (देखें विलियम्स बनाम वॉकर-थॉमस फर्नीचर कंपनी, 350 एफ. 2 डी 445 (1965), पीपी. 449-50)।

91. असंवेदनशीलता सिद्धांत को मानक रूप अनुबंधों पर लागू करना उन लोगों को भी प्रोत्साहित करता है जो ऐसे अनुबंधों का मसौदा तैयार करते हैं ताकि उन्हें दूसरे पक्ष के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके या यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे इतने एकतरफा नहीं हैं कि वे असंभव हों, या दोनों। जीन ब्राउचर ने निष्पक्ष लेन-देन के गुणों की व्याख्या इस प्रकार की थी:

व्यवसाय बाजार की स्थितियों के निर्धारण में प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार करने के लिए प्रेरित होते हैं या अन्यथा वे उन लोगों से हार जाते हैं जो ऐसा करते हैं। अनैतिक व्यवहार पर सार्थक जाँच होने पर ही व्यवसाय में व्यक्तियों को अपने नैतिक आवेगों पर कार्य करने की स्वतंत्रता होगी। इस बिंदु का एक निहितार्थ यह है कि, विनियमन की अनुपस्थिति में, व्यावसायिक संस्कृति और अधिक निर्दयी हो जाएगी, ताकि "प्रतिष्ठित व्यवसायों" और सीमांत विपणक के बीच अंतर धीरे-धीरे कम हो जाए। [पी। 390]

92. यह हमें हमारे सामने अपील पर लाता है और क्या उबर के साथ श्री हेलर का मध्यस्थता खंड अनुचित है।

93. उबर और श्री हेलर के बीच सौदेबाजी की शक्ति में स्पष्ट रूप से असमानता थी। मध्यस्थता समझौता एक मानक का हिस्सा था

अनुबंध फॉर्म। श्री हेलर इसकी किसी भी शर्त पर बातचीत करने में असमर्थ थे। उनका एकमात्र संविदात्मक विकल्प इसे स्वीकार या अस्वीकार करना था। टोरंटो में एक खाद्य वितरणकर्ता श्री हेलर और एक बड़े बहुराष्ट्रीय निगम उबर के बीच परिष्कार में एक महत्वपूर्ण अंतर था। इसके अलावा, मध्यस्थता समझौते में नीदरलैंड में मध्यस्थता और मध्यस्थता की लागत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। श्री हेलर के पद पर एक व्यक्ति से यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वह आई. सी. सी. नियमों के तहत या डच कानून के तहत मध्यस्थता करने के लिए सहमत होने के वित्तीय और कानूनी निहितार्थ की सराहना करेगा। यह मानते हुए भी कि श्री हेलर दुर्लभ व्यक्ति थे जिन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले इसे पूरी तरह से पढ़ा होगा, उनके पास यह संदेह करने का कोई कारण नहीं होगा कि "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल मध्यस्थता नियमों" के तहत अनिवार्य मध्यस्थता के एक निर्दोष संदर्भ के पीछे, जिसके बाद "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के मध्यस्थता नियमों के तहत मध्यस्थता" हो सकती थी, राहत के लिए 14,500 अमेरिकी डॉलर की बाधा थी। इस स्थिति को और खराब करने वाली बात यह है कि ये नियम अनुबंध से जुड़े नहीं थे, और इसलिए श्री हेलर को स्वयं उनकी खोज करनी पड़ी होगी।

94. मध्यस्थता खंड का आशुरचना भी स्पष्ट है। मध्यस्थता और मध्यस्थता प्रक्रियाओं के लिए अग्रिम प्रशासनिक शुल्क में 14,500 अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होती है। यह राशि श्री हेलर की वार्षिक आय के करीब है और इसमें यात्रा, आवास, कानूनी प्रतिनिधित्व या खोए हुए वेतन की संभावित लागत शामिल नहीं है। लागत एक मध्यस्थता पुरस्कार के आकार के लिए असमान है जो अनुबंध में प्रवेश करने के समय उचित रूप से पूर्वानुमेय किया जा सकता था। मध्यस्थता समझौता नीदरलैंड के कानून को शासी कानून और एम्स्टर्डम को मध्यस्थता के "स्थान" के रूप में भी नामित करता है। यह ओंटारियो में श्री हेलर और अन्य उबर चालकों को स्पष्ट धारणा देता है कि उनके पास उबर के घरेलू अधिकार क्षेत्र में अनिवार्य मध्यस्थता और मध्यस्थता के माध्यम से उबर के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से दावों को आगे बढ़ाने के लिए अपने खर्च पर नीदरलैंड की यात्रा करने के अलावा बहुत कम विकल्प हैं। सुनवाई के स्थान के बारे में मध्यस्थ को कोई भी अभ्यावेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद ही किया जा सकता है।

95. मध्यस्थता खंड, प्रभावी अधिनियम में, अनुबंध में हर दूसरे मूल अधिकार को इस तरह से संशोधित करता है कि श्री हेलर को जो भी अधिकार प्राप्त हैं, वे इस स्पष्ट पूर्व शर्त के अधीन हैं कि वह एम्स्टर्डम की यात्रा करें, 7 प्रारंभ 1017

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1018 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

आवश्यक शुल्क का भुगतान करके एक मध्यस्थता और एक मध्यस्थ पुरस्कार प्राप्त करना जो इस अधिकार का उल्लंघन स्थापित करता है। इन पूर्व शर्तों को पूरा करने के बाद ही श्री हेलर अनुबंध के तहत अपने मूल अधिकारों को लागू करने के लिए अदालत का आदेश प्राप्त कर सकते हैं। प्रभावी रूप से, मध्यस्थता खंड अनुबंध द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को उबर के खिलाफ एक चालक द्वारा अप्रवर्तनीय बनाता है। कोई भी उचित व्यक्ति जो मध्यस्थता खंड के निहितार्थ को समझता और उसकी सराहना करता, वह इसके लिए सहमत नहीं होता।

96. हम जोड़ते हैं कि मध्यस्थता खंड की असंवेदनशीलता को समग्र रूप से अनुबंध से अलग माना जा सकता है। जैसा कि ब्रेमर वल्कन शिफ बाउ उंड मास्चिनेनफैब्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, [1981] ए. सी. 909 (एच. एल.) में समझाया गया है, एक मध्यस्थता समझौता "[मुख्य] समझौते के लिए एक स्व-निहित अनुबंध संपार्श्विक या सहायक का गठन करता है" (पी. 980; पी भी देखें। 998, लार्ड स्कारमैन के अनुसार)। आगे का समर्थन उबर रेसियर और उबर पोर्टियर समझौतों के पृथक्करण खंड से आता है। 17(2) ए. ए. "

(जोर दिया गया) 98। जे. ब्राउन ने अपनी अलग लेकिन सहमत राय में कहा कि समझौते में उल्लिखित ऐसी पूर्व शर्त सार्वजनिक नीति के खिलाफ थी क्योंकि यह दावेदार को अपने विवाद को प्रभावी ढंग से हल करने से रोकती है। प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

"110. जिस आधार पर मैं आगे बढ़ रहा हूं वह वह है जो न्यायालय की अधिकारिता को हटाने से रोकता है या, अधिक व्यापक रूप से, जो न्याय प्रणाली की अखंडता की रक्षा करता है। जैसा कि लॉर्ड एटकिन ने फेंडर बनाम सेंट जॉन-मिल्डमे, [1938] ए. सी. 1 (एच. एल.) में कहा है। 12, अदालतों के अधिकार क्षेत्र को हटाना अपने आप में हानिकारक है और "सार्वजनिक हितों के लिए हानिकारक" है (कैन और योशिदा, पीपी पर भी देखें)। एक प्रावधान जो एक पक्ष को अपने समझौते की शर्तों को लागू करने से दंडित करता है या प्रतिबंधित करता है, सीधे न्याय के प्रशासन को कमजोर करता है। इस प्रस्ताव के बारे में कुछ भी नया नहीं है कि अनुबंध करने वाले पक्ष, सार्वजनिक नीति के मामले के रूप में, संविदात्मक विवादों को हल करने के लिए अदालत के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार को हटा नहीं सकते हैं (उदाहरण के लिए किल बनाम हॉलिस्टर, (1746) 1 विल्स देखें)। के. बी. 129:95 ई. आर. 532; स्कॉट बनाम एवरी, (1856) 5 एच. एल. सी. 811:10 ई. आर. 1121; ड्यूटेरियम ऑफ कनाडा लिमिटेड बनाम बर्न्स एंड रो इंक., [1975] 2 एससीआर 124)। वास्तव में, अनुबंध की स्वतंत्रता पर रखे गए मूल्य की परवाह किए बिना,

अदालतों ने लगातार यह माना है कि एक संविदाकारी पक्ष का कानूनी सहारा लेने का अधिकार "एक ऐसा अधिकार है जो पक्षों की समवर्ती इच्छा से भी अपरिहार्य है" (स्कॉट, पृष्ठ 1133 पर)।

111. सार्वजनिक नीति का यह प्रमुख कानून के शासन को बनाए रखने का कार्य करता है, जो कम से कम, कनाडाई नागरिकों और निवासियों को "एक स्थिर, पूर्वानुमेय और व्यवस्थित समाज की गारंटी देता है जिसमें वे अपने संबंधों का संचालन कर सकते हैं" (क्यूबेक का संदर्भ पुनः विभाजन, [1998] 2 एस. सी. आर. 217, पैरा 70). इस तरह की गारंटी एक स्वतंत्र न्यायपालिका तक पहुंच के बिना अर्थहीन है जो कानूनी अधिकारों को सही ठहरा सकती है। तदनुसार, कानून के शासन के लिए आवश्यक है कि नागरिकों के पास एक ऐसे स्थान तक पहुंच हो जहां वे एक दूसरे को जवाबदेह ठहरा सकें (जॉनसन बनाम लाइमर, 2020 ए. बी. सी. ए. 167, पैरा 10 (कैनएलआईआई))। वास्तव में, "यहाँ पहुंच के बिना कानून का शासन नहीं हो सकता है, अन्यथा कानून के शासन को पुरुषों और महिलाओं के एक नियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है जो यह तय करते हैं कि किसे न्याय की पहुंच होगी और किसे नहीं होगी" (B.C.G.E.U. v. ब्रिटिश कोलंबिया (महान्यायवादी), [1988] 2 एस. सी. आर. 214, पी. 230). जब तक निजी पक्ष अपने कानूनी अधिकारों को लागू नहीं कर सकते हैं और सार्वजनिक रूप से अपने विवादों का निर्णय नहीं ले सकते हैं, "कानून का शासन खतरे में है और सामान्य कानून के विकास को कमजोर किया जाता है" (हिनियाक बनाम मौलदीन, 2014 एससीसी 7: [2014] 1 एस. सी. आर. 87, पैरा. 26). नागरिक न्याय तक पहुंच कानून की सार्वजनिक वैधता और राज्य की संस्था के रूप में न्यायपालिका की वैधता के लिए सर्वोपरि है जो कानून का विस्तार और लागू करती है।

112. नागरिक न्याय तक पहुँच न केवल एक कार्यशील लोकतंत्र के लिए बल्कि एक जीवंत अर्थव्यवस्था के लिए भी एक पूर्व शर्त है, क्योंकि न्याय तक पहुँच अनुबंध करने वाले पक्षों को अपने समझौतों को लागू करने की अनुमति देती है। एक अनुबंध जो एक पक्ष को अपनी शर्तों को लागू करने के अधिकार से वंचित करता है, कानून के शासन और वाणिज्यिक निश्चितता दोनों को कमजोर करता है। यह कि ऐसा समझौता सार्वजनिक नीति के विपरीत है, न्यायिक विशिष्टताओं की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि इस स्व-स्पष्ट प्रस्ताव का एक उदाहरण है कि एक अनुबंध में कोई मूल्य नहीं है जिसे लागू नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, जनता के लिए नुकसान जो अनुबंध करने वाले पक्षों को एक सौदे के लिए आयोजित करने के परिणामस्वरूप होगा जिसे वे लागू नहीं कर सकते हैं, "काफी हद तक निर्विवाद" है (मिलर एस्टेट, पृष्ठ 7 पर, फेंडर को उद्धृत करते हुए, पृष्ठ 12 पर)। यह वास्तव में इतना सरल है: जब तक हर किसी को कानूनी अधिकारों को सही साबित करने के लिए आवश्यक कानून और इसकी प्रक्रियाओं तक उचित पहुंच नहीं है, हम एक ऐसे समाज में रहेंगे 1019

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1020 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

जहाँ सशक्त और संपन्न हमेशा कमजोरों पर हावी रहेंगे। या, जैसा कि फ्रेडरिक विल्मोट-स्मिथ कहते हैं, "कानून के प्रवर्तन को व्यावहारिक रूप से असंभव बनाने वाली समान संरचनाएं समाज के कमजोर सदस्यों को शोषण के लिए खुला छोड़ देंगी, उदाहरण के लिए, बेईमान नियोक्ताओं या जीवनसाथी के हाथों।" (समान न्याय: एक अनुचित दुनिया में निष्पक्ष कानूनी प्रणालियाँ (2019), पृष्ठ 1-2 पर)।

113. कानून के प्रवर्तन को व्यावहारिक रूप से असंभव बनाने का संदर्भ एक और संबंधित बिंदु की ओर ले जाता है: कानूनी रूप से निर्धारित संकल्प तक पहुँच को स्पष्ट रूप से अवरुद्ध करने वाले खंड और ऐसा करने का अंतिम प्रभाव रखने वाले खंड के बीच अंतर करने का कोई उचित कारण नहीं है। यह बात नोवामेज़ पीटीवाई लिमिटेड बनाम ड्रमंड जे. के निर्णय से स्पष्ट होती है। कट प्राइस डेली पीटीवाई लिमिटेड, (1995) 128 एएलआर 540 (एफसीए)। नोवामेज़ में, एक फ्रेंचाइजी समझौते की शर्तों ने फ्रेंचाइजर को फ्रेंचाइजी के व्यवसाय का नियंत्रण लेने की अनुमति दी यदि कोई भी पक्ष दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने या शुरू करने की धमकी देता है। जे. ड्रमंड ने समझाया कि यह खंड "फ्रेंचाइजी के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए फ्रेंचाइजी को एक शक्तिशाली हतोत्साहित करने के रूप में काम करने में सक्षम था, चाहे फ्रेंचाइजी का मामला कितना भी मजबूत क्यों न हो कि उसने गलत काम किया हो" (पृष्ठ 548)। प्रासंगिक सिद्धांत का सारांश देते हुए, जे. ड्रमंड ने आगे कहा:

... नागरिक को अपने कानूनी अधिकारों पर निर्णय के लिए अदालत का सहारा लेने का अधिकार है। किसी व्यक्ति को "अपरिहार्य अधिकार" से वंचित करने के लिए एक संविदात्मक समझौता इस सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करता है और अमान्य है। किसी व्यक्ति को अदालत का सहारा लेने के इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित करना, इस बात पर निर्भर करता है कि वह मुकदमेबाजी को हतोत्साहित करने के लिए कितनी शक्तिशाली तरीके से काम करता है, इस अधिकार को अस्वीकार करने के बराबर हो सकता है जितना कि मुकदमेबाजी के खिलाफ एक स्पष्ट संविदात्मक निषेध। [पीपी। 548-49]

XXX

XXX

XXX

117. उबर की स्थिति के लिए इस न्यायालय को यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि आधुनिक मध्यस्थता कानून के अधिनियमन के बाद न्यायिक मुद्रा में परिवर्तन सार्वजनिक नीति के संचालन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है। लेकिन मध्यस्थता के लिए आकस्मिक सम्मान, और पक्षों के लिए विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का विकल्प, दो विचारों पर

आधारित है।सबसे पहले, मध्यस्थता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुबंध करने वाले पक्षों की "ए" तक पहुंच हो।

‘कई प्रकार के विवादों का समाधान करने का अच्छा और सुलभ तरीका 'जो' अदालत जाने की तुलना में अधिक समीचीन और कम खर्चीला हो सकता है '(वेलमैन, पैरा में। 83, ओंटारियो की विधान सभा को उद्धृत करते हुए, 27 मार्च, 1991, पृष्ठ 245 पर)।दूसरा, अदालतों ने मध्यस्थता को दीवानी मुकदमे के एक स्वीकार्य विकल्प के रूप में स्वीकार किया है क्योंकि यह कानून के अनुसार एक संकल्प प्रदान कर सकता है।जैसा कि इस न्यायालय ने स्पोर्ट मस्का इंक. बनाम.जिटरर, [1988] 1 एस. सी. आर. 564, पी.581:

विधायक चले गए. विवादों को निपटाने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को वादियों द्वारा स्वतंत्र रूप से हल किया जाना था जब अदालतों का सहारा लेना अभी भी संभव था।हालाँकि, यदि न्यायिक हस्तक्षेप को खारिज कर दिया गया था, तो विधायक को यह सुनिश्चित करना था कि प्रक्रिया वादियों को अदालतों द्वारा प्रदान किए गए न्याय के समान माप की गारंटी देगी, और इस कारण से, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया के नियम विकसित किए गए थे कि मध्यस्थ निष्पक्ष है और मौलिक न्याय के नियमों का पालन किया जाता है।मध्यस्थ एक पुरस्कार देगा जो समरूपता द्वारा निष्पादित हो जाता है।यह मध्यस्थ के वास्तविक कार्य और एक न्यायाधीश के बीच समानता को इंगित करता है जिसे एक मामले का फैसला करना होता है।

[जोर जोड़ा गया।]दूसरे शब्दों में, विवाद समाधान का कोई भी साधन जो संविदाकारी पक्षों के लिए एक वित्तीय उपाय के रूप में कार्य करता है, न्यायपूर्ण होना चाहिए।यह महत्वपूर्ण है क्योंकि, मध्यस्थता के लिए मौजूदा विवादों को प्रस्तुत करने के विपरीत, और मेरे सहयोगी कोटे जे. के दावे के विपरीत, भविष्य के सभी अज्ञात विवादों को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने का समझौता केवल पक्षों की बातचीत (पैरा। 250)।बल्कि, यह सार्वजनिक न्यायनिर्णायकों (डब्ल्यू. जी. हॉर्टन, "ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आर्बिट्रेशन" (2017) 47 एड. क्यू. 12, पी.14; स्पोर्ट मस्का, पी।581; वेलमैन, पैरा में।48; डेस्पुटॉक्स, [2003] 1 एस. सी. आर. 178, पैरा में। 40).इस तरह के हस्तांतरण की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या यह न्याय का एक तुलनीय उपाय प्रदान कर सकता है।

XXX

XXX

XXX

121. संक्षेप में, यह निर्धारित करने के लिए सार्वजनिक नीति को लागू करना कि क्या एक मध्यस्थता समझौता न्याय तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है, न तो एक "नए सामान्य कानून नियम" का उल्लेख कर रहा है जैसा कि मेरे सहयोगी कोटे जे. ने इसे चित्रित किया है, न ही एक विस्तार 1021।

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1022 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

मध्यस्थता कार्यवाहियों में न्यायिक हस्तक्षेप के लिए आधार (पैरा। 307, 312 और 316)। आम कानून अदालतों ने लंबे समय से कानून के अनुसार विवादों को हल करने के अधिकार को मान्यता दी है। उस संकल्प को प्राप्त करने के साधन के रूप में मध्यस्थता को अपनाने के लिए कानून बस विकसित हुआ है। संविदात्मक शर्तें जो इस तरह के प्रस्ताव को पूरी तरह से प्रतिबंधित करती हैं, चाहे स्पष्ट निषेध द्वारा या केवल प्रभावी अधिनियम द्वारा, सार्वजनिक नीति के मामले के रूप में अप्रवर्तनीय बनी हुई हैं।”

(जोर दिया गया) 99। बहुमत ने अंततः निर्णय के क्रमशः पैराग्राफ 97 और 98 में निम्नलिखित का अवलोकन करते हुए निष्कर्ष निकाला:

“97. मध्यस्थता के लिए सम्मान इस बात पर आधारित है कि यह विवादों को हल करने का एक प्रभावी और प्रभावी तरीका है। जब मध्यस्थता वास्तविक रूप से अप्राप्य है, तो यह किसी भी विवाद समाधान तंत्र के बराबर नहीं है। जैसा कि हमारे सहयोगी न्यायमूर्ति ब्राउन ने मध्यस्थता खंड के तहत नोट किया, “श्री हेलर, और केवल श्री हेलर, दावे की कानूनी योग्यता की परवाह किए बिना, उबर के खिलाफ दावा करने का प्रयास करने में अनुचित कठिनाई का अनुभव करेंगे” (पैरा। 136)। मध्यस्थता खंड एकमात्र तरीका है जिससे श्री हेलर अनुबंध के तहत अपने अधिकारों को सही ठहरा सकते हैं, लेकिन मध्यस्थता उनके और उनके पद पर अन्य चालकों के लिए पहुंच से बाहर है। परिणामस्वरूप, उनके संविदात्मक अधिकार भ्रामक हैं।

98. श्री हेलर द्वारा अपने सौदेबाजी के हितों की रक्षा करने की उनकी क्षमता में होने वाले नुकसान और इसके परिणामस्वरूप अनुचित शर्तों दोनों के आधार पर, मध्यस्थता खंड अनुचित है और इसलिए अमान्य है।”

(जोर दिया गया) 100। संयुक्त राज्य अमेरिका की अदालतों ने भी कई अवसरों पर असंवेदनशीलता के सिद्धांत पर विचार-विमर्श किया है। अदालत ने

पैटरसन बनाम आई. टी. टी. उपभोक्ता वित्तीय के मामले में कैलिफोर्निया की अपील

निगम ने 18 कैल में सूचना दी। आरपीटीआर। 2 डी 563 (कैल। सीटी. ऐप। 1993), ने इस बात पर विचार करने का अवसर दिया था कि क्या दावेदारों के लिए मामले को हल करने के उद्देश्य से सुनवाई शुल्क के साथ एक लिंग शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता को अनुचित कहा जा सकता है। अपील न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसी स्थिति “समझ से बाहर” थी और उधारकर्ताओं को अपने दावों को आगे बढ़ाने से हतोत्साहित किया। प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

“B. असंवेदनशीलता

2. कैलिफोर्निया कानून के तहत यह निर्धारित करने के लिए दो वैकल्पिक विश्लेषण मौजूद हैं कि क्या एक संविदात्मक प्रावधान अप्रवर्तनीय होगा क्योंकि यह अनुचित है।(पेरड्यू बनाम क्रोकर नेशनल बैंक (1985) 38 Cal.3d 913,925, एफएन।[216 कैल। आरपीटीआर।345, 702 पी. 2 डी 503] ["दोनों विश्लेषणात्मक मार्गों से एक ही परिणाम प्राप्त होना चाहिए।"])पहला मॉडल ग्राहम बनाम कैंची-पूछ, इंक. (1981) 28 Cal.3d 807 [171 कैल में स्थापित किया गया था। आरपीटीआर।604, 623 पी. 2 डी 165] शुरू में पूछता है कि क्या अनुबंध आसंजन का है।(पी. पर आईडी।819.) चूंकि आसंजन का अनुबंध अभी भी पूरी तरह से लागू करने योग्य है, इसलिए जांच इस बात पर निर्भर करती है कि क्या प्रवर्तन से इनकार किया जाना चाहिए।सबसे पहले, यदि अनुबंध या प्रावधान कमजोर पक्ष की उचित अपेक्षाओं से बाहर आता है तो प्रवर्तन से इनकार कर दिया जाएगा।(पी. पर आईडी।820.) दूसरा, प्रवर्तन को अस्वीकार कर दिया जाएगा, भले ही यह पक्षों की उचित अपेक्षाओं के भीतर आता हो, लेकिन यह अनुचित रूप से दमनकारी या अनुचित है।(इबिद.)

वैकल्पिक विश्लेषणात्मक मॉडल ए. एम. प्रोड्यूस कंपनी बनाम में निर्धारित किया गया था। एफएमसी कार्पोरेशन।, ऊपर, 135 Cal.App.3d 473।इसने उस बात की अवहेलना करने का प्रयास किया जिसने किसी अनुबंध या संविदात्मक प्रावधान को अनुचित और इसलिए सिविल कोड धारा 1670.5 (135 Cal.App.3d p.485.) ए. एम. ने निष्कर्ष निकाला कि असंवेदनशीलता का एक प्रक्रियात्मक और एक मूल घटक होता है।(पी. पर आईडी।486.) प्रक्रियात्मक घटक उत्पीड़न और आश्चर्य के कारकों पर केंद्रित है।(इबिद.) दमन के परिणामस्वरूप असमान सौदेबाजी की शक्ति के कारण अनुबंध की शर्तों पर कोई वास्तविक बातचीत नहीं होती है।() "आश्चर्य" में उस हद तक शामिल है जिस तक सौदे की कथित रूप से सहमत शर्तों को विवादित शर्तों को लागू करने की मांग करने वाले पक्ष द्वारा तैयार किए गए एक प्रोलिक्स मुद्रित रूप में छुपाया जाता है।" (इबिद.) असहनीयता का मूल घटक यह देखता है कि क्या अनुबंध सौदे के जोखिमों को वस्तुनिष्ठ रूप से अनुचित या अप्रत्याशित तरीके से आवंटित करता है।(पी. पर आईडी।487.) अप्रवर्तनीय होने के लिए मूल और प्रक्रियात्मक असंवेदनशीलता दोनों होनी चाहिए, हालांकि दोनों तत्वों के बीच एक विपरीत संबंध हो सकता है।(इबिद.)

3. आसंजन का अनुबंध "एक मानकीकृत अनुबंध है, जो बेहतर सौदेबाजी की ताकत वाले पक्ष द्वारा लगाया और तैयार किया जाता है, सदस्यता लेने वाले पक्ष को केवल अनुबंध या 1023 का पालन करने का अवसर देता है।

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1024 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

इसे अस्वीकार करें।" (नील बनाम स्टेट फार्म इंसा. Cos. (1961) 188 Cal.App.2d 690,694 [10 Cal.Rptr।781].)

4. हमारे सामने रिकॉर्ड इंगित करता है कि वादी मामूली साधन वाले व्यक्ति हैं, कुछ स्व-नियोजित या अस्थायी रूप से बेरोजगार हैं, जिन्होंने अपेक्षाकृत कम राशि उधार ली है, अक्सर "गारंटीकृत ऋण" का वादा करने वाले विज्ञापन के जवाब में।" जिस ऋण समझौते पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, उसमें एक पूर्व मुद्रित प्रपत्र शामिल था जिसमें एक मध्यस्थता खंड या तो "विवाद समाधान के लिए समझौता" नामक पृष्ठ पर अंतिम अनुच्छेद के रूप में या पाठ की एक शीट पर मध्य पृष्ठ पर था, लेकिन बोल्डफेस प्रकार के उपयोग से अलग किया गया था। प्रपत्र के दोनों संस्करणों पर प्रावधान को स्पष्ट रूप से "मध्यस्थता" शीर्षक दिया गया था। पूर्व मुद्रित खंडों में से किसी को भी किसी भी तरह से संशोधित नहीं किया गया था, जिससे पता चलता है कि वे गैर-परक्राम्य थे। कई उधारकर्ताओं ने कहा कि उनका मानना ​​है कि वे बैंक ऋण प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। इन परिस्थितियों में हम सोचते हैं कि यह निर्विवाद है कि अनुबंध संलग्नक का था।

आई. टी. टी. का तर्क है कि मध्यस्थता विवाद समाधान का इतना सामान्य साधन बन गया है कि इसे उधारकर्ताओं की उचित अपेक्षा के भीतर माना जाना चाहिए। हालांकि मध्यस्थता अधिकांश उपभोक्ताओं की उचित अपेक्षा के भीतर हो सकती है, लेकिन यह मानना ​​बहुत अधिक कठिन है कि मिनेसोटा में मध्यस्थता कैलिफोर्निया के उपभोक्ताओं की उचित अपेक्षा के भीतर होगी। मध्यस्थता खंड केवल यह कहता है कि विवाद "राष्ट्रीय मध्यस्थता मंच, मिनियापोलिस, मिनेसोटा द्वारा बाध्यकारी मध्यस्थता द्वारा हल किया जाएगा।"

XXX

XXX

XXX

हालांकि, एक सहभागी सुनवाई प्राप्त करने के लिए, जवाब देने वाले पक्ष को एक के लिए शीघ्र मांग करनी चाहिए और शुल्क के पूर्व भुगतान के साथ इसका साथ देना चाहिए। सुनवाई शुल्क का पूर्व भुगतान व्यक्तियों के लिए माफ किया जा सकता है, लेकिन केवल गरीबी के संबंध के बाद ही। हालांकि, शुल्क माफी प्रक्रिया की व्याख्या करने वाला नियम, जैसा कि निचली अदालत ने उचित रूप से उल्लेख किया है, "समझ से बाहर" है, क्योंकि इसके लिए अनैच्छिक बर्खास्तगी से संबंधित नियमों का पालन करना आवश्यक है।

इन प्रक्रियाओं का संभावित प्रभाव एक ऐसे उधारकर्ता को अस्वीकार करना है जिसके खिलाफ एक दावा सुनवाई के लिए कोई अवसर लाया गया है, बहुत कम सुनवाई जहां अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे, जब तक कि उधारकर्ता

काफी कानूनी विशेषज्ञता या एक वकील को काम पर रखने और/या पर्याप्त सुनवाई शुल्क का पूर्व भुगतान करने के लिए धन है। निर्गम पर छोटी डॉलर राशि को देखते हुए उत्तरार्द्ध की विशेष रूप से संभावना नहीं है। 2,000 डॉलर के ऋण पर विवाद में केवल सहभागी सुनवाई प्राप्त

करने के लिए न्यूनतम 850 डॉलर खर्च करने का कोई मतलब नहीं होगा। संक्षेप में यह प्रक्रिया उधारकर्ताओं को प्रतिक्रिया देने से हतोत्साहित करने के लिए बनाई गई प्रतीत होती है। यदि वे जवाब नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ एक पुरस्कार दर्ज किया जा सकता है यदि आई. टी. टी. द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज उसके दावे का समर्थन करते हैं।”

(जोर दिया गया) 101। इसी तरह, संयुक्त राज्य जिला न्यायालय, डब्ल्यू. डी. मिशिगन में

2007 में रिपोर्ट किया गया वेगटर बनाम पूर्वानुमान वित्तीय निगम का मामला

डब्ल्यूएल 4178947, मध्यस्थता समझौतों में प्रक्रियात्मक और मूल असंवेदनशीलता के सिद्धांत पर चर्चा करते हुए, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया:

“B. असंवेदनशीलता

आम तौर पर लागू अनुबंध सुरक्षा, जैसे कि असंवेदनशीलता, एफ. ए. ए. के अनुरूप एक मध्यस्थता समझौते को अमान्य कर सकती है। डॉक्टर के सहयोगी।, इंक. वी. कैसरोटो, 517 यू. एस. 681, 687 (1996)। क्या कोई मध्यस्थता खंड असहनीय है, यह राज्य के कानून द्वारा शासित होता है। स्टटलर बनाम टी. के. कंस्ट्रक्टर्स, इंक., 448 एफ. 2006)। मिशिगन कानून के तहत, असंवेदनशीलता के लिए एक अनुबंध प्रावधान को अमान्य करने के लिए, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रावधान प्रक्रियात्मक और मूल रूप से असंवेदनशील दोनों है। पिचे बनाम अमेरिकेक इंटरएक्टिव मीडिया सर्व्स।, इंक., 421 एफ. सप. 2 डी 1038, 1044-45 (डब्ल्यू. डी. माइक। 2006) (बेल, सी. जे.)। प्रक्रियात्मक और मूल असंवेदनशीलता के लिए पूछताछ को इस प्रकार व्यक्त किया गया है: “(1) पार्टियों की सापेक्ष सौदेबाजी की शक्ति क्या है, उनकी सापेक्ष आर्थिक शक्ति, आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत, एक शब्द में, उनके विकल्प क्या हैं?; (2) क्या चुनौती दिया गया शब्द काफी हद तक उचित है?” आईडी. 1045 में (एलन बनाम माइक को उद्धृत करते हुए। बेल। टेल करें। कं., 18 माइक। ऐप. 632, 637, 171 N.W.2d 689 (1969)।

प्रक्रियात्मक असंवेदनशीलता के संबंध में, न्यायालय ने पाया कि यह संलग्नक का अनुबंध था। अनुबंध की शर्तों पर बातचीत नहीं की गई थी और वादी के पास लेन-देन में अपेक्षाकृत कम आर्थिक ताकत थी।

1025

लॉम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तरखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1026

जहां तक वास्तविक असंवेदनशीलता की बात है, मध्यस्थता खंड अनुचित है क्योंकि इसमें वादी को मध्यस्थता के लिए ओकालोसा काउंटी, फ्लोरिडा की यात्रा करने की आवश्यकता होती है। कई परिस्थितियों में एक उपभोक्ता को एक दावे का मध्यस्थता करने के लिए पर्याप्त दूरी की यात्रा करने की आवश्यकता को अनुचित पाया गया है। डीऑर्नेलास बनाम एस्पेन स्क्वायर एम.

जी. एम. टी., इंक., 295 एफ. सप.2 डी 753,765-66 (ई. डी. माइक।2003); गैरेट बनाम हूटर्स-टोलेडो, 295 एफ. सप।2 डी 774,783 (एन. डी. ओहियो 2003); कॉम्ब बनाम पेपाल, इंक., 218 एफ. सप।2 डी 1165,1176-77 (एन. डी. कैल। 2002)।यह निर्धारित करने में कि क्या फ्लोरिडा में मध्यस्थता आयोजित करने की आवश्यकता अनुचित है, न्यायालय को यह पूछना चाहिए कि क्या यह प्रावधान समान रूप से स्थित संभावित वादियों की एक बड़ी संख्या को रोकेगा।"मॉरिसन, 317 एफ. 3 डी 663 पर।स्टटलर, 448 एफ. 3 डी को 346 पर देखें (यह दर्शाता है कि मॉरिसन का परीक्षण इस सवाल पर लागू होता है कि क्या एक मध्यस्थता खंड लागू करने योग्य है जहां संघीय वैधानिक रूप से प्रदान किए गए अधिकार लागू किए जाते हैं।")।फ्लोरिडा की यात्रा करने के लिए वित्तीय संकट का सामना कर रहे उपभोक्ता की आवश्यकता इस तरह के उपभोक्ता को मध्यस्थता करने से प्रभावी रूप से रोकेगी। जिस समय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे, प्रतिवादियों को पता था कि वादी वित्तीय संकट का सामना कर रहा था और संभवतः उन्हें पता था कि फ्लोरिडा में मध्यस्थता करना वादी के लिए मुश्किल होगा।उन परिस्थितियों को देखते हुए, अदालत ने कहा कि फ्लोरिडा में वादी को मध्यस्थता करने की आवश्यकता वादी को दावा करने से प्रभावी रूप से रोक देगी और यह काफी हद तक अनुचित है।

न्यायालय ने कहा कि मध्यस्थता खंड में प्रावधान जो ओकालोसा काउंटी, फ्लोरिडा को मध्यस्थता स्थल के रूप में नामित करता है, मिशिगन कानून के तहत प्रक्रियात्मक और मूल रूप से असहनीय है।इसलिए, न्यायालय मध्यस्थता खंड में प्रावधान को अलग करता है और अप्रवर्तनीय घोषित करता है जो ओकालोसा, फ्लोरिडा को मध्यस्थता के स्थल के रूप में नामित करता है।"

102. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमें जी. सी. सी. के खंड 55 में निहित दो शर्तों की अनदेखी करनी चाहिए, एक दावा की गई कुल राशि के 7 प्रतिशत जमा से संबंधित और दूसरा उत्तराखंड सरकार के प्रधान सचिव (सिंचाई) को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार देने वाली शर्त से संबंधित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

103. परिणामस्वरूप, इस आवेदन की अनुमति है।

104. हम सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री वी. के. बिस्ट को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करते हैं।अन्य तौर-तरीकों सहित मध्यस्थ के शुल्क का निर्धारण पक्षों के परामर्श से किया जाएगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

आवेदन की अनुमति दी गई।

